



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2021-2022

भारत सरकार
Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law And Justice



विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और विधि और न्याय मंत्रालय का संगठन	(v-vi)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	45
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	97
5.	अनुबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	128
6.	अनुबंध – II	विभिन्न स्तरों के वाणिज्यिक न्यायलयों की स्थापना पर (उच्च न्यायलय) राज्यवार आंकड़े	129
7.	अनुबंध – III	आई.टी.ए.टी. में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ भूतपूर्व सैनिकों/ दिव्यांगों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या	131
8.	अनुबंध – IV	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगों की संख्या	133
9.	अनुबंध – V	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	137
10.	अनुबंध – VI	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	141
11.	अनुबंध – VII	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगों की संख्या	142
12.	अनुबंध – VIII	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	143
13.	अनुबंध – IX	स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन तथा अन्य कार्यकलाप	144
14.	अनुबंध – X	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	149

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात् गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग सम्मिलित हैं।

विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है।

जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्याय (अध्याय-प्प) में दिया गया है।

मिशन

सरकार को दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना:

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना।

विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर-मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ़ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करें। मुकदमों की भारी संख्या, उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह/राय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई-शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय—I

विधि कार्य विभाग

1. कार्य और संगठन

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य—मदों का आबंटन किया गया है:—

1. विधिक मामलों में मंत्रालयों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण—लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में उन मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसल नियोजित करना।
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है।
3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना।
4. सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण—पोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध।
5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संपत्तियों और संपत्ति के हस्तांतरण—पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किये गये वादों में वाद—पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना।
6. भारतीय विधि सेवा।
7. सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना।
8. विधि आयोग।
9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।
10. उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना तथा उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।
11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।
12. आयकर अपीलीय अधिकरण।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी आबंटित किया गया है:—

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001;

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यमस्थ, म केंद्र, अधिनियम 2019 को भी प्रशासित किया जा रहा है।

1.2. यह विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों अर्थात् भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटर्स की नियुक्तियों से भी संबद्ध है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने और विधि व्यवसाय में सुधार करने के लिए यह विभाग इन क्षेत्रों से जुड़े संगठनों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान को सहायता अनुदान देता है।

2. संगठनात्मक ढांचा

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात् नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय। कार्य की प्रकृति के हिसाब से इसके कार्यों को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है— सलाह कार्य और मुकदमा कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-I में दिया गया है।

मुख्य सचिवालय:

- i. मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण-लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में विभाजित किया गया है। साधारणतः प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार होते हैं।
- ii. उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा-कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय अपर सचिव रैंक के एक अधिकारी हैं और उनकी सहायता के लिए भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता संवर्ग के अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारी हैं।
- iii. दिल्ली उच्च न्यायालय और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान पीठ) में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमों के संबंध में कार्रवाई मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक उप विधि सलाहकार हैं।
- iv. दिल्ली स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग करता है, जिसके प्रधान इस समय एक सहायक विधि सलाहकार हैं।
- v. विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ अर्थात् कार्यान्वयन प्रकोष्ठ है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2015 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है।
- vi. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक-एक पद क्रमशः रेलवे बोर्ड और दूर-संचार विभाग में है। तथापि, इन दोनों संगठनों का कार्य संचालन वर्तमान में अपर सचिव स्तर पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, एस0एफ0आई0ओ0,

एन0टी0आर0ओ0 और केंद्रीय जांच ब्यूरो में भी भारतीय विधि सेवा के अधिकारी तैनात हैं।

भारतीय विधि सेवा का सृजन:

समाज के विकास के साथ-साथ विधि व्यवसाय में भी भारी बदलाव हुआ है। समाज की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा न्याय की समुचित व्यवस्था के लिए कई प्रयास किये गये हैं। सरकार की आवश्यकताओं को गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में केंद्रीय विधि सेवा (वर्तमान भारतीय विधि सेवा की पूर्ववर्ती सेवा) का गठन करना एक ऐसा ही प्रयास था। भारत सरकार ने भारतीय विधि सेवा नियम, 1957 के अधीन विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा का सृजन किया जो 1 अक्टूबर, 1957 को लागू हुई। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय विधि सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को महत्वपूर्ण मामलों में विधिक सलाह देने तथा संसद में पेश किये जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों के मसौदों को तैयार करने के कार्य में पूर्ण समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा ने कई राज्यों को राज्यपाल, संसद के दोनों सदनों को महासचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश और विभिन्न अधिकरणों जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण तथा ऋण वसूली अधिकरण आदि को कई न्यायिक सदस्य और सूचना आयुक्त दिये हैं।

भारतीय विधि सेवा की भूमिका

भारत सरकार का प्रधान विधिक अंग होने के नाते विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग से संबंधित भारतीय विधि सेवा के अधिकारियों ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है और अपने कर्तव्य का बखूबी पालन किया है। डिजिटल क्रांति ने सूचना की साझेदारी की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है और अर्थव्यवस्था में संपदा के सृजन के नये क्षेत्रों को उत्पन्न किया है। इससे यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय विधि सेवा के अधिकारी बढ़ती विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने विधिक कौशल को अद्यतन करें। सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते इस सेवा के अधिकारी सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की गई मांगों की पूर्ति के लिए शीघ्रता से कारगर ढंग से आगे आए हैं और वे सलाहकारी तथा प्रारूपण दोनों ही कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

3. सलाह 'क' अनुभाग

01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि में सलाह "क" अनुभाग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक सलाह/राय और दस्ता वेजों की विधीक्षा के लिए कुल 3592 संदर्भ (विधि सचिव, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों से सलाह के लिए प्राप्त संदर्भों सहित) प्राप्त हुए, जिन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गयी और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गयी विधिक सलाह को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।

2. विधिक सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए निर्देशों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की है।
3. सलाह 'क' और 'ख' अनुभागों के सूचना का अधिकार आवेदनों से संबंधित 49 मामलों पर भी कार्रवाई की गयी।
4. अभिहस्तांतरण से संबंधित 105 संदर्भों पर भी कार्रवाई की गयी। इनमें कई मामले अंतरराष्ट्रीय करारों से संबंधित थे।

5. उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित 90 मंत्रिमंडल टिप्पण और 61 संदर्भ सलाह के लिए प्राप्त हुए।
6. इसके अतिरिक्त, इस अनुभाग द्वारा कुल 12 लोक शिकायतों पर भी कार्रवाई की गयी।

4. सलाह 'ख' अनुभाग

सलाह 'ख' अनुभाग को दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभिन्न मुद्दों पर विधिक राय और दस्तावेजों की विधीक्षा के लिए कुल 2802 संदर्भ प्राप्त हुए, जिन पर सलाह 'ख' अनुभाग द्वारा विधिवत कार्रवाई की गयी।

2. उपर्युक्ति अवधि के दौरान, कुल 87 मंत्रिमंडल-नोट/विधायी प्रस्ताव, 1784 विशेष वाद याचिकाएं (एसएलपी)/वाद मामले समीक्षा/राय दिये जाने के लिए प्राप्त हुईं।
3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग के अधिकारियों ने 179 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया।
4. इस अनुभाग ने माननीय मंत्री जी के कार्यालय और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए संदर्भों और अन्य संसूचनाओं पर भी कार्रवाई की।
5. इसके अतिरिक्त, 36 संसद-प्रश्नों/आश्वासनों पर भी कार्रवाई की गयी।

5. सलाह 'ग' अनुभाग

वर्ष 2021 के दौरान अलग-अलग विषयों के 18 नये मामले माननीय भारत के महान्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल की राय के लिए भेजे गये थे। जिसमें से 10 मामलों में राय प्राप्त हुई और उन्हें विधि सचिव और माननीय विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन के बाद भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को भेज दिया गया है।

इस अनुभाग ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों को विभिन्न विषयों की पूर्व मिसाल देकर सामान्य और सचिवीय सहायता प्रदान की है।

6. न्यायिक अनुभाग

- 1) 01.01.2021 से 29.12.2021 तक विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विधि अधिकारियों/पैनल काउन्सेलों के माध्यम से केंद्र सरकार के मुकदमों का संचालन
- क) माननीय भारत के महान्यायवादी को एक और वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है।
- ख) 07 नये सहायक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (सहायक एसजीआई) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की पीठों में नियुक्त किये गये।
- ग) पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की निम्नलिखित संख्या या पैनल वकील के रूप में उनकी अवधियों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए बढ़ा दिया गया है (आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दिखाये गये हैं):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए अधिवक्ताओं की कुल संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	57
2.	चंडीगढ़	72
3.	दिल्ली	108
4.	महाराष्ट्र	26
5.	बिहार	02
6.	तमिलनाडु	208
7.	केरल	141
8.	कर्नाटक	168
9.	आंध्र प्रदेश	06
10.	तेलंगाना	01
11.	जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	01
12.	उड़ीसा	75
13.	राजस्थान	03
	कुल	868

- घ) 10 पैनल काउंसल (एक सहायक एसजीआई सहित) के त्याग पत्र पर कार्रवाई की गयी।
- ड.) विधि अधिकारियों/सहायक एसजीआई/पैनल काउंसल के विरुद्ध 06 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है।
- च) इस मंत्रालय के अनुमोदन हेतु कुछ विशेष मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं के अलग पैनलों से संबंधित 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन पर कार्यवाही की गई।
- छ) सामान्य या विशेष निबंधनों और शर्तों के आधार पर देश के विभिन्न न्यायालयों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालयों/ विभागों से विधि अधिकारी, पैनल काउंसल और निजी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए अनुरोध/ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान ऐसे लगभग 102 प्रस्तावों पर कार्यवाही की गयी है।
- 2) विभिन्न विषयों जैसे पैनल काउंसल की नियुक्ति की अवधि, शुल्क सूची से संबंधित विषयों इत्यादि का स्पष्टीकरण
- पैनल काउंसल की नियुक्ति की निबंधनों और शर्तों, उनकी शुल्क सूची इत्यादि से संबंधित विभिन्न मुद्दे समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे लगभग 95 स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं।
- 3) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में माध्यस्थम पैनल काउंसलों का नामांकन करना, जिसमें एक पक्ष सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और दूसरा पक्ष सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/निजी पक्षकार होता है:

माध्यस्थम मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए माध्यस्थम पैनल

काउंसिल की नियुक्ति से संबंधित अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उक्त अवधि के दौरान, ऐसे अनुरोधों के उत्तर में, लगभग 90 माध्यस्थम मामलों में माध्यस्थम पैनल काउंसिल नियुक्त किये गये हैं।

- 4) समनों की तामील इत्यादि के संबंध में द्विपक्षीय संधियों (पारस्परिक विधिक सहायता संधियों/पारस्परिक प्रबंधों) और बहुपक्षीय संधियों (1965/1971 का हेग कन्वेंशन) से उत्पन्न होने वाले अनुरोधों की जांच और उन पर कार्यवाही करना:—

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग हेग कन्वेंशन, 1965 के अधीन सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायिकेतर दस्तावेजों की विदेशों में तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। इस दायित्व के अधीन, लगभग 2000 अनुरोधों पर कार्यवाही की गई है।

7. नोटरी

नोटरी अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनी नियमावली, 1956 का प्रशासन नोटरी सेल के दायरे में आता है। नोटरी सेल देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जांच/संवीक्षा करने और नोटरियों की नियुक्ति से संबंधित इन आवेदनों पर कार्यवाही करता है इन आवेदनों का प्रसंस्करण तथा नोटरियों की नियुक्ति के लिए साक्षत्कार आयोजित करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा किये गये कदाचारों के आरोपों की जांच भी करता है। नोटरी सेल आरटीआई आवेदनों, आरटीआई की पहली और दूसरी अपील को भी देखता है। नोटरी सेल आरटीआई आवेदनों, आरटीआई की पहली और दूसरी अपील को भी देखता है। नोटरी सेल पूरे भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर अदालती मामलों को भी देखता है।

नोटरी सेल प्रत्येक 5 वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये नोटरी के व्यवसाय के प्रमाणपत्रों का नवीकरण भी करता है। यह सेल इस आशय के आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और पर्याप्त कारण होने पर, व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार/परिवर्तन भी करता है।

केंद्र सरकार ने अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 22454 नोटरी नियुक्त किये हैं। विचाराधीन अवधि के दौरान लगभग 1203 नोटरी प्रमाण पत्र नवीनीकृत किये गये हैं।

8. कार्यान्वयन प्रकोष्ठ

संविधियों का प्रशासन: यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से भी संबंधित है:—

- i. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
- ii. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

भारतीय बार काउंसिल एक सांविधिक निकाय है जिसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया है जो भारत में विधि व्यवसाय और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य भारत में अधिवक्ताओं में से चुने जाते हैं और इस तरह भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण, शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करता है और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून की डिग्री छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 के तहत भारतीय बार काउंसिल द्वारा बनाये गये नियम भारतीय बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.barcouncilofindia.org पर उपलब्ध हैं।

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001:— कनिष्ठ वकीलों के लिए वित्तीय सहायता और निर्धन अथवा विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सदैव विधिक बिरादरी का विचार का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान अधिनियमित किये हैं। संसद् ने उन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए, जिनके पास उक्त विषय में समुचित सरकार द्वारा 'अधिवक्ता कल्याण निधि' के सृजन के लिए अपनी अधिनियमितियां नहीं हैं, 'अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001' अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रत्येक अधिवक्ता के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दायर वकालतनामे पर अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प लगाने को अनिवार्य करता है। 'अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प' के विक्रय के माध्यम से एकत्रित धनराशि 'अधिवक्ता कल्याण कोष' का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रैक्टिस करने वाला कोई भी अधिवक्ता आवेदन शुल्क और वार्षिक अंशदान शुल्क का भुगतान कर के अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य बन सकता है। यह निधि समुचित सरकार द्वारा स्थापित न्यासी समिति में निहित और उसके द्वारा संघटित और उसके द्वारा प्रयुक्त होगी। इस निधि का प्रयोग अन्य बातों के साथ सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्या, प्रैक्टिस के बंद होने या किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके नामिती या कानूनी वारिस को एक नियत धनराशि के भुगतान करने, सदस्य और उसके आश्रितों की चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकों की खरीद और सामान्य सुविधाओं के लिए अनुग्रह राशि के रूप में उपयोग में लाई जाएगी।

विधि आयोग की रिपोर्टें: कार्यान्वयन सेल विधि आयोग की रिपोर्टों पर कार्यवाही करने, उन्हें संसद् के समक्ष रखने और रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन के लिए अग्रेषित करने और उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उनसे संपर्क बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 31.12.2021 तक भारत के विधि आयोग ने 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें से 277 रिपोर्टें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई हैं। दिनांक 31.12.2021 तक प्राप्त सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को जांच/कार्यान्वयन अथवा उनकी ओर से अगली कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधित विभागीय स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्यान्वयन सेल संसद् के दोनों सदनों के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण 2005 से रखता आ रहा है। इस तरह का अंतिम विवरण (14वां विवरण) संसद् के दोनों सदनों के पटल पर (दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में और दिनांक 12.12.2019 को राज्य सभा में) रखा गया था। यह आयोग अपनी रिपोर्टें अपनी वेबसाइट www.lawcommissionofindia.nic.in पर भी उपलब्ध करवाता है।

9. आरटीआई प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन आरटीआई सेल, आरटीआई मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आरटीआई सेल प्राप्त आरटीआई आवेदनों को संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित करता है। यह केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय भी करता है। आरटीआई प्रकोष्ठे आरटीआई आवेदनों/अपीलों से संबंधित त्रैमासिक विवरण सीआईसी को भेजने के लिए भी उत्तरदायी है। आरटीआई वेब पोर्टल पर भी ऑनलाइन प्राप्त सभी आरटीआई आवेदन/अपील संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को भेजी जाती हैं।

2. वर्तमान में, विधि कार्य विभाग में उप सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के 12 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं तथा अपर सचिव, संयुक्त सचिव और समतुल्य स्तर के 5 अपील प्राधिकारी हैं। दिनांक 01.01.2021 से 06.12.2021 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	आरटीआई मामले	कुल (01.01.2021 से 06.12.2021)	(07.12.2021 से 31.03.2022) से प्रत्याशित
1.	आरटीआई आवेदन	2160	1500
2.	निस्तारित प्रथम अपील	174	लागू नहीं
3.	माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील	33	लागू नहीं

10. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग एक विशेष अनुसंधान एकक है जो विधि और न्याय मंत्रालय की विधि की पुस्तकों/जर्नलों/ऑनलाइन विधिक सेवाओं और अन्य अनुसंधान सामग्री की आवश्यकता की देखरेख करता है। यह अनुभाग माननीय विधि और न्याय मंत्री, विधि, विधि अधिकारियों और विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के भारतीय विधि सेवा अधिकारियों को संदर्भ और विधिक अनुसंधान की सेवाएं प्रदान करता है।

2. इस अवधि के दौरान, पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने 300 पुस्तकें और बेयर एक्ट की 348 प्रतियाँ प्राप्ति कीं।
3. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग 14 भारतीय विधि जर्नलों, 2 विदेशी विधि जर्नलों को मंगाता है।
4. पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन सेवाएं/ निर्णय विधि, निर्णयों और आलेखों आदि की सीडी रॉम प्राप्त /नवीनीकरण किया है:-
 - (क) एआईआर कॉम्प्रिहेन्सिव सॉफ्टवेयर/ डाटाबेस
 - (ख) एससीसी ऑनलाइन केस फाइंडर
 - (ग) एससीसी ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज
 - (घ) मनुपात्र ऑनलाइन (आईपी) सर्विसेज

11. विधि कार्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

- (1) विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-
 - (क) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना:

इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन 21.3.1980 को अधिसूचित किया गया था। हिन्दी में प्रवीणता रखने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजी जाने वाली सभी सूचनाएं तथा हिन्दी में लिखित या हिन्दी में हस्ताक्षरित पत्रों

आदि के उत्तर, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से प्राप्त अपीलें और अभ्यावेदन आदि भी शामिल हैं, के प्रारूप हिन्दी में प्रस्तुत किए जाते हैं।

- (ख) राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय:
- i. **व्यक्तिशः आदेशः** राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) की धारा 8(4) के अंतर्गत किये गये प्रावधानों के अनुपालन में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में किए जाने के संबंध में दिनांक 12.4.2021 को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए हैं।
 - ii. **जांच बिंदुः** राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच-बिंदु सृजित करने के लिए दिनांक 05.02.2020 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच-बिंदुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।
 - iii. ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश, गृह निर्माण
 - iv. अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।
 - v. सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में संगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सभी अनुभागों को अंग्रेजी-हिंदी शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं।
 - vi. विभिन्न अनुभागों द्वारा बार-बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित करके उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। सभी मानक प्रारूपों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जा चुका है ताकि कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें। विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टिकयां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।
 - vii. विभाग के सभी कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को प्रदान किए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।
 - viii. **हिंदी शिक्षण योजनाः** विभाग और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान किए जाते हैं।
 - ix. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:** विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। विभाग के राजभाषा अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं और निदेशक (प्रशा0), सभी उप सचिव/ अवर सचिव, और अनुभागों के प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के

सदस्य हैं जबकि उप निदेशक(राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी सदस्यों/अनुभागों को परिचालित किया जाता है।

- x. **हिन्दी दिवस/हिन्दी माह का आयोजन:** राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि से विधि कार्य विभाग में दिनांक 14.9.2021 को "हिन्दी दिवस" मनाया गया। इस अवसर पर माननीय विधि और न्याय मंत्री, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री तथा विधि सचिव ने अपने-अपने संदेशों में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील की। माननीय गृह मंत्री के संदेश को भी विभाग और उसके कार्यालयों में परिचालित किया गया। इस संबंध में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए विभाग में 1.9.2021 से 30.9.2021 तक "हिन्दी माह" का आयोजन किया गया। इसे विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने और अधिकतम कार्य हिन्दी में करने की दृष्टि से किया गया था। इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान 6 प्रतियोगिताओं अर्थात् "हिन्दी निबंध प्रतियोगिता," "अनुवाद प्रतियोगिता" "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," "हिन्दी टंकण प्रतियोगिता", "श्रुतलेखन प्रतियोगिता" (समूह 'घ' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए) और "हिन्दी कामकाज प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 94 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 68 सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। विभाग के शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।
- xi. **अनुभागों/प्रभागों का निरीक्षण:** गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशों तथा तत्संबंधी वार्षिक कार्यक्रम की अनुपालना में विधि कार्य विभाग के अनुभागों/प्रभागों का हिंदी संबंधी निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विभाग के प्रशासन-I एवं प्रशासन-II अनुभागों का दिनांक 08.09.2021 (पूर्वाह्न और अपराह्न) को निरीक्षण संबंधी कार्य किया गया।
- xii. **हिंदी कार्यशाला :** संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, विधि कार्य विभाग (मुख्यालय) में कार्यरत कर्मचारियों को उनके दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए दिनांक 22.09.2021 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधि कार्य विभाग के अनुभागों में तैनात अधिकारियों/सहायकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/कोर्ट क्लर्कों को श्री प्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) द्वारा व्याख्यान/प्रशिक्षण दिया गया।
- xiii. **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण:** संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 09.04.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण के दिल्ली पीठ का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण कार्यक्रम में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व राजभाषा अधिकारी डॉ. अंजु राठी राणा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार ने किया तथा उप निरीक्षक (रा.भा.) एवं सहायक निदेशक (रा.भा.) भी उक्त निरीक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

- xiv. **आजादी का अमृत महोत्सव** : विधि सचिव के अनुमोदन से 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर दिनांक 9 नवंबर, 2021 को उक्त विषय पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में 11 कर्मचारियों ने भाग लिया तथा सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

12. दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा

भारत सरकार के रेल और आय-कर विभागों को छोड़कर, सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा संबंधी कार्य मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। सहायक विधि सलाहकार/ अधीक्षक (विधि) और अन्य कर्मचारियों की सहायता से प्रभारी अधिकारी मुकदमा कार्य की देखरेख करते हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

- (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में संचालित मुकदमे सामान्य तः निम्नलिखित से संबद्ध होते हैं:-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन सिविल और दांडिक रिट याचिकाएं, सिविल विविध आवेदन, खंडपीठ अपीलें, कंपनी आवेदन, निष्पादन आवेदन और विविध दांडिक।

- (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में संचालित मुकदमे सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:-

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, एन.सी.एल.टी., एन.सी.एल.ए.टी., अवैध गतिविधि (निवारण अधिकरण), ऋण वसूली अधिकरण, ऋण वसूली अपील अधिकरण, आप्रवासी अपील समिति, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय सूचना आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि।

- मुकदमा कार्य दो अनुभागों – मुकदमा (उ.न्या.) अनुभाग 'ए' और 'बी' द्वारा किया जाता है, जिनका पर्यवेक्षण सहायक (विधि)/अधीक्षक (विधि) द्वारा किया जाता है। अनुभाग 'ए' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिकाओं, लेटर पेटेंट अपीलों और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम नोटिसों, जिनमें सामान्य प्रकृति के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में कार्रवाई करता है। अनुभाग 'बी' माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ की ओर से दायर की गयी रिट याचिकाओं और मूल पुनरीक्षण याचिकाओं आदि के संबंध में कार्रवाई करता है। यह अनुभाग उपर्युक्त पैरा 1(ख) में उल्लिखित अन्य न्यायालयों/अधिकरणों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।
- केन्द्रीय सरकार के मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत के एक अपर महा-सालिसिटर (एएसजी), 27 स्थायी केंद्रीय सरकारी काउंसिल (सीजीएससी), 07 विशेष काउंसिल, 237 वरिष्ठ काउंसिलों और 167 सरकारी प्लीडरों के पैनल हैं। सार्वजनिक महत्व के और विधि के जटिल प्रश्न वाले मामलों में विधि अधिकारियों में से किसी एक विधि अधिकारी, अर्थात् भारत के महान्यायवादी/भारत के महा-सालिसिटर/भारत के अपर महा-सालिसिटर को नियोजित किया जाता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों में सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित विभागों और काउंसिलों से निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। उप विधि सलाहकार और अन्य अधिकारी मामलों की हर प्रगति पर कड़ी निगरानी रखते हैं।
- मुकदमा (उ.न्या.) अनुभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 01/04/2021 से 30/11/2021 की अवधि के दौरान इस एकक ने एएसजी और

काउंसिल के संबंध में लगभग 8500 व्यावसायिक शुल्क बिलों का भुगतान किया है, जिनकी राशि 8 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, लगभग 4 करोड़ रुपये के शुल्क बिल भुगतान प्रक्रियाधीन हैं जो बजटीय अनुमानों के संशोधनों के अधीन हैं।

5. दिनांक 01.01.2021 से 30.11.2021 अवधि के दौरान मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए 5626 मामलों में विधि अधिकारी और सरकारी काउंसिल नियोजित किये हैं। मामलों की प्राप्ति का अनुभागवार ब्यौरा और अनुमानित प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

मुकदमा उच्च न्यायालय अनुभाग

अनुभाग	01/01/2021 से 30/11/2021 तक प्राप्त मामलों की संख्या	01/12/2021 से 31/03/2022 तक की अवधि में अनुमानित मामले	कुल
ए	5169	2000	7169
बी	457	170	627
कुल	5626	2170	7796

मुकदमा एएफटी दिल्ली

6. 01/01/2021 से 30/11/2021 की अवधि के दौरान, एएफटी दिल्ली में मुकदमा चलाने के लिए 2490 मामलों में मुकदमा एएफटी अनुभाग ने सरकारी काउंसिलों को नियुक्त किया है। मामलों की प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है:-

मुकदमा एएफटी दिल्ली

अनुभाग	01/01/2021 से 30/11/2021 तक प्राप्त मामलों की संख्या	01/12/2021 से 31/03/2022 तक की अवधि में अनुमानित मामले	कुल
एएफटी	2490	950	3440

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमा कार्य

7. मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) दिल्ली प्रकोष्ठ भारत संघ के मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामलों / मुकदमों की देखरेख करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में भारत संघ के मंत्रालयों/विभागों के हितों का बचाव करने के लिए अनुमोदित पैनल में से काउंसिल नामनिर्दिष्ट करता है।
8. दिनांक 01/01/2021 से 30/11/2021 तक की अवधि के दौरान, मुकदमा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) में मुकदमों के संचालन के लिए 1100 मामलों में सरकारी काउंसिल नियोजित किये हैं। मामलों की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ), दिल्ली में मुकदमा-कार्य

अनुभाग	01/01/2021 से 30/11/2021 तक प्राप्त मामलों की संख्या	01/12/2021 से 31/03/2022 तक की अवधि में अनुमानित मामले	कुल
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) प्रकोष्ठ	1100	400	1500

13. मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीस हजारी

दिल्ली/ नई दिल्ली में रेल और आय-कर विभाग को छोड़कर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य का संचालन मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त न्यायालयों/अधिकरणों में मुकदमा कार्य की देखभाल एक अधीक्षक (विधि)/ सहायक (विधि) की सहायता से इस अनुभाग के प्रभारी सहायक विधि सलाहकार एवं प्रभारी द्वारा की जाती है।

- वरिष्ठ पैनल काउंसिलों और अपर केंद्रीय सरकारी काउंसिलों का एक पैनल बनाया गया है, जिनको भारत संघ अर्थात् भारत सरकार की ओर से मामलों के संचालन हेतु नामित किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर न्यायालयों में उनकी ओर से पेश होने के लिए उपयुक्त काउंसिल नियोजित किये जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने 363 मामलों में काउंसिल नियोजित किये। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता फोरमों/अधिकरणों में सरकार (भारत संघ) के हित की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों और सरकारी काउंसिलों के साथ हर समय निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।
- माननीय न्यायालयों द्वारा मामलों में निर्णय देने पर सरकारी काउंसिल एक निर्धारित प्रपत्र में अपना फीस बिल प्रस्तुत करता है। फीस के बिलों को प्रमाणित करने और विहित दरों पर संदाय करने से पूर्व, उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस अनुभाग में सरकारी काउंसिल/वरिष्ठा पैनल काउंसिलों से फीस के 20 बिल प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2021-22 में इस अनुभाग ने 1,30,00,000 (1 करोड़ तीस लाख) रुपये का बजट आबंटित किया। इस राशि में से 4,15,955 (चार लाख पंद्रह हजार नौ सौ पचपन) रुपए की राशि का सरकारी काउंसिल/वरिष्ठ पैनल काउंसिलों को उनके व्यावसायिक फीस बिलों के लिए भुगतान किया गया है।
- न्यायपालिका में, विशेष तौर पर जिला न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सामंजस्य रखने के लिए और मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा.सू.के.) द्वारा किये गये प्रणाली अध्ययन की रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।
- इस अनुभाग के प्रभारी शाखा अधिकारी सहायक विधि सलाहकार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में भी पदाभिहित किया गया है। अधीक्षक (विधि) मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग का पर्यवेक्षण करते हैं।

14. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग की स्थापना वर्ष 1950 में की गयी थी। यह अनुभाग केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा उसके अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमा कार्य के संचालन के लिए जिम्मेदार है। उच्चतम न्यायालय में भारत संघ की ओर से विशेष अनुमति याचिकाएं/कुछ मामलों में अपीलें, फाइल करने की व्यवहार्यता के बारे में विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के पश्चात् केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से फाइल की जाती हैं। इस कार्यालय का कार्य एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी देखते हैं; जिन्हें कार्यालय प्रमुख की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। उनकी सहायता के लिए 7 सरकारी अधिवक्ता और 1 परामर्शदाता (अभिलेख अधिवक्ता) हैं। 13 विधि अधिकारी और 815 सरकारी पैनल काउंसल हैं। केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग उच्चतम न्यायालय परिसर, नयी दिल्ली से कार्य करता है।

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं :

- महान्यायवादी, महासॉलिसिटर और अपर महॉसालिसिटरों की राय के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ।
 - विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों / अनुमोदित पैनल काउंसलों को नियोजित करना।
 - भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का संचालन और पर्यवेक्षण।
 - रिकार्ड का पर्यवेक्षण, विधि अधिकारियों, पैनल काउंसलों, कंप्यूटर टाइपिस्टों और फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटरों के फीस बिलों का भुगतान करना।
2. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के सरकारी अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय के अभिलिखित अधिवक्ता की अर्हता की आवश्यकता है। ये भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं।
 3. केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के कंप्यूटरीकृत रिकार्ड के अनुसार, दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और संघ राज्य क्षेत्रों से 3001 नये मामले प्राप्त हुए जिनमें भारत संघ या संघ राज्य क्षेत्र या तो याचिकाकर्ता या प्रतिवादी थे।
 4. कागज रहित कामकाज के कार्यान्वयन के लिए, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग ने सभी मामलों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करने के लिए डिजिटलीकरण परियोजना शुरू की है। 06.12.2021 की स्थिति के अनुसार, 402918 पृष्ठों वाली लगभग 1360 फाइलों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। जनवरी 2000 से उच्चतम न्यायालय में दाखिल होने के लिए तैयार सभी मामले डिजिटल रूप में हैं।

15. भारत का विधि आयोग

विधिक सुधारों हेतु कार्य करने के लिए निर्दिष्ट विचारार्थ विषयों के साथ भारत के विधि आयोग का गठन सामान्यतः हर तीन साल में होता है। भारत के 22वें विधि आयोग का गठन दिनांक 21.02.2020 को अधिसूचना द्वारा किया गया था लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी की जानी है। इस आयोग में विधि पक्ष की ओर से भारतीय विधि सेवा के विधि अधिकारी शामिल हैं और प्रशासन की ओर से केन्द्रीय

सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।

विचारार्थ विषय: 22वें विधि आयोग में निम्नलिखित विचारार्थ विषय शामिल हैं—

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन:

- (i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गयी हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।
- (ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।
- (iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।
- (iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गये पुनरीक्षण/ संशोधन के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।
- (v) एक से अधिक मंत्रालयों / विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्यालय मंत्रालय के माध्यम से किये गये निर्देशों पर विचार करना।
- (vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता:

- (i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक-आर्थिक विधानों के लिए पश्च-संपरीक्षा करना।
- (ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :-

- (i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि निर्णय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
- (ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।
- (iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ. लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के

लिए सुझाव देना।

- च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।
- छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गयी है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।
- ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।
- झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गये हों, पर विचार करना।
- ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

छात्रों को प्रोत्साहन:

आयोग स्वैच्छिक इंटरनशिप कार्यक्रम अर्थात् ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम, शीतकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम संचालित करता है। विधि के शासन की स्थापना और उसके लिए विधि की बेहतर समझ हेतु विधि के छात्रों में विधि के अनुसंधान और विधि में सुधार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए विधि आयोग द्वारा इंटरनशिप कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

उद्देश्य और उपलब्धियां :-

विविध विधि आयोगों ने अब तक विभिन्न-विषयों पर 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

अनुवर्ती कार्रवाई :

विधि आयोग की रिपोर्ट समय-समय पर विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संसद में रखी जाती है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों को भेज दी जाती है। सरकार के निर्णय के आधार पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। निरपवाद रूप से, रिपोर्टों को न्यायालयों, संसदीय स्थायी समितियों, शैक्षिक और सार्वजनिक लेखों में उद्धृत किया गया है।

16. नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (एनडीआईएसी)

माध्यस्थम तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदम:

इस संबंध में केंद्र सरकार ने भारत में माध्यस्थम तंत्र को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाए जाने और प्रस्तावित सुधारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने दिनांक 30 जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ साथ माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (एनडीआईएसी) 2019 अधिनियमित किये गये थे।

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 में भारतीय माध्यस्थम परिषद् (एसीआई) की स्थापना का प्रावधान है जो माध्यस्थम के संतोषजनक स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाना, समीक्षा करना और अद्यतन करने का काम करेगी तथा माध्यस्थम संस्थानों का श्रेणीकरण करने वाली नीतियाँ भी बनाएगी। भारतीय माध्यस्थम परिषद् देश भर में माध्यस्थम संस्थानों के बीच मानकों की एकरूपता बनाए रखने के लिए मानदण्ड स्थापित करेगी। यह संशोधन माध्यस्थम मामलों में यह प्रावधान कर न्यायालय के हस्तक्षेप

को कम करेगा कि पक्षकार माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्दिष्ट और भारतीय माध्यस्थम परिषद् द्वारा वर्गीकृत माध्यस्थम संस्थानों के पास जा सकते हैं। वर्तमान में, भारतीय माध्यस्थम परिषद् की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासन बनाने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था, अर्थात् नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना का प्रावधान करता है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए एनडीआईएसी को पसंदीदा सीट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, अन्य बातों के साथ-साथ, सुलह, मध्यस्थता और माध्यस्थम कार्यवाही के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मध्यस्थकों, सुलहकर्ताओं और मध्यस्थों के पैनल बनाए रखेगा या विशेषज्ञ जैसे सर्वेक्षक और जांचकर्ता; सुलह, मध्यस्थता और मध्यस्थ कार्यवाही के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना; अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देगा, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना, और माध्यस्थम, सुलह, मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान मामलों में सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन करेगा।

वर्तमान में, नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

एडीआर तंत्र के रूप में मध्यस्थता को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदम:

सिविल और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करना, मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए निकाय का प्रावधान करना, सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना और ऑनलाइन मध्यस्थता को एक स्वीकार्य और सस्ती प्रक्रिया बनाना तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए, 20.12.2021 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मध्यस्थता पर एक व्यापक स्टैंडअलोन कानून पेश किया गया है।

जैसा कि ज्ञात है मध्यस्थता अधिक अनौपचारिक है और विवादित पक्षों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती है जो समझौते के साथ समाप्त हो सकती है। इस प्रकार, मध्यस्थता, माध्यस्थम के विपरीत, विवादग्रस्त लोगों और व्यवसायों को उनके संबंधों को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि प्रक्रिया में जो समझौता हुआ है वह स्वैच्छिक और सहमति के आधार पर और कई बार निजी होता है। इस विधेयक को 20.12.2021 को जांच और रिपोर्ट के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

17. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015

राष्ट्रों के समूह में किसी देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में वाणिज्यिक और वित्तीय बाजारों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसी आर्थिक गतिविधियों के समृद्ध होने के लिए, नियमों का सरल ढांचा जो निवेशकों को प्रोत्साहित करता है और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, एक पूर्व-आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने भारत को निवेश और व्यापार के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले कानूनों और नियमों को बनाने को उच्च प्राथमिकता दी है। इस संदर्भ में, सरकार ने पहले वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया था।

एजेंडा को आगे बढ़ाने और देश में आर्थिक सुधारों को जारी रखने के लिए, केंद्र सरकार ने देश में निवेश और व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने और अदालतों के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रयास में, केंद्र सरकार ने 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015 में संशोधन किया है। संशोधनों ने वाणिज्यिक विवाद के निर्दिष्ट मूल्य को पहले

के 1.00 करोड़ रुपये से कम करके 3 लाख रु. करके और साधारण मूल सिविल क्षेत्राधिकार में शामिल उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करके वाणिज्यिक विवादों को सुविधा प्रदान की। और न्यायिक प्रणाली पर भार को कम करने के लिए, एक आवश्यक "संस्थापूर्व मध्यस्थता और निपटान" (पीआईएमएस) (एडीआर तंत्र) पेश किया गया है जो कुछ मामलों को इसके निपटान के लिए पहली बार में ही मध्यस्थता के लिए भेज देता है। मध्यस्थता राज्य विधि सेवा प्राधिकरण और जिला विधि सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित की जानी है जैसा कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत प्रावधान किया गया है। पीआईएमएस तंत्र के माध्यम से विवाद को हल करने में विफल होने पर, दावेदार अपने व्यापारिक विवाद समाधान के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। संशोधित अधिनियम ऐसे क्षेत्रों में जिला स्तर पर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान करता है जहां उच्च न्यायालयों को सामान्य मूल सिविल अधिकार क्षेत्र नहीं है और वाणिज्यिक विवाद का मामला पहली बार जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाता है।

30.06.2021 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों के वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना संबंधी राज्यवार आंकड़े (उच्च न्यायालय) अनुबंध-II में हैं।

18. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)

परिचय: भारतीय विधि संस्थान एक प्रमुख विधि अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना दिनांक 27 दिसंबर, 1956 को हुई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य विधि में उच्च अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना है ताकि विधि और उसके तंत्र के जरिए लोगों की सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस संस्थान को वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान ने मार्च, 2017 में राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) से 4.00 अंकों के पैमाने पर 3.35 का सीजीपीए हासिल करके 'ए' ग्रेड सहित अपनी पहली मान्यता प्राप्त की। यह संस्थान विधि में मास्टर डिग्री और डॉक्टर के पाठ्यक्रमों सहित विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात् वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

अकादमिक कार्यक्रम: वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) की मेरिट और साक्षात्कार के जरिये होता है। वर्तमान में, संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2021-22 में दाखिल छात्रों की संख्या
एल.एल.एम.- 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	41
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक संपदा अधिकार विधि)	235
विधि में पीएच.डी. सीटों की संख्या	38*
छात्रों की कुल संख्या	314

* अभी 10 छात्र नामांकित होने हैं।

संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें आज की तारीख तक 28 छात्र नामांकित हैं।

“साइबर विधि”(39वां बैच) और “बौद्धिक संपदा अधिकार तथा इंटरनेट युग में सूचना प्रौद्योगिकी” (50वें बैच) का तीन माह की अवधि का ई-लर्निंग पाठ्यक्रम दिनांक 19 अक्टूबर, 2021 को पूरा हुआ।

साइबर विधि में ऑनलाइन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के 40वें बैच के लिए 64 छात्र और ऑनलाइन बौद्धिक संपदा अधिकार पाठ्यक्रम के 51वें बैच के लिए 59 छात्रों का दाखिला हुआ है।

संस्थान की गतिविधियां: भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित व्याख्यान/ सम्मेलन/ वार्ता/ सेमिनार की वेब श्रृंखला

- 15 जनवरी, 2021 को ‘जनहित याचिका-औसत नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान का महत्व’ पर वेबिनार’
- 17 जनवरी, 2021 को ‘महिला कैदी: महिला कैदियों पर दुनिया का पहला फोकस’ पर वेबिनार
- **“इनोवेटर जीनियस:** वी.आर. कृष्णा अय्यर और सतर्क नायक – पी.एन. भगवती” 19 जनवरी 2021 को वेबिनार

आजादी का अमृत महोत्सव: भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न: 12 मार्च, 2021 को वार्ता स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के विषय के साथ ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की पहल के एक भाग के रूप में, देश भर में कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं और भारतीय विधि संस्थान ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये हैं:

- (i) 12 मार्च, 2021 को “दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व” और “महात्मा गांधी द्वारा भारत के लोगों से 1882 के भारतीय नमक अधिनियम का बहिष्कार करने का आह्वान” विषय पर एक वार्ता जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में “आजादी का अमृत महोत्सव” मनाने के भाग के रूप में थी।
- (ii) 16 अप्रैल, 2021 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति में सम्मेलन।
- (iii) 25 सितंबर, 2021 को “संवैधानिक सिद्धांतों और संवैधानिक संस्कृतियों पर विचार” पर आभासी वार्ता।
- (iv) 30 सितंबर, 2021 को “द लिमिट्स ऑफ लिबर्टी: राइट्स एंड ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन” पर आभासी वार्ता।
- (v) 05 अक्टूबर, 2021 को “ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय की उपलब्धियों और चुनौतियों में मानवाधिकार” पर आभासी वार्ता।
- (vi) 11 अक्टूबर, 2021 को “न्याय तक पहुंच: समाज की अधूरी न्याय आवश्यकताओं के लिए विधि के छात्रों को संवेदनशील बनाना” पर आभासी वार्ता।
- (vii) 20 अक्टूबर, 2021 को “कानून के पर्यावरण नियम और पर्यावरण के संरक्षण” पर आभासी वार्ता।
- (viii) 26 अक्टूबर, 2021 को “भारत में लैंगिक समानता और श्रम कानून” पर आभासी वार्ता
- (ix) 31 अक्टूबर, 2021 को “राष्ट्रीय एकता दिवस और भारत में कानूनी अनुसंधान के लिए समकालीन अनिवार्यता” पर आभासी वार्ता।
- (x) 3 नवंबर, 2021 को “इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में स्वदेशी के अधिकार और प्रकृति के अधिकारों के साथ संबंध” पर आभासी वार्ता।
- (xi) 26 नवंबर, 2021 को “भारतीय संविधान: जीवित दस्तावेज़” पर आभासी वार्ता

भारतीय स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई

पहल आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव मनाने के लिए भारतीय विधि संस्थान ने भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से, 9 अगस्त, 2021 से 13 अगस्त, 2021 तक और फिर 8 नवंबर, 2021 से 14 नवंबर, 2021 तक व्याख्यानों की एक सप्ताह भर की श्रृंखला का आयोजन किया।

हमारे राष्ट्र के शानदार संविधान के कामकाज पर फिर से विचार करने के लिए, उसी परियोजना के एक हिस्से के रूप में, "भारतीय संविधान का प्रगतिशील प्रभाव" विषय पर 19 अगस्त, 2021 को एक आभासी वार्ता आयोजित की गई थी।

प्रो. (डॉ.) डीइल्टन रिबेरो ब्रासिल द्वारा 7 सितंबर, 2021 को "कोविड-19 के दौरान न्यायिक सक्रियता, मौलिक अधिकार और ब्राज़ीलियाई सुप्रीम कोर्ट हाउस डिजीजन" पर वेबिनार।

प्रो. (डॉ.) आर. वेंकट राव द्वारा 9 सितंबर, 2021 को "विधि, साहित्य और जीवन" पर वेबिनार।

संस्थान ने विधि और न्याय मंत्रालय के निर्देश के अनुसार भारत के संविधान की 70 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए "भारत के संविधान और मौलिक कर्तव्यों का सिंहावलोकन" को कवर करते हुए 30 मिनट की ऑडियो-विजुअल डॉक्यूमेंट्री क्लिपिंग भी तैयार की। इन ऑडियो विजुअल्स को संस्थान के साथ-साथ विधि कार्य विभाग की वेबसाइटों पर रखा गया था। स्कूलों और कॉलेजों द्वारा अपने संबंधित छात्रों को इसकी स्क्रीनिंग के लिए मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

दौरे: माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने 17 सितंबर, 2021 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा किया तथा हाशिए के समूहों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए विधि शिक्षा में सुधार और विधि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए संकाय सदस्यों और प्रशासन के साथ बातचीत की।

माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने 8 अक्टूबर, 2021 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा किया।

माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 11 नवंबर, 2021 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा किया।

पुस्तक विमोचन: संस्थान ने निम्नलिखित पुस्तकों का विमोचन किया:

- "क्लिनिकल एंड कंटिनुइंग लीगल एजुकेशन: ए रोडमैप फॉर इंडिया" – प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार, डॉ. प्रकाश शर्मा और अभिषेक कुमार पांडे द्वारा संपादित
- "रीथिंकिंग लॉ एंड वायलेंस" – प्रो. डॉ. ज्योति डोगरा सूद और डॉ. लतिका वशिष्ठ द्वारा संपादित।
- "डिस्पेलिंग रेटोरिक: इस्लाम में तलाक और लिंग असमानता का कानून" – प्रो डॉ मनोज कुमार सिन्हा और प्रो डॉ फुरकन अहमद द्वारा संपादित।
- 24 सितंबर, 2021 को शाम 4:00 बजे भारतीय विधि संस्थान में "लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसन" पुस्तक के विमोचन के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था।

प्रकाशन: रिपोर्ट की अवधि के दौरान भारतीय विधि संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किये गये हैं:—

- जर्नल आफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जीली) – राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व के समकालीन विधिक मुद्दों को शामिल करने वाले शोध लेख का त्रैमासिक प्रकाशन।
- आईएलआई न्यूजलेटर— वर्ष के दौरान तथा आगामी गतिविधियों सहित संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों से संबंधित त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन।
- इंडेक्स टू लीगल पिरियाडिकल्स—इसका वार्षिक प्रकाशन होता है और इसमें भारतीय विधि संस्थान

पुस्तकालय में प्राप्त होने वाले (सदस्यता, अदला-बदली द्वारा या अतिरिक्त) विधि और संगत क्षेत्रों से संबंधित पत्रिकाएं, अनुक्रमणिकाएं (इयर बुक सहित अन्य वार्षिक पत्रिकाएं) शामिल हैं।

- एनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ- वार्षिक रूप से प्रकाशित और संस्थान का एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशन है। इसमें भारतीय कानून का वार्षिक सर्वेक्षण शामिल होता है जिसमें महत्वपूर्ण कानून की हर शाखा में नवीनतम रुझान शामिल होते हैं।
- प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा और आर्य ए. कुमार द्वारा पुस्तक शीर्षक ह्यूमन राइट्स ऑफ वल्लरेबल ग्रुप्स: नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स
- आईएलआई कानून की समीक्षा (ग्रीष्मकालीन) और (शीतकालीन)

गतिविधियों का पूर्वानुमान:

आगामी प्रकाशन

- ❖ जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जिली) खंड 63 (जुलाई-सितंबर 2021)
- ❖ आईएलआई न्यूज लेटर खंड XXIII, अंक III, (जुलाई-सितंबर 2021)
- ❖ एनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ-2020
- ❖ इंडेक्स टू लीगल पीरियाडिकल्स-2020

* महामारी की स्थिति के कारण उपरोक्त त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन/पत्रिका का प्रकाशन अभी बाकी है। महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संस्थान ने ऑनलाइन बौद्धिक गतिविधियों और आभासी मंच के द्वारा सभी कक्षाओं को आयोजित करने में अकादमी के सदस्यों को लगाया। संस्थान मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों के क्रम में इस वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान वेबिनार की श्रृंखलाएं आयोजित करता रहेगा।

आजादी का अमृत महोत्सव: भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न:

स्वतंत्रता के अमृत के उत्सव के विषय के साथ 'आजादी का अमृत महोत्सव' की पहल के एक भाग के रूप में, यह संस्थान चालू वित्त वर्ष के शेष भाग के दौरान भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखेगा।

संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला:

यह संस्थान वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान पुलिस अधिकारियों, जेल अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करेगा।

19. शाखा सचिवालय, कोलकाता

2021-2022 के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता का नेतृत्व अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा किया गया है जो प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। शाखा सचिवालय, कोलकाता दूसरी और तीसरी मंजिल, मध्य भवन, 11, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001 से कार्य कर रहा है। इसके आठ खंड हैं, अर्थात् सलाह, मुकदमा, प्रशासन, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ निम्न न्यायालय, रोकड़ और लेखा, हिंदी, काउंसिल फीस बिल, और प्राप्ति व निर्गम अनुभाग। इसके अतिरिक्त, इस शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है, जिसमें 10800 से अधिक पुस्तकें हैं।

2. शाखा सचिवालय, कोलकाता का मुकदमा खंड कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरंभिक और अपीलीय, दोनों तरह से सभी मुकदमों की देखरेख करता है। यह शाखा सचिवालय 12 राज्यों और एक संघ

राज्य क्षेत्र के माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी स्थित अपने सर्किट बेंच और विभिन्न अधिकरणों, जिला फोरमों, राज्य आयोगों और निम्नो न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमा कार्य की देखरेख कर रहा है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता पीठ और उसके कटक, गुवाहाटी, पटना के अन्य पीठों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्किट पीठों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। शाखा सचिवालय, कोलकाता सीजीआईटी, माध्यस्थम, एनजीटी, एनसीएलटी, एनजीटी, सीईएसटीएटी, राज्य उपभोक्ता फोरम और डीआरएटी, डीआरटी, उपभोक्ता फोरम, निम्न न्यायालय आदि के समक्ष मंत्रालय/विभागों की ओर से मामले के लिए पेश या विरोध के लिए सरकारी पैनल काउंसलों नियुक्त करता है। यह शाखा सचिवालय संबंधित मंत्रालयों / विभागों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर मध्यस्थों के समक्ष माध्यस्थम मामलों में पैनल काउंसल भी नियुक्त करता है।

3. इस शाखा सचिवालय का सलाह खंड आयकर विभाग, फेरा / फेमा, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों जिनके कार्यालय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं और अन्य केंद्र सरकार के कार्यालय जो पूर्वी क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, लेकिन कार्रवाई का कारण कोलकाता में है या कोलकाता में उनका मुख्यालय है (जैसे आयुध निर्माणी बोर्ड) सहित केंद्रीय सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों को संबंधित विभागों/मंत्रालयों से संदर्भ प्राप्त होने पर विधिक सलाह देता है।
4. 2021-2022 के दौरान, सलाह खंड का नेतृत्व अपर सरकारी अधिवक्ता कर रहे हैं। जनवरी, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 के दौरान, विधिक सलाह के लिए कुल 815 संदर्भ प्राप्त हुए और शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा निपटा गया। सभी सलाह निर्धारित अवधि के भीतर प्रदान की गई थीं और यह अनुमान है कि लगभग 250 संदर्भ 7 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान प्राप्त किए जाएंगे।
5. मुकदमा खंड में, सरकारी अधिवक्ता, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXVII के नियम 8 ख (क) के अर्थ में अभिलिखित-अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियोजित किये गये पैनल काउंसल के माध्यम से मामले पर सुनवाई/बहस करवाते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपर सॉलिसिटर जनरल महत्वपूर्ण मामलों में उपस्थित हुए, जिनकी सहायता शाखा सचिवालय द्वारा नियुक्त पैनल काउंसल ने की।
6. जनवरी, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 के दौरान इस शाखा सचिवालय, कोलकाता में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और स्वायत्त निकाय आदि की ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबंधित 2690 संदर्भ प्राप्त हुए और कलकत्ता उच्च न्यायालय की वेबसाइट काउंसलों / विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2184 मामले निपटाये गये। अनुमान है कि 7 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान लगभग 870 संदर्भ प्राप्त होंगे और लगभग 400 मामलों का निपटारा किया जाएगा। जनवरी, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 के दौरान राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, कोलकाता बेंच के संबंध में कुल 55 संदर्भ प्राप्त हुए और अनुमान है कि 7 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान लगभग 25 संदर्भ प्राप्त होंगे।
7. जनवरी, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 के दौरान माननीय कैट, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर बेंच के समक्ष सेवा मामलों पर काउंसलों की नियुक्ति के लिए शाखा सचिवालय, कोलकाता में कुल 619 मामले प्राप्त हुए और यह अनुमान है कि लगभग 7 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान 200 संदर्भ प्राप्त होंगे। जनवरी, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 के दौरान निपटाए गए मध्यस्थता मामलों

सहित नीचे की अदालतों में मामलों की संख्या 147 थी, यह अनुमान है कि 7 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान लगभग 50 संदर्भ प्राप्त होंगे। साथ ही, इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों ने मुकदमे के सुचारु संचालन और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विभागीय अधिकारियों और नियुक्त काउंसिलों के साथ सम्मेलन किया था।

8. शाखा सचिवालय, कोलकाता में आरटीआई मामलों को देखने के लिए अपील प्राधिकारी (अपर सरकारी अधिवक्ता), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एसीपीआईओ हैं। 2021-2022 के दौरान 6 दिसंबर, 2021 तक कुल 29 आरटीआई संदर्भ और 4 अपीलें प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर उनका विधिवत निपटान किया गया।
9. 2021-2022 के दौरान पैनल वकील द्वारा प्रस्तुत पेशेवर शुल्क बिलों के दावों को तेजी से संसाधित किया गया है और पेशेवर शुल्क और पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी वकील के लिए रिटैनेरशिप शुल्क के भुगतान के लिए 2,00,00,000/- रुपये स्वीकृत संशोधित अनुमान है। 6 दिसंबर, 2021 तक उन्हें भुगतान करने के लिए 1,74,90,943/- रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। बजट की शेष राशि का भुगतान अगले तीन महीनों 2021-2022 में किया जाएगा।
10. इस शाखा सचिवालय में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अनुभाग है। जनवरी, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए राजभाषा समन्वय समिति की सभी तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित हुईं और कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। हिंदी शिक्षण योजना के तहत अधिकांश कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नियमित प्रकृति का कार्य हिन्दी में करने के लिए संदर्भ सामग्री तैयार कर अनुभागों में वितरित कर दी गई है। इस शाखा सचिवालय में सितंबर 2021 के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 'हिंदी पखवाड़ा' भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान छह प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिये गये। आवश्यक प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में नियमित आधार पर मुख्य सचिवालय को अग्रेषित किये जा रहे हैं। शाखा सचिवालय, कोलकाता के विभिन्न स्टॉप, अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश और परिवर्तित अवकाश संबंधी विवरण को पहले ही 'द्विभाषी' बना दिया गया है।
11. शाखा सचिवालय, कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर विभिन्न लेखा और बजट संबंधी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही, यहां एन.आई.सी. द्वारा विकसित 'पी.एफ.एम.एस.' पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों, सरकारी काउंसिलों और अन्य सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ-साथ, स्रोत पर काटे गये कर को प्रत्येक माह 24जी इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार कर आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद, टीडीएस का त्रैमासिक रिटर्न की इलैक्ट्रॉनिक 24 क्यू और 26 क्यू में तैयार तथा सीडी के माध्यम से टीआईएन सुविधा केंद्र द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। जीएसटी-टीडीएस के संबंध में नये प्रारूप में कटौती की जाती है और जीएसटी प्राधिकरण को रिटर्न दाखिल किया जाता है। वेतन और लेखा कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन भेजी जाती है। सरकारी क्वार्टरों की लाइसेंस फीस का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है। वस्तुओं, स्टेशनरी और अन्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट <https://gem.gov.in> का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। पेंशन के नये मामलों को 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

12. इस शाखा सचिवालय, कोलकाता का पुस्तकालय, जिसमें 10800 से अधिक पुस्तकें और पत्रिकाएँ हैं, अपनी योग्यता साबित कर रहा है और मुकदमेबाजी में उपयोग के लिए और साथ ही साथ सरकारी मंत्रालयों/ विभागों की सलाह का पालन करने में बहुत मददगार है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन विधि पुस्तकालय 'मनुपात्रा' और 'एससीसी ऑनलाइन' को भी सब्सक्राइब किया गया है।
13. शाखा सचिवालय, कोलकाता की पिछली लेखा-परीक्षा लेखापरीक्षा महानिदेशक: केन्द्रीय, कोलकाता के कार्यालय के लेखा-परीक्षा दल द्वारा दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की गयी थी। लेखा-परीक्षा दल द्वारा लेखों के आवधिक निरीक्षण के क्रम में छः लेखा आपत्तियां की गयी थीं। इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है और ऑडिट आपत्ति के पैरा को हटाने हेतु ऑडिट को सूचित कर दिया गया है।
14. शाखा सचिवालय कोलकाता में एन.आई.सी. द्वारा विकसित 'लिम्ब्स' सॉफ्टवेयर को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। मुकदमा अनुभाग द्वारा विधि मंत्रालय से संबंधित मामलों को उक्त पोर्टल में विधिवत अद्यतन किया जाता है। पैनल काउंसल को एलआईएमबीएस पोर्टल में लॉगिन आईडी बनाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे ताकि वे कोर्ट के आदेश अपलोड कर सकें और एलआईएमबीएस के माध्यम से शुल्क बिलों का दावा कर सकें।
15. आजादी का अमृत महोत्सव 8 नवंबर, 2021 से 14 नवंबर, 2021 तक शाखा सचिवालय, कोलकाता में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। उक्त कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये जैसे वृक्षारोपण, पैनल अधिवक्ताओं के साथ कार्यशाला का आयोजन, भारत की पहली संविधान सभा की तस्वीरों का प्रदर्शन, पोस्टर और बैनर आदि का प्रदर्शन। इसके अलावा, 08.11.2021 से 14.11.2021 की अवधि के दौरान इस शाखा सचिवालय के सभी आधिकारिक संचार में सबसे ऊपर आजादी का अमृत महोत्सव का हिंदी और अंग्रेजी लोगो के साथ मुद्रित किये गये थे।
16. भारत के संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर, 2021 को संविधान दिवस के अवसर पर शाखा सचिवालय, कोलकाता के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पढ़ी गई थी। सभी कर्मचारियों ने संबंधित वेबसाइट से प्रस्तावना पढ़ने के संबंध में प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लिया है।
17. 'स्वच्छता अभियान' के तहत शाखा सचिवालय, कोलकाता में नियमित रूप से सफाई अभियान जारी है। 16.10.2021 से 31.10.2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान, शाखा सचिवालय, कोलकाता के सभी अनुभागों ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार फाइलों की समीक्षा की है ताकि समीक्षा की गई फाइलों को हटा दिया जा सके या अन्यथा बरकरार रखा जा सके ताकि कार्यालय की सफाई हो। उक्त अवधि के दौरान 11191 फाइलों की समीक्षा की गई। स्वच्छता पखवाड़ा में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 18.10.2021 को शपथ ली गई। अधिकारियों और कर्मचारियों के निरंतर प्रयास के कारण इस शाखा सचिवालय को स्वच्छ और सुंदर रूप मिला है तथा इसे और बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी है।

20. शाखा सचिवालय, बंगलूरु

शाखा सचिवालय, बंगलूरु की अधिकारिता के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुकदमों का संचालन करना और उन्हें सलाह देना है। शाखा सचिवालय, बंगलूरु के प्रधान एक सहायक विधि सलाहकार हैं।

सलाह: शाखा सचिवालय, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को विधिक सलाह देता है। वर्ष 01.01.2021 से 30.11.2021 के दौरान सलाह के लिए 530 संदर्भ प्राप्त हुए और दिनांक 31.03.2020 तक की शेष अवधि में लगभग 200 सलाह के मामले प्राप्त होने की संभावना है। सलाह कार्य में, उच्च न्यायालयों, अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और कलबुरगी स्थित पीठों तथा अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और हैदराबाद स्थित तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किये जाने वाले अभिवचनों, अर्थात् आक्षेपों के विवरणों, प्रति शपथपत्रों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष फाइल किये जाने वाले उत्तर के विवरणों, जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष फाइल किये जाने वाले लिखित विवरणों, प्रति-शपथपत्रों, प्रति-विवरणों और उनके विभिन्नल पाठों की जांच और उनकी विधीक्षा करना शामिल है।

विशेष अनुमति याचिका, अपील, पुनर्विलोकन आदि फाइल करने की व्यवहार्यता की जांच करना, विभागों को, उनकी कार्रवाइयों की कानूनी मजबूती के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए विधियों का निर्वचन करना और जब कभी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श करना आदि कार्य किये जाते हैं।

मुकदमा कार्य: यह शाखा सचिवालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में और उसके धारवाड़ व कलबुरगी स्थित सर्किट पीठों में और अमरावती स्थित आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और हैदराबाद स्थित तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय, बंगलूरु नगर और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों और इन राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में केंद्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के संपूर्ण मुकदमा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण करता है। यह शाखा सचिवालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों और राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोगों, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण में सरकारी मुकदमों का कार्य भी देखता है। दिनांक 01.01.2021 से 30.11.2021 के दौरान मुकदमों से संबंधित लगभग 3340 मामले प्राप्त हुए, जिनमें काउंसिलों के नामनिर्देशन, काउंसिलों के फीस बिल और मुकदमों से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल है और दिनांक 31.03.2022 तक की शेष अवधि में लगभग 1250 मुकदमों के मामले प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में शाखा सचिवालय द्वारा किये गये कार्यों में काउंसिलों की नियुक्ति/नामनिर्देशन करना तथा केंद्र सरकार के काउंसिलों के बीच मुकदमों का वितरण करना शामिल है।

काउंसिलों के फीस बिल: यह शाखा सचिवालय काउंसिलों के फीस संबंधी बिलों पर स्वयं कार्रवाई करता है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलूरु में भारत के सहायक महासालिसिटर और केंद्रीय सरकारी काउंसिल को अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे फीस का भुगतान करता है। दिनांक 1.1.2021 से 30.11.2021 की अवधि के दौरान कुल 325 फीस बिल प्राप्त हुए और 31.03.2022 तक की शेष अवधि के दौरान लगभग 150 और फीस बिल प्राप्त होने की संभावना है। जहां तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के धारवाड़ और गुलबर्ग के सर्किट पीठों का संबंध है, काउंसिल की फीस शाखा सचिवालय, बंगलूरु द्वारा नहीं बल्कि उस विभाग द्वारा वहन की जाती है, जिसकी ओर से मुकदमे का संचालन किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकारी पैनल काउंसिलों की फीस का भुगतान संबंधित विभाग करते हैं। अतः यह शाखा सचिवालय काउंसिलों की फीस के बिलों को प्रमाणित नहीं कर रहा है। तथापि, इस संबंध में जब भी कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो इस मंत्रालय द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाता है।

हिंदी माह का आयोजन:

अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, बंगलूरु में हिंदी माह मनाया गया। सभी ने 5 प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ सक्रिय रूप

से भाग लिया, जो हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, बंगलुरु के सहायक निदेशक की सहायता से आयोजित की गई जो प्रतियोगिताओं के निर्णायक थे और उन्होंने भाषण दिया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन हर साल सीवीसी द्वारा बहु-प्रचारित दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, जो इस देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम और इसके खिलाफ लड़ाई में जनता को जागरूक करता है।

शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, बंगलुरु ने 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 मनाया। श्री बी. नंद कुमार, सहायक विधि सलाहकार और प्रभारी ने 26 अक्टूबर, 2021 को सुबह 11 बजे अपने कक्ष में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलवायी। सभी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा शारीरिक दूरी और कोविड-19 महामारी के लिए निर्धारित अन्य सुरक्षा उपायों की पालना करते हुए सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

इसके अलावा, भ्रष्टाचार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, नयी दिल्ली के जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई) के तहत पोस्टर शाखा सचिवालय, बंगलुरु द्वारा तैयार किये गये थे और व्यापक प्रचार के लिए केंद्रीय सदन कार्यालय परिसर, बंगलुरु कार्यालय के अंदर प्रदर्शित किये गये थे।

पुरानी फाइलों को हटाने के लिए विशेष अभियान

शाखा सचिवालय, बंगलुरु ने विशेष अभियान के तहत पुरानी फाइलों की समीक्षा और पहचान करके सूची बनाकर 7000 से अधिक फाइलों को हटा दिया।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह

अक्टूबर, 2021 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया गया। शाखा सचिवालय द्वारा आधिकारिक कार्य के लिए आधिकारिक एनआईसी ईमेल आईडी के उपयोग, कवच एप्लिकेशन को स्थापित करने, आधिकारिक पासवर्ड और ओटीपी को किसी के साथ साझा नहीं करने और कंप्यूटर को खुला नहीं छोड़ने के महत्व पर जोर देते हुए एक पोस्टर तैयार किया गया और प्रदर्शित किया गया।

राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन

शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, बंगलुरु ने कोविड-19 महामारी के लिए निर्धारित शारीरिक दूरियों और अन्य सुरक्षा उपायों के मानदंडों का पालन करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था।

श्री बी. नंद कुमार, सहायक विधि सलाहकार और प्रभारी ने 29 अक्टूबर, 2020 को अपने कक्ष में शपथ दिलवायी। सभी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली।

संविधान दिवस का आयोजन

26 नवंबर, 2021 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और सभी अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 महामारी के लिए निर्धारित शारीरिक दूरियों और अन्य सुरक्षा उपायों के मानदंडों की पालना करते हुए सहायक विधि सलाहकार और प्रभारी के कक्ष में एकत्र हुए और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।

आजादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष (आजादी का अमृत महोत्सव) का जश्न मनाने के लिए, एक वरिष्ठ पैनल वकील को शाखा सचिवालय, बंगलुरु के अधिकारियों और कर्मचारियों को "भारत की स्वतंत्रता और न्यायपालिका" पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। शाखा सचिवालय द्वारा "सबका साथ, सबका विकास,

सबका विश्वास, सबका प्रयास" नारे के साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पोस्टर तैयार किये गये हैं तथा अधिकतम दृश्यता और प्रचार के लिए प्रमुख स्थानों पर कार्यालय परिसर और केंद्रीय सदन कार्यालय परिसर में प्रदर्शित किये गये हैं।

21. शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान उप विधि सलाहकार हैं।

सलाह: यह शाखा सचिवालय, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को विधिक सलाह देता है।

सलाह के लिए लगभग 608 संदर्भ प्राप्त हुए और निपटाए गये तथा 01 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में लगभग 150 संदर्भ प्राप्त होने की संभावना है।

मुकदमा कार्य: शाखा सचिवालय, चेन्नै मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ और केरल उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के सम्पूर्ण मुकदमा कार्य (रेल, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि के मामलों को छोड़कर) की देखरेख करता है। यह तमिलनाडु और केरल में नगर सिविल न्यायालयों, लघु वाद प्रेसिडेंसी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता फोरमों आदि में भी केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य की देखरेख करता है। इसके अलावा, शाखा सचिवालय, चेन्नै को चेन्नै स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्रीय सरकार का मुकदमा कार्य भी सौंपा गया है। इस अवधि के दौरान मुकदमों के लगभग 5265 मामले प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय/सीएटी/एलसी आदि की आवतियां, फीस बिल और खोली गयी फाइलें भी शामिल हैं।

शाखा सचिवालय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण गतिविधियों और मुकदमों के परिणामों से अवगत रखता है और यदि आवश्यक होता है तो आगे के लिए उपयुक्त सलाह भी देता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/ अधिकरणों/ उपभोक्ता मंचों/ माध्यस्थम मामलों में फाइल किये जाने वाले अभिवचनों, शपथ पत्रों आदि की जांच की जाती है और मसौदे के चरण में उनकी विधीक्षा की जाती है। शाखा सचिवालय, चेन्नै के कार्यों में, काउंसिलों का नामांकन/ नियोजन करना और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों से मामले से संबंधित सामग्री एकत्र करना तथा उसे काउंसिल को सौंपने से पूर्व दस्तावेजों की कानूनी दृष्टि से आवश्यक जांच करना भी शामिल है।

काउंसिलों के फीस बिल: यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय और उसके मदुरै पीठ के समक्ष मामलों में भारत के अपर महासालिसिटर, सहायक महासालिसिटर, ज्येष्ठ पैनल काउंसिल और केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसिलों को सीधे अपनी केन्द्रीयकृत निधि में से स्वयं फीस का संदाय करता है। संबंधित अवधि के दौरान यानी 1 जनवरी 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक, उच्च न्यायालय, कैट और निचली अदालत से संबंधित लगभग 2609 शुल्क बिलों पर कार्रवाई की गई और रु. काउंसिल को 3,65,08,687/- का भुगतान किया गया, जिसमें रिटेनर शुल्क का भुगतान भी शामिल है।

केन्द्र सरकार के काउंसिलों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के फीस के बिलों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित करने के पश्चात् संदाय के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

21 जून, 2021 को सातवें 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' का आयोजन

कोविड -19 महामारी की स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे उनके संबंधित निवास स्थान पर उनके परिवार सहित दिनांक 21.06.2021 को 'अंतरराष्ट्रीय योग

दिवस' समारोह में भाग लें ताकि वे कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें।

सितम्बर, 2021 में 'हिंदी माह' का आयोजन

मुख्य सचिवालय के राजभाषा एकक के निर्देशों के अनुसरण में सितम्बर, 2021 में हिंदी माह मनाया गया। दिन-प्रतिदिन सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, चेन्नई के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं एवं अन्य संबंधित गतिविधियों में शाखा सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान उप विधि सलाहकार/प्रभारी शाखा सचिवालय एवं उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना ने दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिये।

'आजादी का अमृत महोत्सव' का अवलोकन

कार्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों और यहां तक कि आधिकारिक पत्राचार की फाइलों पर भी 'आजादी का अमृत महोत्सव' (द्विभाषी – हिंदी और अंग्रेजी) का आधिकारिक लोगो लगाया गया।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन

26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार इस शाखा सचिवालय में 'स्वतंत्र भारत @ 75 सत्य निष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया।

दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को उप विधि सलाहकार/प्रभारी द्वारा इस शाखा सचिवालय के सभी अधिकारियों को 'सत्यनिष्ठा' की शपथ दिलाई गई।

'स्वच्छ भारत' मिशन

इस शाखा सचिवालय के उप विधि सलाहकार और प्रभारी ने समय-समय पर कार्यालय की स्वच्छता गतिविधियों की निगरानी और जांच की है। कोविड -19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर, कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, हाथों की सफाई, मास्क पहनना, शारीरिक दूरी आदि को आवश्यक प्राथमिकता दी गयी है।

प्रतिधारण शुल्क

शाखा सचिवालय को अपनी आबंटित निधि में से, तमिलनाडु के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्थायी सरकारी काउंसिल को प्रतिधारण शुल्क के भुगतान का काम भी सौंपा गया है।

ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

इस शाखा सचिवालय में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए पूर्वापेक्षित प्रबंध हेतु इस कार्यालय ने एनआईसी, चेन्नै और बीएसएनएल, चेन्नै के साथ पहले ही पत्राचार आरंभ कर दिया था। शुल्क बिल सहित सभी बिलों का ई-भुगतान किया गया और संबंधित काउंसिलों को सीधे भेजा गया। इसके अलावा, आवश्यक संशोधनों को संबंधित एनआईसी कर्मियों के मार्गदर्शन में 'लिटकेस' सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है ताकि शुल्क बिलों की प्राप्तियों और उनके निपटान से संबंधित जानकारी/डाटा विधिवत अद्यतन हो सके।

आर.टी.आई. प्राप्ति

दिनांक 1 जनवरी, 2021 से 15 दिसंबर, 2021 तक, 66 आरटीआई आवेदन (ऑनलाइन, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से हस्तांतरित और प्रत्यक्ष सहित) और 2 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निपटान किया गया।

22. शाखा सचिवालय, मुंबई

संगठन:

वर्तमान में अपर सरकारी अधिवक्ता शाखा सचिवालय, मुंबई के प्रमुख के रूप में हैं। जहां तक मुंबई शाखा सचिवालय के कार्य का संबंध है, इसमें विधिक सलाह देना, बंबई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख, संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और गोवा के अंतर्गत आने वाले अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य की देखरेख और शाखा सचिवालय का प्रशासनिक कार्य शामिल है।

शाखा सचिवालय के कार्य के सुचारु संचालन के लिए उसे अलग-अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है अर्थात् सलाह अनुभाग, विविध आरंभिक शाखा मुकदमा सहित विविध आरंभिक शाखा मुकदमा अनुभाग, माध्यस्थता, वाद, भूमि अधिग्रहण संदर्भ, कंपनी मामले और फेरा/फेमा/डीजीएफटी से संबंधित मामलों के लिए अपीलीय शाखा सहित आरंभिक अनुभाग तथा दंड विधि से संबंधित मामलों के लिए अपीलीय शाखा मुकदमा अनुभाग। इस शाखा सचिवालय में प्रत्येक अनुभाग के प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनकी सहायता अन्य अधिकारी करते हैं।

कृत्य और कर्तव्य:— विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुंबई भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से निर्देश प्राप्त होने पर विभिन्न विधिक मामलों पर विधिक सलाह देता है और बंबई उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अन्य अधिकरणों और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमा कार्य का संचालन करता है। यह संपूर्ण कार्य प्रभारी/अपर सरकारी अधिवक्ता के मार्ग-निर्देशन में इस शाखा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शाखा सचिवालय को हमेशा माननीय विधि सचिव से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है।

विधिक सलाह: केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विधिक सलाह के लिए प्राप्त निर्देशों की सबसे पहले अधीक्षक (विधि) द्वारा जांच की जाती है और तत्पश्चात् उन्हें अपर सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इन मामलों को कार्य के वितरण/आबंटन के अनुसार चिह्नित करते हैं। यदि जरूरी हुआ तो, सलाह के मामले भारत के अपर महासालिसिटर की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए भी भेजे जाते हैं।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय को सलाह के लिए संदर्भ के तौर पर 2992 मामले प्राप्त हुए हैं और शाखा सचिवालय ने 2992 मामलों का निपटान कर दिया है।

मुकदमा: इस शाखा सचिवालय के मुकदमा कार्य की देख-रेख अपर सरकारी अधिवक्ता/ प्रभारी और अन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है जो बंबई उच्च न्यायालय में भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर मुकदमों की देखरेख करने के काम और कर्तव्यों के निर्वहन करने में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही, इस शाखा सचिवालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा कार्य की देखरेख भी की जाती है। जहां भी आवश्यक होता है, मुकदमा कार्य का संचालन बंबई उच्च न्यायालय के लिए उसकी साधारण प्रारंभिक सिविल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और दांडिक अधिकारिता में भारत सरकार के पैनल पर रखे गये अधिवक्ताओं/ नियुक्त काउंसिलों और विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विभिन्न पैनलों पर रखे गये अन्य काउंसिलों के माध्यम से किया जाता है।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इस शाखा सचिवालय में विभिन्न मुकदमा अनुभागों में लगभग 1797 मामले प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों

के माध्यम से काउंसिल नियुक्त किये गये और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमों के लगभग 1316 मामले निपटाए गये हैं और 481 मामले लंबित हैं।

प्रशासन : शाखा सचिवालय, मुंबई के प्रशासन के प्रमुख प्रभारी/ अपर सरकारी अधिवक्ता हैं। शाखा सचिवालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों की देखरेख हेतु उनकी सहायता के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी है।

राजभाषा: इस शाखा सचिवालय के प्रभारी अधिकारी अपर सरकारी अधिवक्ता 'विभागीय राजभाषा अधिकारी' के रूप में भी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी शाखा सचिवालय में राजभाषा की उन्नति और अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। इस शाखा सचिवालय में राजभाषा समिति का गठन किया गया है। यह समिति प्रभारी को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: अपर सरकारी अधिवक्ता को अपीलीय प्राधिकारी, सहायक विधि सलाहकार को सीपीआईओ और एक अधीक्षक को सीएपीआईओ के रूप में पद नामित किया गया है। इस वर्ष इस शाखा सचिवालय को 29 आवेदन और 08 अपीलें प्राप्त हुईं। इन सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया गया है।

लंबित मामलों का निपटान: विशेष अभियान के अंतर्गत पुरानी फाइलों का निपटान करने के लिए इस शाखा सचिवालय ने 8133 अनावश्यक फाइलों का निस्तारण किया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जागरूकता कार्यक्रम: मुंबई शाखा सचिवालय द्वारा दिनांक 09.12.2021 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला की अध्यक्षता श्रीमती नीता मसुरकर, वरिष्ठ पैनल परामर्शदाता समूह-I ने की, जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

आजादी का अमृत महोत्सव: भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के निर्देशों की अनुपालना में शाखा सचिवालय, मुंबई ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। विधि और न्याय मंत्रालय को आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में 8 नवंबर, 2021 से 14 नवंबर, 2021 तक प्रतिष्ठित / प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित करने का काम सौंपा गया था। तदनुसार, इस शाखा सचिवालय ने उक्त अवधि के दौरान संविधान की प्रस्तावना और समूह चर्चा का वाचन, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर व्याख्यान, आरटीआई अधिनियम का महत्व, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर चर्चा और वंचित लोगों को न्याय / कानूनी सहायता तक पहुंच पर संगोष्ठी / कार्यशाला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया।

23. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स्थायी अंतर-सरकारी बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई, चीन में चीन, किर्गिजस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी। भारत और पाकिस्तान 8-9 जून, 2017 के दौरान अस्ताना में एससीओ के राज्य परिषद् के प्रमुखों की ऐतिहासिक बैठक में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुए।

एससीओ के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं: सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और मिलनसारिता को मजबूत करना; राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना; क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना; और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और

तर्कसंगत नई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ओर अग्रसर होना। एससीओ के चार पर्यवेक्षक राज्य हैं अर्थात् अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके अलावा, एससीओ के छह संवाद साझेदार हैं, अजरबाइजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। विधि कार्य विभाग हाल के दिनों में एससीओ के न्याय मंत्रियों के सत्रों में विभिन्न स्तरों पर भाग लेता रहा है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की आठवीं बैठक की मेजबानी 6 अगस्त, 2021 को भारत ने की थी और इसमें श्री किरेन रीजीजू, माननीय विधि और न्याय मंत्री और प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री ने भाग लिया था। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के विधि और न्याय मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया।

एससीओ के बहुपक्षीय ढांचे के भीतर चर्चा के विभिन्न मंचों के भाग के रूप में, एससीओ सदस्य देशों के प्रोसिक््यूटर जनरल की बैठक हर साल रोटेशन द्वारा आयोजित की जाती है। मंच का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, एससीओ सदस्य देशों द्वारा एससीओ सदस्य देशों के प्रोसिक््यूटरों के कार्यालय में अनुभवों का आदान-प्रदान करने भ्रष्टाचार से निपटने और उसके निवारण के लिए आधुनिक प्रैक्टिस और प्रभावी तंत्र के लिए किया जाता है। विगत में, पूर्ण सदस्य बनने के बाद, भारत ने 2017-2019 के दौरान प्रोसिक््यूटर जनरल की 15वीं-18वीं बैठकों में भाग लिया है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के प्रोसिक््यूटर जनरल की 19वीं बैठक की मेजबानी विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 अक्टूबर, 2021 को की गई थी और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रबुद्ध सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता द्वारा की गई। सुसंगत छायाचित्र अनुबंध-क पर हैं।

24. आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)

उत्पत्ति:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझता है, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। पूर्व भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

पीठों की संख्या:

वर्तमान में गठित अधिकरण में 63 पीठें शामिल हैं। यह 63 पीठें देश के 30 स्टेशनों (02 सर्किट पीठ सहित) में फैली हुई है, जिसके सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या 126 है जिसमें एक (01) अध्यक्ष और दस (10) जोनल उपाध्यक्ष शामिल हैं।

शक्तियां और कृत्य:

आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों सहित प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरुद्ध अपीलों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ या 12क के अधीन पंजीकरण मना करने के आदेश का निपटान करता है। अपीलीय अधिकरण काला धन (गुप्त विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों सहित काला धन (गुप्त विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन मुख्य आयुक्त/आयुक्त द्वारा पारित किसी पुनरीक्षण आदेश का भी निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। तथापि, उपयुक्त मामलों में अध्यक्ष के निर्णय से, पीठ में दो या उससे अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारित से संबंधित है जिस मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

प्रक्रिया और नियम:

अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे संस्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

यह अपीलीय अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन-कर, उपहार-कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण-प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपने पूरे सामर्थ्य से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर-दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय के पलड़े को संतुलित रखते हैं।

जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें करोड़ों रुपयों का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में विधि और तथ्यों के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ-साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। यह अपीलीय अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं, न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि तथ्य और विधि के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायिकतः विनिश्चित किए जाते हैं जो पक्षकारों के लिए अपने आप में ही एक गारंटी है और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष पये गये हैं।

लंबित अपीलें

वित्त वर्ष 2021 के प्रारंभ में अर्थात् दिनांक 01.01.2021 को लंबित अपीलों की संख्या 79754 थी और दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण में लंबित अपीलों की संख्या 54315 थी।

निम्नलिखित सारणी से यह देखा जा सकता है कि लंबन को कम करने की वचनबद्धता के उत्साहजनक परिणाम रहे हैं :-

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	दायर	निपटान	वर्ष के अंत में लम्बित अपीलों की संख्या
2014-2015	45089	30494	103238
2015-2016	39743	51010	91971
2016-2017	48800	48385	92386
2017-2018	50222	49791	92817
2018-2019	51154	51766	92205
2019-2020	45842	50031	88016
2020-2021	9515	30971	66560
(अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक)	12122	24367	54315

लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए प्रयास:

सभी न्यायपीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच और उनकी पहचान करें तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पोस्ट करें। इनमें समूह और छोटे मामले भी शामिल हैं। बार के सदस्यों को आउट आफ टर्न पोस्टिंग के लिए ऐसे समूह के मामलों का आयकर अपीलीय अधिकरण के ध्यान में लाने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, प्रशासनिक आयुक्तों द्वारा धारा 263 के अधीन तलाशी और जब्ती मामलों से संबंधित अपीलों तथा अपीलों के विरुद्ध निपटान को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी प्रकार, धारा 12क के अधीन धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण अस्वीकार करने और धारा 80छ के अधीन मान्यता स्वीकार न करने पर भी प्राथमिकता से कार्रवाई की गई। जब भी अधिकरण से संपर्क किया जाता है वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की गई अपीलों पर भी प्राथमिकता से सुनवाई की जाती है। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए संशोधन के अनुसार 50 लाख तक की आय से संबंधित अपील की सुनवाई एकल-सदस्यीय पीठ द्वारा की जा सकती है। उक्त संशोधन से मामलों के त्वरित निष्पादन में और अधिक मदद मिली है। एक सदस्य वाले मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2021	12068
फरवरी, 2021	9844
मार्च, 2021	8699
अप्रैल, 2021	7518
मई, 2021	7187
जून, 2021	6739
जुलाई, 2021	6352
अगस्त, 2021	6089
सितम्बर, 2021	5911
अक्टूबर, 2021	5516
नवम्बर, 2021	5276
दिसम्बर, 2021	5221

धन कर के मामलों के लंबन के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

माह	कुल लम्बित मामले
जनवरी, 2021	283
फरवरी, 2021	272
मार्च, 2021	236
अप्रैल, 2021	227
मई, 2021	225
जून, 2021	233
जुलाई, 2021	231
अगस्त, 2021	229
सितम्बर, 2021	221
अक्टूबर, 2021	223
नवम्बर, 2021	238
दिसम्बर, 2021	229

63 पीठों के संचालन के लिए सदस्यों के लिए स्वीकृत कुल 126 पदों में से केवल 90 पद भरे गए हैं। 90 में से, 21 सदस्य हाल ही में दिसंबर, 2021 में ट्रिब्यूनल में शामिल हुए हैं। ट्रिब्यूनल में रिक्तियों की बाधाओं और कोविड -19 महामारी की वजह से चल रहे हालात के बावजूद, ट्रिब्यूनल ने गंभीर और ईमानदार प्रयास किए हैं ताकि करवादियों को निष्पक्ष, आसान और त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य के लिए ट्रिब्यूनल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट रूम की सुनवाई आईटीएटी के मौजूदा कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई थी और इसके लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी का उपयोग नहीं किया गया था। वर्चुअल कोर्ट सुनवाई की प्रणाली के संतोषजनक परिणाम सामने आए हैं। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के एक भाग के रूप में, एक सप्ताह के लिए अर्थात् 08.11.2021 से 12.11.2021 तक, ट्रिब्यूनल की 75 पीठों ने काम किया, और 1454 मामलों की सुनवाई हुई।

डिजिटलीकरण:

वर्ष 2000 की शुरुआत में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और हाल के वर्षों में, ट्रिब्यूनल की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में कई नवीन परियोजनाओं को लागू करने के साथ इस प्रक्रिया ने बहुत गति प्राप्त की है। इन वर्षों में, ट्रिब्यूनल द्वारा अपने आदर्श वाक्य "निष्पक्ष सुलभ सतवर न्याय" को पूरा करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को शुरू और कार्यान्वित किया गया है। ऐसी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

(क) आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना

यह परियोजना अधिकरण में न्यायाधिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसमें अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से लेकर उनका निपटान होने तक की स्थिति तथा अधिकरण के आदेशों को अपलोड किया जाता है। यह परियोजना अधिकरण के सभी पीठों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित की गई है। आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, जिसे कभी भी कहीं से भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी पीठ आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन डाटाबेस से जोड़े जा चुके हैं तथा पंजीकरण, डाटा अपडेशन, अधिकरण के आदेश अपलोड करना आदि गतिविधियां वेब अनुप्रयोग द्वारा की जा रही हैं। इस परियोजना का वेब व डाटाबेस सर्वर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्लाउड सर्वर में स्थापित किया गया है।

(ख) आई.टी.ए.टी. की आधिकारिक वेबसाइट

आई.टी.ए.टी. ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट 2016 में पुनर्विकसित की गई है और आम जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए चालू की गई है। इस आधिकारिक वेबसाइट को प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल, सूचनाप्रद, उत्तरदायी बनाने और वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों से अधिक सुग्राही और अद्यतन बनाने के लिए इसका डिजाइन फिर से तैयार किया गया है। इसमें अधिकरण में आने वाले वादकारियों की न्यायिक सूचनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिशील सूचना जैसे कि वाद-सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णयों की खोज आदि जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वादकारियों को और आम जनता को छुट्टियों की सूची, निविदा और नीलामी, सूचनापट्ट, सूचना का अधिकार आदि स्थिर प्रकार की जानकारी भी सुलभ कराई गई है। इस वेबसाइट का व्यापक उपयोग हो रहा है और इसकी व्यापक सराहना हुई है।

(ग) डिजिटल डिसप्ले बोर्ड

आईटीएटी, दिल्ली पीठों ने नए और पर्यावरण-अनुकूल कदम के रूप में बाहरी नोटिस बोर्ड के स्थान पर डिजिटल नोटिस बोर्ड को प्रतिस्थापित किया है। मामला सूचियां, गठन, शुक्रवार सूचियां आदि डिजिटल नोटिस बोर्डों पर डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाती है।

(घ) मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करना

आईटीएटी न्यायिक सूचना पोर्टल का एंड्राइड रूपांतर विकसित किया गया है और इसे अपीलार्थियों, उत्तरदाताओं के साथ-साथ काउंसेलों के लाभ के लिए जारी किया गया। अपनी सुगमता और सरल उपयोग होने के कारण यह ऐप बहुत उपयोगी है।

(ङ) बजट और व्यय निगरानी प्रणाली

आईटीएटी ने बजट की उपलब्धता और वास्तविक समय के आधार पर कुशलतापूर्वक और सटीकता से व्यय की स्थिति की जांच और समेकन हेतु इन-हाउस टैलेंट द्वारा विकसित बजटमैन नाम का ऑनलाइन ऐप लागू किया है, इस एप्लीकेशन ने मुख्य कार्यालय को इतना सक्षम बनाया है कि वे एक बटन को दबाते ही आवधिक पर बजटीय वितरण जनरेट कर सकते हैं।

(च) सीसीटीवी कैमरे

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के विभिन्न पीठों के अन्य महत्वपूर्ण प्रवेश संस्थानों पर और न्यायालयों के कमरों में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वर्तमान में, आईटीएटी की 26 पीठों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग नियमित रूप से की जाती है और इन बेंचों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 04 और बेंचों पर अधिप्राप्ति/स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(छ) ई-कोर्ट

ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य गैर-कार्यात्मक पीठों को कार्यात्मक पीठों से जोड़ना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही का संचालन करना है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की सभी पीठों में ई-कोर्ट का बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है। आईटीएटी राजकोट, गुवाहाटी, रांची और पटना की पीठों में सुनवाई ई-कोर्ट के माध्यम से की जाती है।

(ज) इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन

आईटीएटी हमेशा से सचेत रहा है कि बेहतर कम्प्यूटरीकरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत है। आदेशों के डिक्टेसन में सहायता के लिए आईटीएटी के सदस्यों को भी नवीनतम आईटी हार्डवेयर और डिक्टेसन सॉफ्टवेयर से लैस किया गया है।

वर्ष 2021 में हाल की उपलब्धियां

(क) ई-द्वार (आईटीएटी ई-फाइलिंग पोर्टल) का शुभारंभ

ई-द्वार, आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण का ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया गया है ताकि अपीलकर्ता अपने घर से अपनी अपीलें, प्रत्याक्षेप और आवेदन दाखिल कर सकें। पोर्टल को अपील/प्रत्याक्षेप के ज्ञापन के संशोधित रूपों के अनुसार विकसित किया गया है। इसके लॉन्च होने के बाद से, आयकर अपीलिय अधिकरण की विभिन्न पीठों के समक्ष 600 से अधिक अपील, प्रत्याक्षेप और आवेदन अपीलकर्ताओं द्वारा ई-द्वार के माध्यम से दायर किए गए हैं।

(ख) दैनिक आदेशों का प्रकाशन

न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के एक बड़े कदम के रूप में, आईटीएटी ने आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रिब्यूनल के विभिन्न पीठों द्वारा पारित दैनिक आदेशों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। सभी सदस्यों ने जुडिसिस सॉफ्टवेयर (एक इन-हाउस आंतरिक न्यायिक आवेदन) द्वारा उत्पन्न दैनिक आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है। ये दैनिक आदेश आईटीएटी न्यायिक सूचना पोर्टल पर केस विवरण पृष्ठ में दिखाई देते हैं।

(ग) पेपरलेस कोर्ट

माननीय अध्यक्ष, आईटीएटी के मार्गदर्शन में, एक पायलट परियोजना के रूप में, पेपरलेस वातावरण में न्यायालयी कार्यवाही का परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है और आईटीएटी, दिल्ली में अध्यक्ष के न्यायालय कक्ष को पेपरलेस कोर्ट के रूप में अपग्रेड किया गया है।

(घ) लिम्ब्स के साथ एपीआई लिंकेज

मैनुअल डाटा प्रविष्टि को कम करने के उद्देश्य से, लिम्ब्स पोर्टल विभिन्न न्यायालयों/ट्रिब्यूनल के साथ एपीआई के माध्यम से एलआईएमबीएस पोर्टल को एकीकृत किया गया है। हाल ही में, लिम्ब्स पोर्टल को आईटीएटी से जोड़ा गया है जो एप्लीकेशन के बीच निर्बाध डाटा हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा और आईटीएटी में मामलों से संबंधित लिम्ब्स पोर्टल पर रिकॉर्ड के स्वतः अद्यतन में मदद करेगा।

वर्ष 2021 में अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ और गतिविधियाँ

(क) आईटीएटी 2021 का राष्ट्रीय सम्मेलन 27 और 28 फरवरी, 2021 को केवाडिया जिला, नर्मदा, गुजरात में आयोजित किया गया था।

(ख) "आजादी का अमृत महोत्सव" के उत्सव के रूप में आईटीएटी के विभिन्न पीठों के विभिन्न प्रतिष्ठित / प्रभावशाली कार्यक्रम जैसे स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, बार एसोसिएशन के लिए वेबिनार, 'एकेएएम' के आधार पर आईटीएटी के सभी पीठों के डीआर और कर्मचारी, 'स्वतंत्रता संग्राम पर, 75 पर विचार, 75 पर कार्रवाई' क्षेत्रीय उपाध्यक्षों की अंतर-व्यक्तिगत चर्चा आईटीएटी की सभी पीठों में क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के '75' संकल्प, देशभक्ति गीत/कविता का गायन/पाठ, राष्ट्रगान गायन का आयोजन किया गया। इसके अलावा, एक सप्ताह के लिए अर्थात् 18.11.2021 से 22.11.2021 तक, अधिकरण की 75 पीठों ने समारोह का आयोजन किया।

- (ग) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की सभी पीठों में "स्वच्छता पखवाड़ा" का आयोजन किया गया। आईटीएटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 02.10.2021 को "स्वच्छता शपथ" दिलाई गई।
- (घ) 'राष्ट्रीय एकता दिवस', दिनांक 31.10.2021 को आईटीएटी की सभी पीठों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।
- (ङ) 'संविधान दिवस', दिनांक 26.11.2021 को आईटीएटी की सभी पीठों में संविधान दिवस मनाया गया।
- (च) आईटीएटी की सभी पीठों में दिनांक 09.12.2021 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आईटीएटी न्यायपीठ परिसर

निम्नलिखित स्थानों पर आईटीएटी अपने स्वयं के भवन से कार्य कर रहा है:—

- (i) जयपुर (ii) बंगलुरु (iii) कटक

निम्नलिखित स्थानों पर, कार्यालय-सह-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आईटीएटी द्वारा भू-खंड खरीदे गए हैं: —

- (i) पुणे (ii) लखनऊ (iii) गुवाहाटी (iv) कोलकाता (v) अहमदाबाद

भूमि भवन की स्थिति का विवरण:—

- (i) **पुणे:** अकुर्डी में प्रशिक्षण केंद्र, गेस्ट हाउस और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है और निर्माण तथा प्रारंभिक रेखांकन और नक्शे पर व्यय का अनुमान सीपीडब्ल्यूडी, मुम्बई से प्राप्त हो गया है।
- (ii) **लखनऊ:** आईटीएटी, लखनऊ के कार्यालय-सह-निवास भवन का निर्माण जोरों पर है और मार्च, 2022 तक पूरा होने की संभावना है।
- (iii) **गुवाहाटी:** आईटीएटी ने सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (सीआईडब्ल्यूटीसी), भारत सरकार के उपक्रम संगठन, शिपिंग मंत्रालय से 4,03,00,000/- रुपये की धनराशि से फैंसी बाजार, उजानबाजार, गुवाहाटी में 1 बीघा, 3 कठठा, 1 लेसा जमीन खरीदी है। संपत्ति के कब्जे की सुपुर्दगी के मामले को शिपिंग मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
- (iv) **कोलकाता:** डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ लिमिटेड ने 16.25 करोड़ रु० की लागत से पश्चिम बंगाल आवास आधारीक संरचना विकास निगम लि. (डब्ल्यूएचआईडीसीओ) द्वारा विकसित वित्तीय और विधिक हब में 1.25 एकड़ भूमि दिनांक 19.09.2019 के पत्र के माध्यम से पट्टे पर आबंटित की है। आईटीएटी, कोलकाता में कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी, कोलकाता से 66.39 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान प्राप्त हुआ है।
- (v) **अहमदाबाद:** मंत्रालय ने आईटीएटी, अहमदाबाद में भूमि की खरीद के लिए अनुमति और अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, गुजरात सरकार द्वारा 76,46,16,869/- रुपए की लागत से जोजे सोला, ताल घाटलोडिया के एफपी नंबर 60, टीपी नंबर 694 के संबंध में आईटीएटी, अहमदाबाद पीठ, अहमदाबाद भूमि के लिए कार्यालय भवन/ स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए 11,559 वर्ग मीटर की भूमि आवंटित की गई है और राज्य भूमि रिकॉर्ड में हस्तांतरित/प्रविष्ट भूमि को आईटीएटी, अहमदाबाद का नाम दिया गया है। आईटीएटी, अहमदाबाद के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी, अहमदाबाद से अनुमान की प्रतीक्षा है।

- (vi) **दिल्ली:** उपरोक्त के अलावा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में टॉवर 'बी' में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा आईटीएटी, दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के कार्यालय भवन का निर्माण जोरों पर है और दिसंबर, 2022 तक इसके पूरा होने की संभावना है।
- (vii) **रायपुर:** नया रायपुर (अटल नगर), छत्तीसगढ़ में नवनिर्मित जीपीओए भवन में 8730 वर्ग फुट क्षेत्र का एक कार्यालय स्थान आवास और शहरी मामले मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आईटीएटी, रायपुर बेंच, रायपुर को आवंटित किया गया है। नए आवंटित कार्यालय स्थान का विभाजन कार्य पूरा हो गया है और कार्यालय स्थल के अधिकृत क्षेत्र को आईटीएटी को सौंप दिया गया है। कार्यालय की जगह को जेम के माध्यम से फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद से सुसज्जित किया जा रहा है।

हितकारी निधि :

आयकर अपीलीय अधिकरण में एक हितकारी निधि बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के स्वैच्छिक अभिदाय से राशि संगृहीत की गई है। अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण इस निधि के संरक्षक हैं। अधिकारी और कर्मचारि वृंद इस निधि में स्वैच्छिक रूप से अभिदाय करते हैं तथा निधि के नियमों के अधीन बनाई गई समिति की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में मदद की जरूरत होती है, आर्थिक सहायता दी जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 पहले ही लागू किया जा चुका है। आईटीएटी के सभी 28 शाखाओं (63 पीठ) सीआईसी, दिल्ली की वेबसाइट पर पंजीकृत हैं। 25 शाखाओं ने वर्ष 2020-21 के लिए आरटीआई वार्षिक रिटर्न जमा कर दिया है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार, आईटीएटी की पीठों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करने की दृष्टि से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की सभी पीठों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है।

हिंदी पत्राचार और राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की निगरानी संबंधित पीठ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित करके उन्हें हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

न्यायपीठों में राजभाषा नीति के उचित रूप से कार्यान्वयन के लिए और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी में काम करने में अधिकारियों/कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

इस वर्ष सभी न्यायपीठों में हिंदी की पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई गई है। राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी पुस्तकों (अर्थात् कुल पुस्तकालय अनुदान का 50 प्रतिशत) की खरीद पर व्यय के लिए निदेश दिए गए हैं।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग की गति को बढ़ाने के लिए सभी पीठों में हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुम्बई में एक वार्षिक जर्नल 'सृजन' का प्रकाशन किया जाता है। इसमें आयकर अपीलीय अधिकरण के विभिन्ना पीठों के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लिखित लेख, कहानी, कविता और यात्रावृत इत्यादि के अतिरिक्त हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम, हिंदी कार्यशाला के चित्र भी प्रकाशित किए जाते हैं।

दिनांक 09.04.2021 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ, नई दिल्ली में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की स्थिति का माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा निरीक्षण किया गया।

सेवाओं में विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक आदि के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयन :

विकलांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए नियुक्तियों में छूट के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों को विचारार्थ अवधि के दौरान भी विधिवत कार्यान्वित किया गया है और आयकर अपीलीय अधिकरण की सेवाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े अनुबंध-III में दिए गए हैं।

25. विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग में दिनांक 01.01.2022 तक कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या अनुबंध-IV में संलग्न है।

26. विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स)

लिम्ब्स की पृष्ठभूमि: विधिक सूचना प्रबंध और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स) सभी न्यायालयी मामलों की सक्रिय निगरानी के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। जहां भारत संघ एक पक्षकार है। आरंभ में फरवरी, 2016 में लिम्ब्स का संचालन किया गया और तब से यह एप्लीकेशन विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय (नोडल मंत्रालय के रूप में) के निरीक्षण में कार्य कर रहा है। यह एक नवीन और आसान ऑनलाइन उपकरण है जो सभी पणधारियों अर्थात् सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों, नोडल अधिकारियों, मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों, विधि कार्य विभाग और अधिवक्ताओं के लिए 24x7 उपलब्ध है।

लिम्ब्स का संस्करण-2 लिम्ब्स का अपग्रेड संस्करण है और इसे वर्ष 2020 में एनआईसी के सहयोग से लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभाग के लिए यह एक डैशबोर्ड प्रणाली है जिस पर वे अपने मामलों को तत्काल देख सकते हैं। यह संस्करण प्रणाली की सुरक्षा को बढ़ाने और उसकी दक्षता में सुधार करने के लिए पीएचपी के समन्वयकर्ता ढांचे का प्रयोग करते हुए ओपन सोर्स टेक्नॉलजी के उपयोग के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त प्रयासों से इस एप्लीकेशन में 15948 पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा 7.87 लाख न्यायालयी मामलों (संग्रह मामलों सहित) को कैप्चर किया है जिसने भारत संघ से संबंधित मुकदमों का एकल एकीकृत डाटाबेस तैयार किया है। इस एप्लीकेशन में 3281 न्यायालयों और 20627 अधिवक्ताओं का विवरण दर्ज किया गया है।

चूंकि आवेदन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया है। विधि कार्य विभाग ने एक विशाल उपयोगकर्ता आधार को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधितों द्वारा आवेदन को सुचारू रूप से अपनाने के लिए अपना समर्थन दिया है। इस दिशा में, 2020-2021 के दौरान 200 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें पोर्टल के अनुपालन और प्रभावी उपयोग के लिए इसकी विशेषता के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सभी पदानुक्रम के अधिकारियों/अधिकारियों को शामिल किया गया है।

अधिक स्वचालित प्रणाली की ओर झुकाव और मैनुअल डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया को कम करने के लिए, निर्बाध डेटा हस्तांतरण और अद्यतन के लिए एपीआई के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों के साथ लिम्बस को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों और 17 न्यायाधिकरणों से संपर्क किया गया है। विधि कार्य विभाग ने एनआईसी और संबंधित न्यायालय/अधिकरण प्राधिकरणों के सहयोग से निम्नलिखित न्यायालयों और अधिकरणों के साथ एलआईएमबीएस को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है:

ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म पर न्यायालय अर्थात्

- उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय को छोड़कर)
- जिला एवं सत्र न्यायालय

न्यायाधिकरण:

- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) और इसकी पीठें
- विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल)
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी),
- नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी)
- आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)
- दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट)

माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायाधिकरणों के साथ लिम्बस का एकीकरण प्रगति पर है।

लिम्बस के संस्करण – 2 की प्रमुख विशेषताएं:

- ❖ **डैशबोर्ड** : प्रभावी निगरानी के लिए डायग्राम, चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से दृष्टाता: और एडवांस डाटा विश्लेषण के साथ डैशबोर्ड आधारित प्लेटफॉर्म/उपयोगकर्ता अपने मंत्रालय की प्रगति अर्थात् दर्ज मामले की कुल संख्या, लंबित मामले, निपटाए गए मामले, अनुपालन के लिए लंबित मामले, महत्वपूर्ण मामले, अवमानना के मामले, काउंसिल वार शीर्ष 10 मामले, विषयवार लंबित मामले आदि देख सकते हैं।
- ❖ **न्यायालयों के साथ एकीकरण**: मामलों की मैनुअल प्रविष्टि की त्रुटियों को कम करने के लिए एपीआई के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों की वेबसाइटों के साथ सीधा एकीकरण।
- ❖ सीएनआर नंबर (ई-कोर्ट वेबसाइट में हर मामले में उत्पन्न यूनिक 16 अंकों की संख्या) की सुविधा को जोड़ा गया है। अब, उपयोगकर्ता सीएनआर नंबर का उपयोग करके अपने मामलों को खोज सकते हैं।
- ❖ **सलाह मॉड्यूल** : इसे विभिन्न कानूनी मामलों में मंत्रालयों/विभागों द्वारा सलाह/राय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस उपयोगिता को सभी हितधारकों जैसे मंत्रालयों, विधि कार्य विभाग और केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को एकल मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा, मॉड्यूल एसएलपी दाखिल करने में हितधारकों को सुविधा प्रदान करेगा जो एक समयबद्ध प्रक्रिया है।
- ❖ **ई-ऑफिस के साथ एकीकरण** : विधिक राय प्राप्त करने या एसएलपी दाखिल करने के मामलों में क्रॉस प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए इस पोर्टल को ई-ऑफिस के साथ एकीकृत किया गया है।

- ❖ **एसएमएस अलर्ट** : यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं/नोडल अधिकारियों/ मंत्रालयों/विभागों के अन्य संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण मामलों, बड़े वित्तीय प्रभाव वाले मामलों, एसएलपी दाखिल करने आदि जैसे मामलों में एसएमएस सूचनाएं भेजने की सुविधा से भी लैस है।
- ❖ **माध्यस्थम मॉड्यूल**: लिम्ब्स ने माध्यस्थम मामलों पर डाटा दर्ज करने के लिए एक अलग मॉड्यूल प्रदान किया है।
- ❖ **एमआरसीडी मामले**: वाणिज्यिक विवादों (एमआरसीडी) मामलों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र की प्रविष्टि के लिए अलग टैब प्रदान किया गया है। एमआरसीडी मामलों के लिए एमआईएस रिपोर्ट भी उपलब्ध हैं।
- ❖ लिम्ब्स पोर्टल के माध्यम से विधि अधिकारियों, पैनल काउंसलों और अधिवक्ताओं द्वारा मामलों की निगरानी के लिए एडवोकेट मॉड्यूल और शुल्क बिलों को बढ़ाने की सुविधा प्रदान की गई है।
- ❖ नए मामलों और मामलों के अद्यतनीकरण की डाटा एन्ट्री – अब उपयोगकर्ता विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से पिछली सुनवाई, अगली सुनवाई की तारीख को अपडेट कर सकते हैं और माई कोर्ट केस टैब में अनुपालन प्रविष्टि का प्रयोग करते हुए किसी मामले से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। साथ ही, उपयोगकर्ता अपडेशन टैब में से मामलों की सूची का प्रयोग कर के मामलों के विवरण अर्थात् सीएनआर सं., अधिवक्ता का नाम और मोबाइल सं., संक्षिप्त वृत्तांत इत्यादि को जोड़ या बदल सकते हैं।
- ❖ **मामलों की प्रगति और स्थानांतरण को जोड़ना** – उपयोगकर्ता मामलों की दिन-प्रतिदिन की प्रगति को जोड़ सकते हैं तथा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों अथवा समरूप मंत्रालय/विभाग के अन्यद उपयोगकर्ता के लिए मामलों का स्थानांतरण कर सकते हैं।
- ❖ **महत्वपूर्ण मामले**— नोडल अधिकारी के पास सचिव से अनुमोदन लेने के पश्चात् मामलों को 'महत्वपूर्ण' के रूप में चिन्हित करने की सुविधा होती है। साथ ही, उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण मामलों के टैब के अंतर्गत उनके मंत्रालयों/विभागों के महत्वपूर्ण मामलों को देख सकते हैं।
- ❖ **एमआईएस रिपोर्ट**—उपयोगकर्ता सांख्यिकीय रिपोर्ट और संक्षिप्ते रिपोर्ट अर्थात् मामलों की स्थिति वार संक्षेप, मामलों का श्रेणी वार संक्षेप, वित्तीय वार संक्षेप, न्यायालय वार संक्षेप, निर्णित मामला वार संक्षेप, कुल रिपोर्ट, कुल सदस्यों की सूची, संदर्भित विवाद मामले, असंदर्भित मामले, कुल माध्यस्थम मामले, कुल प्रस्तुत बिल, कुल नोडल अधिकारियों की सूची, कुल उपयोगकर्ता सूची इत्यादि को देख सकते हैं।
- ❖ नोडल अधिकारी और स्थानीय प्रशासन को उनके नियंत्रण में उपयोगकर्ताओं और मामले की स्थिति को व्यवस्थित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अपने मंत्रालय/विभाग/उप-विभाग-स्वायत्त संगठन/सीपीएसई इत्यादि के सभी उपयोगकर्ता को सक्रिय कर सकते हैं, उपयोगकर्ता को प्रोफाइल को बदल सकते हैं, पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं और उपयोगकर्ता के नाम में बदलाव कर सकते हैं।
- ❖ लिम्ब्स को मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग में भी लागू किया गया है।

27. लिंग आधारित मुद्दे

दोनों विभागों अर्थात् विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को देखने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन शिकायत समिति गठित की गई है। उक्त शिकायत समिति सीसीएस(सीसीए) नियम, 1965 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण समझी जाएगी।

शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। यह समिति महिला कर्मचारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो स्वयं जांच करेगी। जांच के पूरा होने के बाद, समिति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए विधि कार्य विभाग को निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। वर्तमान में इस समिति की प्रमुख डॉ. रीटा वशिष्ठ, सचिव, विधायी विभाग हैं।

विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित) और आईटीएटी में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अनुबंध-V में दिया गया है।

28. सतर्कता संबंधी गतिविधियां

विधि और न्याय मंत्रालय का सतर्कता एकक, विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग की सतर्कता संबंधी गतिविधियों को देखता है। सतर्कता एकक का प्रमुख अपर सचिव रैंक का मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, सतर्कता एकक के प्रमुख श्री आर.एस. वर्मा, अपर सचिव हैं। इन दोनों विभागों की सतर्कता संबंधी गतिविधियों का समग्र उत्तरदायित्व मुख्य सतर्कता अधिकारी पर होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दोनों विभागों के सतर्कता ढांचे का केंद्र बिन्दु होता है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

- ❖ कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा शासकीय कार्यकरण में सत्यनिष्ठा/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के उपाय करना;
- ❖ भ्रष्टाचार निवारण उपायों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्रवाई करना ;
- ❖ शिकायतों की जांच करना और जांच पड़ताल के उचित उपाय शुरू करना ;
- ❖ उक्त का निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना ;
- ❖ केंद्रीय जांच ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर विभाग की टिप्पणियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना ;
- ❖ विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर उचित कार्रवाई करना अथवा अन्यथा;
- ❖ जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना; और
- ❖ जहां भी आवश्यक हो, दिए जाने वाले दंड की प्रकृति और परिमाण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह प्राप्त करना।

कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक प्रकृति की सतर्कता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा गया। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/ अनुदेशों का पालन किया गया है। दिनांक 22.10.2021 से 26.10.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

29. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 का आयोजन

प्रचलित कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, प्रतिभागियों को संबंधित आवास स्थान पर योग करने और कई मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभों का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गैर संगठित तरीके से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

30. संविधान दिवस

माननीय विधि और न्याय मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने 25 नवंबर, 2021 को 'संविधान दिवस' की पूर्व संध्या पर

“भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम” का उद्घाटन किया। भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (नलसार) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। यह पाठ्यक्रम नागरिकों में भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सुसंगत छायाचित्र ‘अनुबंध-ख’ पर हैं।

इस कोर्स का पंजीकरण निःशुल्क है। अभ्यर्थी <https://legalaffairs.nalsar.ac.in> वेबसाइट पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, प्रतिभागी का प्रमाण पत्र स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। जो अभ्यर्थी श्रेष्ठता प्रमाण पत्र या प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 100/- रुपये के टोकन पर ऑनलाइन मूल्यांकन से गुजरना होगा। यह प्रमाणपत्र पूर्ण रूप से वैकल्पिक है।

दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को विधि कार्य विभाग स्थित मुख्य सचिवालय, कोलकाता, चेन्नै, मुम्बई, बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालयों, आईटीएटी के कार्यालयों तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ‘संविधान दिवस’ मनाया गया। इस अवसर पर कोविड-19 महामारी के संबंध में निर्धारित शारीरिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए भारत के संविधान की ‘उद्देशिका’ का वाचन भी किया गया।



भारत का संविधान

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो
हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

31. विधि कार्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01-01-2021 से अब तक किए गए विदेशी दौरे का विवरण:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	देश का नाम	दौरे का उद्देश्य और उसकी अवधि।
1.	श्री सोहन कुमार शर्मा	माले, मालदीव	1 और 2 दिसंबर, 2021 को दक्षिण एशिया के पीवीई प्रैक्टिशनर्स (सैन-पीवीई) के क्षेत्रीय नेटवर्क को लॉन्च करने पर तीसरी उच्च स्तरीय बैठक।

32. लेखा परीक्षा के अवलोकन की स्थिति

2020 की रिपोर्ट संख्या 6 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 12.1 के संबंध में सभागार के निर्माण हेतु अनुदान का जनवरी 2000 से उपयोग नहीं किया गया।

क्र. सं	वर्ष	पैरा सं./पीए रिपोर्ट जिन	पैरा का विवरण/पीए रिपोर्टों का विवरण जिन पर एटीएन लंबित हैं।		
क्रमांक	वर्ष	पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद पीएसी को एटीएन प्रस्तुत किए गए हैं	मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथ लौटाए गए एटीएन की संख्या और लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रही है	एटीएन की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से परीक्षण किया गया है लेकिन मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
12.1	2020 की रिपोर्ट संख्या 6 के संबंध में सभागार के निर्माण हेतु अनुदान का जनवरी 2000 से उपयोग नहीं किया गया।	0	0	1	1

अध्याय—II

विधायी विभाग

जहां तक संघ सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा-उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग का कार्य निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:-

- (i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों का प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;
- (ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद् में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह निर्धारित करने में सहायता देना कि गैर-सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;
- (iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद्, संसद् की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टें तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;
- (iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;
- (v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;
- (vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;
- (vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिन्हें संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;
- (viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिन्दी में उनका अनुवाद करना;
- (ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है;
- (x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;
- (xi) संसद्, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन;
- (xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान-मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजन;

- (xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;
 - (xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;
 - (xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय;
 - (xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;
 - (xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;
 - (xviii) संघ सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;
 - (xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;
 - (xx) विधिक पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चुनिंदा निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन।
- (2) विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई कानूनी या स्वायत्त निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।
- (क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।
- (ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य

विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध – VI पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

- (2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।
- (3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:—

- (क) संवैधानिक संशोधन;
- (ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां;
- (ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान;
- (घ) अप्रचलित विधियों का निरसन; और
- (ङ) विविध विधियां।

4. 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान, विधायी विभाग ने विधेयकों/अध्यादेशों के प्रारूपण के लिए विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संसद् के सदनों में पुरःस्थापित किए जाने हेतु 84 मंत्रिमंडल टिप्पणियों/नए विधायी प्रस्तावों की जांच की। इस अवधि के दौरान 50 विधेयक संसद् के सदनों को अग्रेषित किए गए। इस अवधि के दौरान संसद् को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नानुसार है:—

01.01.2021 से 31.12.2021 तक संसद् को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची

क्र.सं.	विधेयकों के शीर्षक
1.	वित्त विधेयक, 2021
2.	जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021
3.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
4.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी (राज्यक्षेत्र विधि) विशेष उपबंध दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
5.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
6.	अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021
7.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021

8.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
9.	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, 2021
10.	किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021
11.	नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
12.	बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
13.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
14.	विनियोग विधेयक, 2021
15.	जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
16.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
17.	पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
18.	पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
19.	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021
20.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
21.	अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021
22.	अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021
23.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
24.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2021
25.	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021
26.	नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
27.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक, 2021
28.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
29.	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
30.	सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021
31.	अधिकरण सुधार विधेयक, 2021
32.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
33.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
34.	कराधान विधि संशोधन विधेयक, 2021
35.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
36.	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
37.	संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021
38.	कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021
39.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन, 2021
40.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

41.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
42.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
43.	विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
44.	जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021
45.	वन्य जीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021
46.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
47.	चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल, कंपनी सचिव अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021
48.	मध्यस्थता विधेयक, 2021
49.	निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
50.	बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

5. 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए और संसद् के समक्ष लंबित विधेयकों में से 49 विधेयक अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी अधिनियमित किया गया है। इस अवधि के दौरान अधिनियमित किए गए अधिनियमों की सूची निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	अधिनियम का शीर्षक
1.	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 1)
2.	जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 2)
3.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 3)
4.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 4)
5.	विनियोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 5)
6.	बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 6)
7.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 7)
8.	गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 8)
9.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 9)
10.	पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 10)
11.	पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 11)
12.	जम्मू-कश्मीर विनियोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 12)
13.	वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 13)
14.	राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 14)
15.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 15)
16.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 16)
17.	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 17)

18.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 18)
19.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 19)
20.	नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 20)
21.	फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 21)
22.	नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 22)
23.	किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 23)
24.	अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 24)
25.	अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 25)
26.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 26)
27.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 27)
28.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आर्थिक विनियामक (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 28)
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 29)
30.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 30)
31.	सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 31)
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 32)
33.	अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 33)
34.	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 34)
35.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 35)
36.	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 36)
37.	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 37)
38.	संविधान (एक सौ सताईसवां संशोधन) अधिनियम, 2021
39.	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 38)
40.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 39)
41.	कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 40)
42.	बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 41)
43.	सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 42)
44.	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 43)

45.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 44)
46.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 45)
47.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 46)
48.	सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 47)
49.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 48)
50.	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 49)

6. पूर्वोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुल दस अध्यादेशों को संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत को प्रख्यापित किया गया है:-

क्र.सं.	अध्यादेश
1.	जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 1)
2.	अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्त) अध्यादेश, 2021 (2021 का 2)
3.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 3)
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का 4)
5.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 5)
6.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 6)
7.	अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का 7)
8.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 8)
9.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 9)
10.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 10)

4. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 2034 सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई।

5. विधायी II अनुभाग

निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी II, विधायी विभाग संसद, राज्य विधान मंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों, इन अधिनियमों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन तथा उनसे संबंधित/प्रासंगिक मामलों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
- (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- (iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

2. हमारे देश का निर्वाचन तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फर्स्ट-पास्ट-दी-पोस्ट) भी कहा जाता है, ने सत्तर वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इन सत्तर वर्षों की यात्रा (भारत गणराज्यों की स्थापना के बाद) को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून-पसीने से सींचा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्त-व्यस्तता एवं उथल-पुथल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निर्वाचन प्रक्रिया युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक मत अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होता जा रहा है। ऐसे परिवेश में निरपवाद रूप से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के आगमन से निर्बाध एवं निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

3. ऐसे परिवेश में, जोकि निरंतर बदल रहा है, अनेक बार निर्वाचन विधियों में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान-मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार-विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय-समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

4. निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है –

- (क) निर्वाचक नामावली को आधार प्रणाली से जोड़ने से एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर एकाधिक नामांकन की आशंका पर अंकुश लगेगा;
- (ख) निर्वाचक नामावली में नामांकन के लिए कई अर्हक तिथियां मतदाता आधार का विस्तार करेंगी और इसके परिणामस्वरूप निर्वाचकीय प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं की अधिक भागीदारी होगी;
- (ग) हमारे निर्वाचनों के संचालन के साथ-साथ लैंगिक समानता और समावेशिता की घोषित नीति के अनुरूप विधियों को लिंग तटस्थ बनाना; तथा
- (घ) कतिपय उद्देश्यों आदि के लिए परिसर की आवश्यकता के संदर्भ में निर्वाचन के संचालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

6. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2021 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 194 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 27 नए मामले प्राप्त हुए थे, जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ-पत्र और समुचित अनुदेश संबंधित सरकारी वकील को संप्रेषित किए गए हैं। लम्बित मामलों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए विशेष प्रयास किए गए तथा नई गणना के अनुसार 88 अतिरिक्त मामलों का निपटान हो गया है जिससे निपटाए गए कुल मामलों की संख्या 326 हो गई है। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 133 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है।

7. संसदीय कार्य का संचालन

(निर्वाचन विधियों से संबंधित)

वर्ष 2021-22 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र.सं.	कारबार की मद	विधि और न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	198
2.	राज्य सभा प्रश्न	131
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	4
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	7
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	3
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	—
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	—
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	—
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	15
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	16
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	3

8. भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, पारदर्शी, नैतिक और सुरक्षित निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्षों में कई पहल की हैं। निम्नलिखित कुछ हाइलाइट्स हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले 68 वर्षों के दौरान लोकसभा के लिए 17 आम निर्वाचनों और राज्य विधानसभाओं के 390 से अधिक निर्वाचनों के अलावा भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयों के निर्वाचनों के माध्यम से लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया है। जबसे भारत ने वैश्विक मानचित्र पर खुद को आर्थिक, परमाणु या आईटी प्रमुख के रूप में स्थापित किया है तब से भारत एक समृद्ध और जीवंत निर्वाचकीय लोकतंत्र की वैश्विक स्तर पर विशिष्ट और स्थिर पहचान रहा है।

भारत के संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 से 329 में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों, जिम्मेदारियों, संरचना और शक्ति को सूचीबद्ध किया गया है, जो संसद् के निचले सदन, उच्च सदन और राज्य विधानसभाओं के नियमित आवधिक अंतराल पर निर्वाचन कराने के लिए आयोग के जनादेश का विस्तार करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचकीय शक्तियां, कर्तव्य और कार्य प्रदान करता है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 में वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक नई लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचन कराने का प्रावधान है। संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग 1951-52 से पहली लोकसभा के पहले आम निर्वाचनों के बाद से अब तक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक प्रबंधन कर रहा है निर्वाचनों की योजना बनाना, तैयार करना, संचालन करना, मतों की गिनती करना और परिणाम घोषित करना।



जबकि निर्वाचन लोकतंत्र की आधारशिला होता है, यह मतदाता ही होते हैं जो इसका सार होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का निरंतर प्रयास सभी मतदाताओं को सुविधा प्रदान करना और निर्वाचनों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। इसके लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं, निर्वाचन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा निर्वाचन के दिन बेहतर मतदान अनुभव प्रदान करने में काफी प्रगति की है।

पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा देने के लिए कई पहल और नवीन उपाय अपनाए गए हैं जिनमें एएमएफ, रैंप, व्हीलचेयर और स्वयंसेवी सहायता, प्राथमिकता वाले मतदान, सभी महिला प्रबंधित मतदान केंद्र, सभी दिव्यांगजन प्रबंधित मतदान केंद्र शामिल हैं, और हाल ही में किए गए संशोधन जिसके द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड पीड़ित/क्वारंटाइन किए गए लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सब, एक लक्ष्य "कोई मतदाता पीछे न छूटे" को ध्यान में रखते हुए किया।

9. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों तथा निर्वाचन को संचालित करने वाली विधियों के अनुसार हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान-मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

- (2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गई थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त, अर्थात् 01 जनवरी, 1990 तक ही रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।
- (3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य

निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, उनका दर्जा व वेतन एवं अनुलाभ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

- (4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 क के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में दल के भीतर लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।
- (5) संसद् तथा राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है ताकि यह सरकारी स्वीकृतियां उपलब्ध करा सके।
- (6) 1950 में निर्वाचन संबंधी व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इसके अलावा, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10. निर्वाचक नामावली डेटा-2022 (नामावली प्रारूप)

निम्न तालिका में निर्वाचक नामावली प्रारूप डेटा 2022 सम्मिलित है।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ड्राफ्ट 2022 में मतदाता				फोटो नामावली में फोटो की कुल संख्या	पीईआर+ (%)	जारी किए गए ईपीआईसी की कुल संख्या	ईपीआईसी # (%)
		पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल				
1	आंध्र प्रदेश	19953184	20466182	4041	40423407	40423407	100	40415322	99.98
2	अरुणाचल प्रदेश	397357	408948		806305	806305	100	806305	100
3	असम	11825381	11577452		23402833	23302201	99.57	23302201	99.57
4	बिहार	39579912	35759104	2700	75341716	75341716	100	75341716	100
5	छत्तीसगढ़	9672437	9671952		19344389	19307635	99.81	19307635	99.81
6	गोवा	555276	584998		1140274	1140274	100	1140160	99.99
7	गुजरात	24560982	22795249		47356231	47356231	100	47356231	100
8	हरियाणा	10141818	8859593		19001411	19001411	100	19001411	100

9	हिमाचल प्रदेश	2687533	2627249		5314782	5314782	100	5314782	100
10	झारखंड	12304529	11526201		23830730	23830730	100	23830730	100
11	कर्नाटक	26164016	25747075		51911091	51911091	100	51909066	100
12	केरल	13272098	14150863	275	27423236	27423236	100	27423236	100
13	मध्य प्रदेश	27541682	25550723	1324	53093729	53093729	100	53093729	100
14	महाराष्ट्र	46849525	42789093	2573	89641191	89560514	99.91	88780636	99.04
15	मणिपुर	955657	1012655	164	1968476	1968476	100	1936980	98.4
16	मेघालय	1005613	1030295	1	2035909	2035909	100	2035909	100
17	मिजोरम	388195	410032		798227	798227	100	798227	100
18	नागालैंड	617618	615543		1233161	1233161	100	1230078	99.75
19	उड़ीसा	16535379	15838991	3013	32377383	32254349	99.62	32267300	99.66
20	पंजाब	11015475	9902354	670	20918499	20918499	100	20918499	100
21	राजस्थान	25812560	23707493		49520053	49520053	100	49520053	100
22	सिक्किम	223297	216831	3	440131	440131	100	440131	100
23	तमिलनाडु	30917667	31969522	7342	62894531	62894531	100	62894531	100
24	तेलंगाना	15257690	15097292	1683	30356665	30356665	100	30353629	99.99
25	त्रिपुरा	1357594	1327020		2684614	2684614	100	2684614	100
26	उत्तराखंड	4087018	3758732	251	7846001	7846001	100	7846001	100
27	उत्तर प्रदेश	79248011	67887454	7833	147143298	147143298	100	147143298	100
28	पश्चिम बंगाल	37331657	35900073	1537	73233267	73233267	100	73233267	100
29	अंडमान एवं निकोबार	162009	146492	11	308512	308450	99.98	307988	99.83
30	चंडीगढ़	330766	299558		630324	630324	100	630324	100
31	दादरा और नगर हवेली	195915	181620		377535	377535	100	377535	100
32	जम्मू और कश्मीर*	4037993	3739951		7777944	7529828	96.81	7228043	92.93
33	लद्दाख	87172	85740		172912	172912	100	169817	98.21
34	लक्षद्वीप	28123	27400		55523	55523	100	55523	100
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8088031	6707518		14795549	14795549	100	14795549	100
36	पुदुचेरी	469083	528043	118	997244	997244	100	997244	100
	कुल:	483658253	452905291	33539	936597083	935478370	99.88	933255538	99.64

* वर्ष 2019 का डेटा, जम्मू और कश्मीर में 2020 और 2021 से कोई संक्षिप्त परिशोधन नहीं हुआ।

पीईआर-फोटो निर्वाचक नामावली

ईपीआईसी- निर्वाचक फोटो पहचान पत्र

& वर्ष 2019 का डेटा, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड में 2020 से कोई संक्षिप्त परिशोधन नहीं हुआ।
(कॉलम 5 से 8 तक)

वर्ष 2020 के आंकड़ों में विलय = दादरा और नगर हवेली 250453 + दमन और दीव 116267 =
मतदाताओं की कुल संख्या 366720 (कॉलम 5 से 8 तक)

11. मतदान केन्द्रों पर आश्वसित न्यूनतम सुविधाएं (ए एम एफ)

आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र का भूतल पर होना आवश्यक है और मतदान केन्द्र भवन तक जाने वाली सड़क तक पहुंच होगी और वह पेयजल, प्रतीक्षा शेड, जल सुविधा सहित शौचालय, प्रकाश के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, दिव्यांगजन निर्वाचकों के लिए उचित ढाल के रैंप और मानक मतदान कक्ष आदि जैसी आश्वसित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) से सुसज्जित है। इसे सैनिटाइजरो, थर्मल स्कैनरो, साबुन आदि जैसे कोविड-19 को कम करने वाले ऐसे उपायों से भी अनुपूरित किया जाएगा जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020

लॉगइन करें www.nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाएं

हर बूथ में होगा PwD मतदाता के लिए इंतजाम ताकि मतदान हो आसान

मतदान केंद्र पर PwD मतदाता के लिए विशेष सुविधा:

- टेम्प की व्यवस्था
- व्हील-चेयर की व्यवस्था
- डेल्प डेस्क

कोई मतदाता न छूटे

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मतदाता मास्क लगाकर तथा हाथ को सैनिटाइज करके मतदान केंद्र में प्रवेश करें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

www.ceobihar.nic.in | Follow us on: [BiharCEO](https://www.facebook.com/BiharCEO) [CEOBihar](https://www.instagram.com/CEOBihar) [Bihar_CEO](https://www.youtube.com/Bihar_CEO) | visit: www.nvsp.in

12. महिलाओं के लिए सुविधा

महिला मतदाताओं तक पहुंचने के उद्देश्य से, 'सर्व महिला प्रबंधित मतदान केन्द्रों' निर्वाचन प्रक्रिया में लैंगिक समानता और महिलाओं की अधिक प्रतिभागिता के प्रति एक प्रतिबद्ध पहल है। ये ऐसे मतदान केन्द्र हैं जिन्हें ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जिनमें सुरक्षा समेत सभी महिला कर्मचारिवृंद भी होते हैं। गत वर्षों में मतदान केन्द्रों पर महिलाओं के लिए पृथक् कतारें, गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्विकता आधारित मतदान, कम महिला मतदाता वाले मतदान केन्द्रों की पहचान पर आधारित लक्षित व्यवधान जैसी पहलें आरंभ की गई हैं और इनका महिला मतदाता उपस्थिति में बहुत ही प्रभावी रूप से योगदान रहा है।



13. दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं

सभी मतदान केन्द्र भूतल पर अवस्थित हैं और व्हील चेयरो वाले दिव्यांग निर्वाचकों की सुविधा के लिए उचित ढाल का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन मतदाताओं को लक्षित और आवश्यकता-आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने यह निदेश दिया है कि सभा निर्वाचनक्षेत्र में सभी दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें मतदान दिवस पर उनके अपने-अपने मतदान केन्द्रों तथा सहज और सुविधाजनक मतदान अनुभव के लिए की गई आवश्यक नियोग्यता-विनिर्दिष्ट व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। पहचान किए गए दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों की सहायता रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त स्वयंसेवियों द्वारा की जाएगी। मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। आयोग ने सीईओ को निदेश दिया है कि मतदान के दिन हर एक मतदान केन्द्र में दिव्यांगजन निर्वाचकों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए उचित परिवहन सुविधा होनी चाहिए। दिव्यांगजन निर्वाचक और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों को मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए निःशुल्क पास प्रदान किए जाएंगे।




14. अनुपस्थिति मतपत्र


कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा (60) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, 80 वर्ष से ऊपर की आयु के निर्वाचकों, दिव्यांगजनों और कोविड-19 के कारण कॅरंटाइन हुए निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 22-10-2019 और 19-06-2020 द्वारा निर्वाचन संचालन नियम, 1061 का नियम 27क का भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर संशोधन किया गया था जिससे अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मत डालने के लिए समर्थ बनाया जा सके। अनुपस्थित मतदाताओं की परिभाषा का कोविड-19 रोगियों को समायोजित करने के लिए विस्तार किया गया था। अब, अनुपस्थित मतदाता को निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 27क के खंड (कक) में परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी जो आवश्यक सेवाओं में नियोजित हैं, वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या पीडित व्यक्ति सम्मिलित हैं।

Optional Postal Ballot Facility


Option of Postal Ballot facility has been extended to the electors of following categories:




Electors, who are marked as Persons with Disabilities (PwD)



Electors above the age of 80 years



Electors employed in notified Essential services



Electors who are COVID - 19 positive/ suspect and in quarantine (home/ institutional)

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020

कोई मतदाता न छूटे





80 वर्ष सँ बेसी उमरिक मतदाता लोकनिकें भेटनि पोस्टल बैलटक (डाक मतपत्र) सुबिधा भोट देबै उमंग सँ..

पोस्टल बैलटक सुबिधा PwD मतदातासभक लेल उपलब्ध अछि



अधिक जनतब हेतु 1950 पर कॉल करी..
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार



www.ceobihar.nic.in | Follow us on: [f](#) BiharCEO [t](#) CEOBihar [i](#) Bihar_CEO | visit: www.nvsp.in

15. युवा मतदाताओं का अभ्यावेशन नामांकन

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021, 18 वर्ष की आयु मतदाताओं के अभ्यावेशन के लिए विद्यमान तारीख 1 जनवरी के अतिरिक्त तारीख 1 अप्रैल, तारीख 1 जुलाई और तारीख 1 अक्तूबर को अर्हक तारीखों के रूप में अभिहित करने के लिए भी है। पूर्व में, केवल ऐसे मतदाताओं को जो प्रत्येक वर्ष की तारीख 1 जनवरी को या उससे पूर्व 18 वर्ष के हो गए हैं वे अपने आप को मतदाताओं के रूप में रजिस्टर करवाने के लिए अनुज्ञात किए गए थे।

16. व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में सहभागिता (एस वी ई ई पी)

“कोई मतदाता छूट न जाए” के आमुख पर कार्य करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में सहभागिता के माध्यम से विश्व के विशालतम लोकतंत्र में सहभागिता, समावेशी, प्रलोभन रहित और सुगम्य निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए अनवरत रूप से प्रयासरत है इसका तात्पर्य निर्वाचक साक्षरता क्लबों, वेब रेडियो हेलो, मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राष्ट्रव्यापी समारोह जैसी नूतन पहलों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने में और मतदाताओं की जन गतिशीलता है। महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतदाता की जागरूकता में वृद्धि करने के लिए और निर्वाचनों के दौरान अनिवार्य सुरक्षा

नवाचारों को प्रचारित करने के लिए विशेष आउट रीच गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी आउटरीच गतिविधियों अर्थात् दूरदर्शन, प्रिन्ट, डिजिटल मीडिया और अन्य मीडिया यानों के लिए सम्पर्क रहित और डिजिटल माध्यमों का मतदाता शिक्षा, प्रेरणा तथा सुविधा के लिए समग्र 360 डिग्री संसूचना के भाग के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

कुछ अन्य नई पहलें जिनमें नए रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं के लिए ईपीआईसी किट, प्रत्येक परिवार के लिए पाकेट साइज मतदाता गाइड मतदान केन्द्र का संसूचना का फोकल बिन्दु के रूप में होना, तथा प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम स्तर की स्वीप गतिविधियां हैं। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/डीईओ को निदेश दिए गए हैं कि वे नए रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को यह ईपीआईसी स्वीप किट सौंपें/ परिदत्त /कुरियर करें जिसमें मतदाता गाइड और मतदाता शपथ के साथ निर्वाचक के लिए व्यक्तिगत पत्र अन्तर्विष्ट हो। इसके अतिरिक्त, स्वीप रणनीति के लिए बूथ केन्द्र बिन्दु होने के कारण, आयोग ने राज्यों को बूथ स्तरीय कार्रवाई योजना को मजबूत बनाने और सभी मतदाताओं को सूचित करने एवं शिक्षित करने के लिए स्वीप गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर संचालित करने के लिए राज्यों को निदेश दिया है। इसके अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदान केन्द्रों और भीड़ वाले अवस्थानों पर ईवीएम, वीवीपीएटी, मतदाता रजिस्ट्रीकरण, नैतिक मतदान और आईटीएफ के बारे में स्पष्टीकारक सूचना संप्रदर्शन भी हैं। मतदान केन्द्रों को सज्जा के न्यूनतम स्तर के माध्यम से आकर्षक रूप दिया जाएगा। कम मतदाता उपस्थित वाले मतदान केन्द्रों की कोई "मतदाता छूट न जाए" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्लेषित कम उपस्थिति और नियोजित लक्षित व्यवधानों के कारणों के साथ पहचान की गई है। राज्यों में मतदाता सुविधा केन्द्र मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय होंगे। इसके अतिरिक्त, मतदाता हेल्प लाइन नम्बर 1950 और मतदाता हेल्प लाइन एप मतदाता को प्रश्नों का भी जवाब देगा। मतदाताओं को निर्वाचक नामावलियों में उनके नामों का सत्यापन करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एसएमएस सुविधा 1950 पर उपलब्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त मतदाताओं को उपलब्ध कराए जाएं। इस संबंध में, सूचित तथा नैतिक मतदान को प्रोत्साहन देने के लिए मतदाताओं में जागृति पैदा करने हेतु एक समर्पित मल्टी मीडिया अभियान का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 लहर के आरंभ होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, कोविड सुरक्षित निर्वाचनों और निर्वाचनों के दौरान कोविड समुचित व्यवहार के लिए मतदाताओं को सूचित करने और शिक्षित बनाने के लिए स्वीप गतिविधियों की योजना बनाई गई है।









17. कोविड-19 मार्गदर्शी सिद्धांत और कोविड-सुरक्षित निर्वाचन

कोविड-19 के अभूतपूर्व भीषण आक्रमण का संपूर्ण विश्व में हुए निर्वाचनों पर विनाशकारी प्रभाव रहा था। भारत निर्वाचन आयोग ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है कि नागरिकों के मताधिकार का प्रयोग करने और उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के बीच कैसे ठीक सतुलन बनाया जाए। भारत के संविधान के अधीन आदेश का आदर करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों को संचालित करने का विनिश्चय किया और सावधानियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विरचित किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 21 अगस्त, 2020 को जारी निर्वाचनों के लिए कोविड-19 संबद्ध सावधानियों के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनुदेशों के अंतर्गत निर्वाचनों का पहलू आता है। इनके अंतर्गत साधारण अनुदेश, अभ्यर्थी नामनिर्देशन के लिए निर्वाचन कर्मचारिवृन्द का प्रशिक्षण मतदान केन्द्र व्यवस्थाएं निर्वाचन सामग्री और मतदान केन्द्रों के लिए कोविड-19 किट और अभियान तथा मत गणना के लिए सुरक्षित कक्ष, डाक पत्र सम्मिलित हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 फरवरी, 2021 को आदेश जारी किए थे कि सभी निर्वाचन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता के रूप में माना जाए और उनका कोविड-19 का टीकाकरण किया जाए। आयोग ने राज्य में जलवायु परिस्थितियों, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड की परीक्षाओं, मुख्य उत्सवों, विद्यमान कानून और व्यवस्था की दशा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, बलों के संचलन, परिवहन के आवश्यक समय और उनका समय पर परिनियोजन तथा अन्य सुसंगत जमीनी वास्तविकताओं का गहन मूल्यांकन जैसे सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के लिए अनुसूचियां तैयार की थी। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1 घंटे तक मतदान समय को बढ़ाने का भी विनिश्चय किया था।

Post COVID Landmark Initiatives

<p> Implementation of Commission's revised guidelines in view of the COVID-19 situation regarding Assured Minimum Facilities (AMF) at all Polling Stations</p> <p> Number of electors in each polling station reduced from 1500 to 1000 to ensure social distancing and ease of voting for elderly and vulnerable electors</p> <p> Hand gloves provided to the voter, for signing on the voter register and pressing button of EVM for voting.</p> <p> Polling increased for one more hour so that COVID-19 patients who are quarantined will be allowed to cast their vote at the last hour of the poll day at their respective Polling Stations, under the supervision of health authorities, strictly following COVID-19 related preventive measures.</p>	<p> Earmarking circle for 15 -20 persons of 2 yards (6 feet) for standing in queue</p> <p> Electors whose temperature is above normal after second testing to vote at the last hour of poll with strict CoVID -19 preventive measures</p> <p> Non-compliance of Instructions – Anybody violating instructions on COVID -19 measures will be liable to proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable</p>
--	--



18. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

आयोग ने बृहत्तर नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता की शुरुआत करने के लिए आईटी एप्लीकेशन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को उसके स्मार्ट फोन का उपयोग करके फोटो या वीडियो क्लिक करने के लिए उसे सशक्त करके आदर्श आचार संहिता/व्यय के उल्लंघन का समय स्टाम्पित साक्षिक सबूत नागरिकों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को फाइल करने के लिए सीविजिल एप्लीकेशन जैसी आईटी एप्लीकेशन सम्मिलित हैं। एप्लीकेशन जीआईएस प्रौद्योगिकी पर आधारित है और आटो लोकेशन की अनूठी विशेषता उचित रूप से ऐसी सही जानकारी उपलब्ध कराती है जिस पर घटना के ठीक स्थान के लिए दिशानिर्देश देने तथा त्वरित कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्तों द्वारा भरोसा किया जा सकता है। यह एप प्राधिकारियों द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को प्राथमिकता देता है और 100 मिनट के अंदर प्रास्थिति रिपोर्ट का वचन देता है। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर तथा एपल एप स्टोर दानों पर उपलब्ध है।



नागरिक, मतदाता पहचान-पत्र के लिए आवेदन करना, मतदाता पहचानपत्र में शुद्धियों के लिए आनलाइन आवेदन करना, मतदान बूथों, सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ब्यौरे देखना और मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी मतदाता हेल्पलाइन एप का उपयोग करके अन्य सेवाओं में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संपर्क ब्यौरे प्राप्त करना जैसी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। एप्लीकेशन गूगल प्ले एवं एपल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।

‘अपने अभ्यर्थी को जानिए’ एप, प्रत्येक अभ्यर्थी के, उनके शपथ पत्रों में दिए गए अर्हता, कार्य अनुभव, आस्तियों जिनमें अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त, यदि कोई हो, भी हैं, जैसे ब्यौरों की जांच करने के लिए भी निर्वाचकों के लिए उपलब्ध होगा।

अन्य एप्लीकेशनों में सुविधा पोर्टल भी है जो अनुज्ञाओं के लिए आन लाइन नामनिर्देशनों को फाइल करने के लिए, जिनमें अभ्यर्थी का आन लाइन नामनिर्देशन और शपथ-पत्र फाइल करना भी है और अभ्यर्थी अनुज्ञा माड्यूल के लिए अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करता है जो अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के किसी भी प्रतिनिधि को सुविधा पोर्टल के माध्यम से बैठकों, रैलियों, लाउड स्पीकरों, अस्थायी कार्यालयों तथा अन्य के लिए आन लाइन आवेदन करने के लिए अनुज्ञात करता है।

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निदेश दिया है कि बैठकों, रैलियों के लिए सार्वजनिक स्थलों का आवंटन यावत साध्य सुविधा एपस का प्रयोग करके किया जाना चाहिए। आवेदन गूगल प्ले स्टोर से नामनिर्देशन तथा अनुज्ञा प्रास्थिति को खोजने हेतु डाउन लोड करने तथा प्रयोग करने के लिए अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों/अभिकर्ताओं के संबंध में निर्वाचनों के दौरान उपलब्ध होगा। शपथ-पत्र पोर्टल निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की, उनके प्रोफाइल, नामनिर्देशन प्रास्थिति के साथ पूर्ण सूची को उपलब्ध कराता है और शपथपत्र सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध होंगे। सेवा मतदाता के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से संप्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) सेवा मतदाताओं को इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से निरंक डाक मतपत्र पारेषित करेगा। तब सेवा मतदाता अपना स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना मत भेज सकते हैं। पीडब्ल्यू डी एप दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक साधन है। दिव्यांगजन निर्वाचक इस एप का प्रयोग स्वयं को दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करने के लिए कर सकते हैं, नए रजिस्ट्रीकरण, प्रवास, ईपीआईसी ब्यौरों में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं और व्हील चेयरों आदि के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह नेत्रहीनता तथा श्रवण निःशक्ताओं वाले मतदाताओं के लिए मोबाइल फोनों की एकसेसबिलिटी फीचरों का उपयोग करता है। अन्य ऐपों में मतदाता उपस्थिति एप और एनकोर काउन्टिंग एप तथा ईसीएल की परिणाम वेबसाइट भी सम्मिलित हैं।

19. निर्वाचन सुधार

19.1 ईपीआईसी और आधार डाटाबेस को लिंक करना

हाल ही में पारित निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021, वर्ष 1950 और 1951 के दोनों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों का संशोधन करता है। इसके उपबंधों में से एक उपबंध निर्वाचन नामावली आंकड़ा को आधार से, विशिष्ट पहचान संख्या से लिंक करने के लिए विधिक कार्य ढांचा सृजित करता है। इसका अभिप्राय जाली मतदाताओं, मृत मतदाताओं, विदेशी व्यक्तियों को, जिनको गलती से मतदाताओं के रूप में सम्मिलित किया गया है और ऐसे मतदाताओं को भी, जिन्हें एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यावेशित किया गया है, निकालना है। नया नियम, नए ईपीआईसी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से यह पूछने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सशक्त करता है कि वे पहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए अपना आधार संख्या प्रस्तुत करें। वे रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं से अनुलिपिकरण की जांच करने के लिए आधार संख्या की भी मांग कर सकते हैं।

19.2 अभ्यर्थियों के व्यय की सीमा में अभिवृद्धि

भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना तारीख 6 जनवरी, 2022 द्वारा अभ्यर्थियों के व्ययों की सीमा को बढ़ा दिया है। ऐसी पुनरीक्षित सीमाओं के अनुसार, जो इन पांच निर्वाचनों से संबंधित है, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में सभा निर्वाचनों के लिए अभ्यर्थी के व्यय की सीमा अब 40 लाख रुपए और गोवा तथा मणिपुर राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए है।

20. आपराधिक मामले वाले अभ्यर्थी

आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अभियान अवधि के दौरान तीन अवसरों पर इस संबंध में समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से जानकारी प्रकाशित करें। ऐसे किसी राजनैतिक दल से, जो आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों को खड़ा करता है, से भी अपेक्षा की जाती है कि वे तीनों अवसरों पर अपने अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर तथा समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों दोनों पर प्रकाशित कराएं। आयोग ने अपने पत्र सं. 3/4/2019/एसडीआर/खंड-4 तारीख 16 सितंबर, 2020 द्वारा यह निदेश दिया है कि विनिर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित रीति में तीन ब्लॉकों में विनिश्चित की जाएगी, ताकि निर्वाचकों को ऐसे अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके :

- क. वापस लेने की तारीख के पहले 4 दिनों के भीतर।
- ख. अगले पांचवें से आठवें दिन के बीच।
- ग. नौवें दिन से अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से पूर्व दूसरा दिन)।

यह जानकारी "अपने अभ्यर्थी को जानिए" नामक ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

यह 2011 की (रिट याचिका) (सिविल) सं. 536 में 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2020 के अनुसरण में है।

राजनीतिक दलों (केंद्र और राज्य निर्वाचन स्तर पर) के लिए यह अनिवार्य है कि वे लंबित आपराधिक मामलों (अपराधों की प्रकृति और प्रासंगिक विवरणों सहित) के संबंध में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, जैसे कि क्या आरोप तय किए गए हैं, संबंधित न्यायालय, मामला संख्या आदि जिन्हें उम्मीदवारों के रूप में चुना गया है, साथ ही इस तरह के चयन के कारणों के साथ-साथ यह भी कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। चयन के कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होंगे, न कि चुनावों में केवल "जीतने की क्षमता"।

यह जानकारी इसमें भी प्रकाशित की जाएगी:

- (क) एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र;
- (ख) फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किए जाएंगे और न कि नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले किए जाएंगे।



21. इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) और मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

- (1) भारत में मतदान प्रणाली कई बदलावों से गुजरी है। 1952 और 1957 में लोकसभा के पहले दो आम चुनावों के दौरान, प्रत्येक उम्मीदवार को उम्मीदवार के चिन्ह के साथ एक अलग मतपेटी आवंटित की गई थी। मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह मुद्रित नहीं थे और मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार के मतपेटी में एक पूर्व-मुद्रित मतपत्र डालना पड़ता था। इस प्रणाली ने अलग-अलग हितधारकों के मन में मतों के साथ छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और छल-कपट की आशंकाओं को प्रज्वलित किया और जल्द ही इसे बदल दिया गया। 1960-61 में, केरल और उड़ीसा में विधान सभाओं के मध्यावधि चुनावों के दौरान मतपत्र पर एक अंकन प्रणाली शुरू की गई थी और यह प्रणाली 1999 के लोकसभा चुनावों तक जारी रही।
- (2) भारत निर्वाचन आयोग ने 1977 में मतदान प्रक्रिया में इलैक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग की संभावना के बारे में सोचा। 1979 में, एक प्रोटो-टाइप विकसित किया गया था और इसके संचालन को 6 अगस्त, 1980 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया था। देश में मतदान के लिए आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक्स में उन्नति का अभिनव उपयोग रचनात्मकता को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है, बड़े पैमाने पर भारतीय समाज की आविष्कारशीलता और अग्रणी कुशाग्रता तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश की छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता है।
- (3) ईवीएम का पहली बार प्रयोग मई 1982 में केरल में एक उप-चुनाव में हुआ। हालांकि, इसके उपयोग को निर्धारित करने वाले एक विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने उस चुनाव को रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और एक नई धारा 61ए को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल किया गया, जिससे भारत निर्वाचन आयोग को ईवीएम का उपयोग करने का अधिकार मिला। यह संशोधन 15 मार्च 1989 को लागू हुआ।

- (4) 2004 में, लोकसभा के चुनाव के लिए सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। एक नई तकनीकी रूप से उन्नत मतदान प्रणाली ने मतपत्रों के उपयोग की पूर्ववर्ती मतदान पद्धति को पूरी तरह से बदल दिया। 2000 के बाद से, भारत ने 132 राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के 4 आम चुनाव (2004, 2009, 2014 और 2019) हुए हैं, जहां वोट ईवीएम का उपयोग करके डाले और रिकॉर्ड किए गए थे।

21.1 तकनीकी विशेषज्ञ समिति

ईसीआई-ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों पर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष प्रो.एस.सम्पत, अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार समिति, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा प्रो. पी.वी. इंदरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ सी.राव कसारबाडा, निदेशक, इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम थे। आयोग ने दिसंबर, 2005 में दूसरी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसमें प्रो. पी.वी. इंदिरसेन, आईआईटी दिल्ली के प्रो. डी.टी. शाहनी और प्रो. ए.के. अग्रवाल चुनाव में वास्तविक उपयोग के लिए इन मशीनों को स्वीकार करने से पहले उन्नत ईवीएम (2006 के बाद ईवीएम) का मूल्यांकन करने के लिए शामिल थे। आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों पर तकनीकी विशेषज्ञों के एक समूह से परामर्श करता रहा है। नवंबर 2010 में, आयोग ने दो और विशेषज्ञों, अर्थात् प्रो डी.के. शर्मा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मुंबई और प्रो रजत मूना, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, आईटी कानपुर (अब, निदेशक आईआईटी भिलाई) को शामिल करके तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया। आईआईटी दिल्ली के प्रो. डी.टी. शाहनी वर्तमान में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं।

21.2 लोकसभा के अगले आम चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट की खरीद

आयोग ने जुलाई 2020 में लोकसभा 2024 के अगले आम चुनाव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10.42 लाख बस, 6.97 लाख सीयू और 6.46 लाख वीवीपीएटीएस की खरीद के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने मार्च 2021 की 19 मार्च, 2021 को इसके लिए 2971.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। मेसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मेसर्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ईवीएम और वीवीपीएटी के उक्त आदेश के उत्पादन का काम सौंपा गया है। ये मशीनें M3 मॉडल से संबंधित हैं और अत्यधिक उन्नत सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं के साथ आती हैं।

22. विधायी III अनुभाग

समवर्ती सूची के अंतर्गत विधान

भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III-समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों के बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं :-

- (क) विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; दत्ताकग्रहण, वसीयत; निर्वसीयत और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;
- (ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);
- (ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;
- (घ) अनुयोज्य दोष;

- (ड) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;
- (च) साक्ष्य और शपथ;
- (छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थता शामिल है;
- (ज) पूर्ण एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

23. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, के संबंध में भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

24. लाभ के पद पर संसद् की संयुक्त समिति

लाभ के पद पर संसद् की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर-सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

25. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; भारतीय न्यास अधिनियम, 1882; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; विभाजन अधिनियम, 1893; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; परिसीमन अधिनियम, 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के दौरान 60 नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

26. राज्यों के विधायी प्रस्ताव

संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थित जो विषय विधायी विभाग को सौंपे गए हैं उनके संबंध में प्राप्त ऐसे विधायी प्रस्तावों जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, की इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित 47 संदर्भों का परीक्षण किया गया था।

27. संसदीय कार्यों का आयोजन (स्वीय विधियों से संबंधित)

वर्ष 2021 के दौरान, विधायी III अनुभाग ने तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रकार के संसदीय प्रश्नों तथा अन्य विषयों से भी संबंधित कार्यों का निपटान किया। संसदीय संदर्भों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य की मद	संख्या
1.	लोक सभा प्रश्न	19
2.	राज्य सभा प्रश्न	20
3.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	2
4.	सार्वजनिक महत्व के मामले	4

उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग में गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक तथा संकल्प से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी भी तैयार की गई। साथ ही, संसदीय प्रश्नों की हार्डकॉपी के साथ-साथ उसे इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा गया।

28. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधियों की गहन जानकारी तथा उनके नियमित अद्यतनीकरण के अतिरिक्त, विधि प्रारूपण में कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के लिए विधायी प्रारूपण में अभिरूचि और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता होती है।

2. देश में विधायी प्रस्तावों से संबंधित कार्य करने वाले प्रशिक्षित अधिकारियों तथा साथ ही प्रशिक्षित विधायी परामर्शियों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) की स्थापना की गई।
3. आई.एल.डी.आर. प्रत्येक वर्ष विधायी प्रारूपण से संबंधित निम्नलिखित एक बुनियादी पाठ्यक्रम तथा एक मूल्यांकन पाठ्यक्रम का संचालन करता है:
 - (i) बुनियादी पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मध्यम श्रेणी के विधि अधिकारियों के लिए है;
 - (ii) पंद्रह दिन की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है;
 - (iii) कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटरनशिप स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रुचि पैदा हो सके तथा वे विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। स्वैच्छिक इंटरनशिप स्कीम चार से छह सप्ताह के लिए तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के छात्रों अथवा पांच वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के चौथे या पांचवें वर्ष के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। यह स्कीम 2013 से चल रही है। कोविड-19 महामारी तथा सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण स्वैच्छिक इंटरनशिप योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया।
 - (iv) अब तक आई.एल.डी.आर. ने विधायी प्रारूपण पर 23 मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा 31 बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। राज्य सरकारों के विधायी प्रस्तावों पर कार्य कर रहे कुल 344 अधिकारियों को बुनियादी पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया गया तथा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विधायी प्रारूपण से जुड़े 386 अधिकारी आई.एल.डी.आर. द्वारा चलाए गए मूल्यांकन पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, स्वैच्छिक इंटरनशिप स्कीम द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के 304 विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए हैं।

4. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंधित/अधीनस्थ कार्यालयों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर एक ऑनलाइन कैम्पस पाठ्यक्रम का 23 जून, 2021 से 25 जून, 2021 तक तीन दिवसीय आयोजन किया गया था तथा इस पाठ्यक्रम में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
5. राज्य सरकार/राज्य विधान सभाओं के अधिकारियों के लिए एक महीने का ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 नवंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021 तक आयोजित किया गया था तथा इस प्रशिक्षण से 40 प्रतिभागी लाभान्वित हुए थे।

29. ई-गवर्नेंस हेतु की गई पहलें

(i) कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ आधारित आधिकारिक वेबसाइट):

विधायी विभाग ने कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) पर आधारित आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है। विभाग की उक्तय सीएमएफ आधारित वेबसाइट को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किए जाने के पश्चात् 'सर्टिफाइड क्वॉलिटी वेबसाइट' (सीक्यूडब्ल्यू) प्रमाण पत्र जारी किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, गाइडलाइन्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुकूल है।

(ii) ई-ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन:

सुशासन के भाग के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ट्रैकिंग करने के लिए ई-ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन विधायी विभाग में आरंभ हो गया है।

(iii) विधायी विभाग में किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देश:

विभाग द्वारा साइबर हमलों से बचने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समन्वय से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ई-गवर्नेंस नीति का अनुपालन किया जाता है। सरकार द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले साइबर सुरक्षा संबंधी अनुदेश, विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को डाटा चोरी, हैकिंग और इस प्रकार के अन्य साइबर हमलों के प्रति जागरूक बनाने के लिए परिचालित किए जाते हैं ताकि उन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करके विभाग की वेबसाइट को किसी भी संभावित साइबर हमले से बचाया जा सके तथा इसे सुरक्षित बनाया जा सके।

30. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियम के परिणाम स्वरूप, विधायी विभाग में 12 अगस्त, 2005 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में श्री उदय कुमार, संयुक्त सचिव; श्री पी.सी. मीणा, उप-सचिव तथा श्री वेद प्रकाश, अनुभाग अधिकारी क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अधीन एक पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई-मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का

उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई-मेल संपर्क पता aa-rti-legis@nic.in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio-rti-legis@nic.in है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय-वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही अंतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय-सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए एक हजार दो सौ छियासी (1,286) आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। इसी अवधि (1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक) के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर पचासी (85) प्रथम अपीलों में से सभी पचासी (85) प्रथम अपीलों का उनके गुण-दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आर.टी.आई. मामलों के निपटान से इस विभाग को दिसंबर 2021 तक आवेदन-शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में 2,944 रु की प्राप्ति हुई है।

31. शुद्धि अनुभाग

केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख-रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख-रखाव करता है। यह अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख-रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के अधिकारियों तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं तथा इनका प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए भी किया जाता है। केंद्रीय अधिनियमों का अद्यतनीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा वर्ष 2021 के चालू केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अद्यतन कर दिया गया है।

उक्त अवधि के दौरान, इस अनुभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2021 के 10 केंद्रीय अध्यादेशों को अपलोड किया है। 'Documents' शीर्षक के अंतर्गत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार तरीके से भी केंद्रीय अधिनियमों की सूची को भी अपलोड किया गया है।

वर्ष 2021 में इस अनुभाग ने मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.egazette.nic.in> से संसद के पचास अधिनियमों (एक वित्त अधिनियम तथा नौ विनियोजन अधिनियम सहित), एक संवैधानिक संशोधन (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 तथा दस केंद्रीय अध्यादेशों की गजट कॉपी डाउनलोड की है। इस अनुभाग ने वर्ष 2021 में संसद द्वारा पारित अधिनियमों का एक फोल्डर तैयार किया है तथा प्रमुख अधिनियमों की मास्टर कॉपी में सत्ताईस संशोधन अधिनियमों के संशोधनों को शामिल किया है। डाउनलोड किए गए अधिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

केंद्रीय अधिनियम:

(क) विनियोजन अधिनियमों एवं वित्त अधिनियम को छोड़कर वर्ष 2021 में डाउनलोड किए गए मुख्य अधिनियम:

1. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1)
2. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14)
3. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17)
4. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का 19)
5. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20)
6. अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24)
7. अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 (2021 का 25)
8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29)
9. अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33)
- *संविधान का (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021
10. कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021(2021 का 40)
11. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021(2021 का 41)
12. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47)

(ख) 2021 में डाउनलोड किए गए संशोधित अधिनियम

1. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 2)
2. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 3)
3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 4)
4. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 6)
5. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 8)
6. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15)
7. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16)
8. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 18)
9. फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 21)
10. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 22)
11. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (2021 का 23)
12. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 26)

13. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 27)
14. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 28)
15. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 30)
16. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 31)
17. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 32)
18. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 34)
19. साधारण बीमा कार बार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 37)
20. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 38)
21. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 39)
22. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 43)
23. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 44)
24. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 45)
25. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 46)
26. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 48)
27. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 49)

(ग) 2021 में डाउनलोड किए गए संशोधित अध्यादेश

1. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021
2. अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021
3. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021
5. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021
6. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021
7. अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021
8. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021
9. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021
10. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021

संसद् के अधिनियमों के आधार पर मुख्य अधिनियमों की मास्टर कॉपी में संशोधन कर दिए गए हैं। वर्ष 2021 के दौरान, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए उनके संबंधित अधिनियमों, उन्हें लागू करने की

तिथि तथा उनकी अधिसूचना संख्या की प्रविष्टि अधिनियमों की मास्टर कॉपी में प्रासंगिक स्थानों पर कर दी गई है।

राज्य अधिनियम

वर्ष 2021 के दौरान, इस अनुभाग को 8 राज्यों अर्थात् केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा तेलंगाना से कुल 72 राज्य अधिनियम तथा 66 अध्यादेश प्राप्त हुए हैं। सभी अधिनियमों तथा अध्यादेशों की प्रविष्टि संबंधित रजिस्ट्रों एवं फोल्डरों में कर दी गई है।

32. भारत संहिता अद्यतनीकरण यूनिट

प्रत्येक वर्ष विधान मंडल द्वारा अनेक विधायन (मुख्य अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं तथा न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और साथ-ही-साथ नागरिकों के लिए यह कठिन हो जाता है कि वे आवश्यकता होने पर प्रासंगिक एवं अद्यतन अधिनियमों का संदर्भ ले सकें। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि एक वृहत् रिपोजिटरी का निर्माण किया जाए जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं संशोधनों को इकट्ठा रखा जाए जो सबके लिए उपलब्ध हो। एक केंद्रीय रिपोजिटरी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं समय-समय पर बनाए गए उनके अधीनस्थ विधायनों को रखा जाए जो समस्त हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो ताकि उन कानूनों को जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों आदि को आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन रूप में उपलब्ध कराया जा सके तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अद्यतन कानूनों पर अपनी कॉपीराइट का दावा करते हुए जनता से भारी कीमत वसूल करके उनका शोषण करने पर रोक लगाया जा सके। वस्तुतः, इंटरनेट पर भारत संहिता उपलब्ध कराने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) का निर्माण किया गया है जो कि एक वन स्टॉप डिजिटल रिपोजिटरी है जहां केंद्र व राज्य के सभी विधायनों के साथ-साथ उनके संबंधित अधीनस्थ विधायनों को इकट्ठा रखा गया है। सभी नागरिकों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने तथा साथ-ही-साथ एक राष्ट्र-एक मंच के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएं:

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी इच्छुक पक्षकारों के आवश्यकतानुसार भारत के सभी अधिनियमों तथा विधायनों को नवीनतम तथा अद्यतन फार्मेट में वन स्टॉप रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रणाली से न केवल संबद्ध पूर्व दृष्टांतों तथा संशोधनों को ढूंढने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी बल्कि अपनी रूचि के अनुसार किसी भी केंद्रीय या राज्य के अधिनियम को अद्यतन रूप में पुनःप्राप्त करना प्रयोक्ता अनुकूल हो जाएगा, वह भी एक बटन दबाते ही। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है जिसके द्वारा कहीं से भी मोबाइल पर ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रणाली से भारत में बने कानूनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। इससे प्रभावी सूचना प्रबंध के रूप में भी मदद मिलेगी जिससे प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्य में सहायता मिलेगी तथा लोग डिजिटल फॉर्म में इसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

इस रिपोजिटरी में केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम शामिल हैं। यह एक केंद्रीय डाटाबेस रिपोजिटरी है जिसमें भारत में बने सभी कानून शामिल हैं। जब भी कोई नया अधिनियम या संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तथा अधीनस्थ विधायन बनाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारी को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे केंद्रीय रिपोजिटरी पर उसे अपलोड कर सकें।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) के अंतर्गत indiacode.nic.in वेबसाइट तैयार किया गया है जिस पर केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियमों के साथ-साथ उनके अधीनस्थ विधायन भी उपलब्ध हैं। केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम धाराओं, अनुसूचियों, लघु शीर्षकों, अधिनियमन की तिथियों, आदि के संबंध में ब्योरे उपलब्ध कराएंगे तथा साथ-ही-साथ प्रत्येक अधिनियम में अति महत्वपूर्ण पाद टिप्पणियां उपलब्ध कराएंगे। खोजने की सुविधा निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है:

1. अधिनियम का वर्ष
2. अधिनियम सं.
3. अधिनियमन की तिथि
4. लघु शीर्षक
5. मंत्रालय
6. विभाग

फ्री पाठ खोज भी उपलब्ध है।

ई-शासन के रूप में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम

इस प्रणाली से कोई भी व्यक्ति विद्यमान अधिनियमनों को देख सकता है। साथ ही, केंद्र और राज्य के किसी भी अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बनाए गए अधीनस्थ विधायनों को पुनःप्राप्त करने के लिए संबद्ध पूर्व दृष्टांतों और संशोधनों को ढूंढने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। अद्यतन विधायी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है तथा यह मात्र कुछ एक बटन दबाकर प्राप्त किया जा सकेगा।

भारत संहिता की वेबसाइट पर केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन करने और अपलोड करने की प्रक्रिया के रूप में 1838 से 2021 केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन और अपलोड कर दिया गया तथा 1834 से 1955 तक निरस्त अधिनियम भी अपलोड किए गए हैं। जहां तक अधीनस्थ विधायनों को अद्यतन और अपलोड करने का संबंध है, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अद्यतन पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा कई मंत्रालयों और विभागों ने अपने अधीनस्थ विधानों को अपलोड कर दिया है।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) ई-शासन के रूप में की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें हमारे इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में विद्यमान सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम एक स्थान पर उपलब्ध कराए गए हैं। अतः उपलब्ध अधिनियमों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माताओं, न्यायपालिका, विद्वानों, विधि के छात्रों आदि द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार, यह वेब पोर्टल दुनिया भर में देखा जाता है। भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) उन निजी प्रकाशकों के एकाधिकार को समाप्त करती है जो अपने प्रकाशनों द्वारा नागरिकों के उनके अपने कानून पर कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं।

33. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग का मुद्रण अनुभाग नामतः मुद्रण-I और मुद्रण-II विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण के कार्य से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय-वस्तु और अनुबंध, जहां-जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। मुद्रण अनुभाग विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल

प्रक्रमों पर जांच करते हैं तत्पश्चात् उसे अनुमोदन के उपरांत विधायी—। अनुभाग को भेज दिया जाता है जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को “लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए” मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प-सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात्, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं, जैसे “यथा पुरःस्थापित/पुरःस्थापित किए जाने वाले” प्रक्रम, “लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित” प्रक्रम, “दोनों सदनों से यथा पारित” प्रक्रम, “अनुमति प्रति” प्रक्रम, “हस्ताक्षर प्रति” प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए-4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए-4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

2. भारत का संविधान, भारत संहिता, संसद् के अधिनियमों जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच करने के अलावा मुद्रण अनुभागों ने विभाग की आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण को अद्यतन करने का भी कार्य किया है।
3. 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण-I तथा मुद्रण-II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए :-
 - (क) 89 विधेयकों, 49 राजपत्रों, 10 अध्यादेशों की पांडुलिपियों का संपादन किया गया तथा इनके प्रूफों की जांच और समीक्षा की गई; और
 - (ख) 49 ए-4 अधिनियम तैयार किए गए हैं;
4. लॉकडाउन अवधि के दौरान, मुद्रण अनुभागों के कर्मचारियों ने अति आवश्यक और समयबद्ध रूप से कार्य को पूरा करने के लिए कार्यालय में उपस्थित रहें।

34. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग

1. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग एक संदर्भ अनुभाग है जो भारत संहिता में समाहित अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों, आदेशों आदि का संचालन करता है। इस विभाग को किए गए कार्य आवंटन के दौरान जी.एस.आर.ओ अनुभाग को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं—
 - (i) भारत संहिता में समाहित अधिनियमों के अंतर्गत साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों का संकलन करना;
 - (ii) विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत जारी की जाने वाली वैसी अधिसूचनाओं की पांडुलिपि तैयार करना एवं उन्हें अंतिम रूप देना जिनका प्रकाशन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा भाग-II के रूप में किया जाता है, जो इस विभाग के प्रकाशन अनुभाग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले संशोधित संस्करणों के संबंध में भाग-I का सहयोगी प्रकाशन होता है।
2. किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिनमें सांविधिक नियम और आदेश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधीक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से संबंधित होता है। अधीनस्थ

विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख-रखाव करें।

3. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ अनुभाग) द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) के अधीन जारी अधीनस्थ विधायनों से संबंधित गजट अधिसूचनाओं, जो कि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांटी गईं। विभिन्न साधारण और असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) से संबंधित शुद्धियों सहित विभिन्न अधिसूचनाओं की प्रविष्टि वर्णक्रमानुसार रजिस्टर में की गई।
4. जी.एस.आर.ओ अनुभाग ने ई-समीक्षा पर केंद्रीय अधिनियमों तथा अधीनस्थ विधानों को अपलोड करने संबंधी अन्य विविध कार्य भी किए तथा साथ ही अधीनस्थ विधानों संबंधी तिमाही रिपोर्ट, आर.टी.आई आवेदन/अपील, संसदीय प्रश्नों तथा रिपोर्टों आदि से संबंधित कार्य भी किए।

35. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट-पूर्व विचार-विमर्श और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू शामिल होते हैं और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित होती है, से संबंधित कार्य भी करता है तथा उन्हें वित्त मंत्रालय भेजे जाने से पूर्व उनकी प्रोसेसिंग भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य भी इस अनुभाग द्वारा समन्वयित किया जाता है।

- (2) एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

36. प्रकाशन अनुभाग

प्रकाशन अनुभाग समय-समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों जैसे कि भारत के संविधान, निर्वाचन विधि संबंधी निर्देशिका, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, सांविधिक परिभाषाओं की सूची आदि के संशोधित संस्करण प्रकाशित करता है।

2. वर्ष 2021 के दौरान, प्रकाशन अनुभाग ने भारत के संविधान (अंग्रेजी पाठ), जिसमें फुट नोट के साथ संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम, 2021 सहित नवीनतम संशोधन शामिल हैं, का संकलन, संवीक्षा तथा पुनरीक्षण इस विभाग द्वारा प्रकाशित (पॉकेट साइज में, डिग्लॉट संस्करण) कर दिया गया है तथा यह इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर फुट नोट सहित भारत का संविधान (अंग्रेजी संस्करण) की अद्यतन प्रति उपलब्ध करवा दी गयी है। भारत का संविधान के प्रमाण की भी जांच की गई और इसे लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित करने के लिए अंतिम रूप दिया गया। भारत का संविधान का नया संस्करण डिग्लॉट रूप में इस विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया तथा माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा 26 नवंबर, 2021 को जारी किया गया था।

3. कतिपय केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियां (अंग्रेजी संस्करण) विधिवत अद्यतन संशोधनों को शामिल करते हुए तैयार की गई हैं और प्रकाशन के लिए राजभाषा खंड को अग्रेषित की गई हैं।

37. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(1) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन:—

विधायी विभाग ने 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :—

राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को क्रमशः 84.36%, 79.31% तथा 71.25% पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप- नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट:—

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:—

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खंड) सह राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। इस समिति की पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी बैठक का आयोजन क्रमशः 26.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021 तथा 31.12.2021 को किया गया था। यह समिति हिंदी के प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका

समाधान ढूँढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार-विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(4) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति:—

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिए गए दिशा – निर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मनोनित माननीय संसद् सदस्य, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के मनोनित सदस्य, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विधि और न्याय मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के मनोनित गैर सरकारी सदस्य होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

(5) हिंदी प्रशिक्षण:—

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के ये पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(6) हिंदी पखवाड़े का आयोजन:—

इस विभाग में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया था। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार राशि प्रदान की गई थी तथा पुरस्कार राशि के रूप में कुल रु 88,300 की राशि स्वीकृत की गई थी।

(7) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं:—

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन योजनाएं विभाग में लागू की गई हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान मूल रूप से हिंदी में टिप्पण / प्रारूपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आठ कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में आशुलिपि तथा टंकण करने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी को पुरस्कृत किया गया। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए एक अधिकारी को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है।

(8) संसदीय राजभाषा समिति:—

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन 1976 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निगरानी करने व सुझाव देने के लिए किया गया था। जहां

तक विधायी विभाग का संबंध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

38. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :-

- (i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन;
- (ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;
- (iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;
- (iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की संबंधित राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;
- (v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी पाठ की तैयारी;
- (vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी पाठ की तैयारी;
- (vii) राष्ट्रपति शासन के अधीन स्थित राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी पाठ की तैयारी;
- (viii) संसद् के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी पाठ की तैयारी जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं;
- (ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण;
- (x) हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वय समिति से संबंधित कार्य करना ताकि हिंदी के एकसमान विधिक शैली और मानक वाक्यांशों के मॉडल को क्रमिक रूप से विकसित करने तथा उन्हें प्रकाशित करने के कार्य में प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके;
- (xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;
- (xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;
- (xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;

- (xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण; तथा
(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(2) विधि शब्दावली:—

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग के गठन के बाद से अब तक विधि शब्दावली के सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान:—

हाल ही में, 25 नवंबर, 2021 माननीय विधि और न्याय मंत्री ने संविधान के 2021 संस्करण को डिग्लॉट रूप में लांच किया जिसमें अब तक के सभी संशोधन सम्मिलित हैं।

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 16 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, मणिपुरी उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं। हाल ही में सक्षम प्राधिकारी ने भारत के संविधान को मणिपुरी भाषा में डिग्लॉट रूप में प्रकाशन करने (अंग्रेज़ी-मणिपुरी) और डोगरी भाषा डिग्लॉट रूप में (अंग्रेज़ी-डोगरी) की मंजूरी दी है।

(4) भारत संहिता:—

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिग्लॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता के खण्ड XXXII और XXXIII की पांडुलिपि मुद्रण हेतु प्रेस में भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन:—

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 28 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2535 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन:—

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रकाशित किया जाता है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवादः—

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 62 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 10 अध्यादेशों, 1 मंत्रिमंडल टिप्पण तथा 39 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.):—

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए अधिकृत करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 9797 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए तैयार की गई।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशनः—

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 3072 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है,

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख-रखावः—

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिग्लॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा खण्ड द्वारा डिग्लॉट रूप में प्रकाशित कराए जाने वाले प्रस्तावित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ की पांडुलिपि तैयार की जाती है। वर्ष के दौरान, दो डिग्लॉट अधिनियमों की पांडुलिपि तैयार की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

- (क) केंद्रीय अधिनियमों की ई-गजट प्रतियों के प्रकाशन से संबंधित सूचना विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में उन अधिनियमों के अनुवाद के लिए भेजी;
- (ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने-अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजी;
- (ग) प्रकाशन संबंधी कार्य किया;
- (घ) राजभाषा खंड की प्रादेशिक भाषा युनिट को प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के संबंध में सहायता की तथा इस युनिट को कार्यदल (प्रादेशिक भाषा) की बैठक के आयोजन में भी

मद की ताकि वे अपनी संबंधित प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली में शामिल किए जाने वाले शब्दों का निर्णय और अनुमोदन ले सकें।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन:-

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति अधिनियमों आदि, और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्पाविधिक सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद् या राज्य परिषद् की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के संशोधित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के आशोधित द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टें, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्पूर्वी द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने सौंपे गए सभी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 28 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 10 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन:-

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2536 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना:-

राजभाषा खंड, का क्षेत्रीय भाषा यूनिट भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने का कार्य कर रहा है। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध है यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (क्षेत्रीय भाषा) द्वारा 47 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 75 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन हिंदी सहित इन क्षेत्रीय भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में त्रिभाषी (अंग्रेजी- प्रादेशिक भाषा- हिंदी) विधि शब्दावली तैयार करने से संबंधित कार्य सात भाषाओं- बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू में पूरा कर लिया गया है जो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया

है, ये हैं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणी। भारत के संविधान को डोगरी भाषा में डिग्लॉट (अंग्रेजी-डोगरी) रूप में प्रकाशित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण:—

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात् सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद् पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद् पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं। भारत का संविधान तथा विधि शब्दावली लोक सभा/राज्य सभा तथा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भी वितरित की गई है।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य:—

इस मंत्रालय की बारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014-रा.भा.(वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए किया गया तथा इसके पश्चात् इसका कार्यकाल 14 मई, 2018 से एक वर्ष के लिए अथवा 16वीं लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए विस्तारित किया गया। हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :—

- (i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करना;
- (ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास;
- (iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना;
- (iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन;
- (v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषांगिक और सम्बन्धित विषय;
- (vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान:—

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा० सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 25 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि हेतु एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। इस समिति में श्रीमती कुमुद एल.दास, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली; प्रोफेसर (डॉ)

सुभाष चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, डॉ. बी.जी.आर. कैम्पस, पौड़ी गढ़वाल राजभाषा खण्ड के संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी सदस्य-सचिव के रूप में शामिल हैं। विधि के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए न्यायमूर्ति डा. सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 3 मार्च, 2021 को एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान के लिए कोई भी स्वैच्छिक संगठन उपयुक्त नहीं पाया गया।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपायः—

राजभाषा खंड की वेबसाइट 3.12.2001 को तैयार की गई थी तथा इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर <http://lawmin.nic.in/olwing> है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि के प्रिंटआउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा हिंदी पाठ की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट पर 1838 से 2018 तक के केंद्रीय अधिनियमों की सूची उपलब्ध करवा कर तथा 10 महत्त्वपूर्ण विधायनों के साथ-साथ प्रधान एवं संशोधन विधायनों को पीडीएफ फॉर्मेट में वेबसाइट पर अपलोड करके इसे और अधिक समृद्ध बनाया गया है जो विधि के क्षेत्र और से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों के लिए खासा लाभकारी है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए राजभाषा खण्ड ने मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल शुरू किया है।

राजभाषा खंड के सभी समूह "क" अधिकारियों के नामों, ई-मेलों, पता और संपर्क नम्बरों की अंग्रेजी और हिंदी में एक सूची भी राजभाषा खण्ड के होमपेज पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का ब्यौरा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है।

39. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केंद्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात्, हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया। इस खंड को ही बाद में "विधि साहित्य प्रकाशन" नाम दिया गया।

आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेद्य (Reportable) निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य

के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया और इसे "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" का नाम दिया गया। तत्पश्चात्, उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया और इसे "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" का नाम दिया गया। वर्ष 1987 में "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" को दो निर्णय पत्रिकाओं अर्थात् "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" में विभाजित कर दिया गया। तत्पश्चात्, 1990 से उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधि साहित्य प्रकाशन में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारीवृन्द की कमी होने के कारण 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका' में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय प्रकाशित होते हैं। 'उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका' और 'उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका' में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल प्रतिवेद्य और चयनित निर्णय ही प्रकाशित होते हैं।

उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :-

- (क) शैक्षणिक उपयोग के लिए विधि और अन्य क्षेत्रों में निर्देश पुस्तकों के रूप में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन;
- (ख) हिन्दी में विधि के उत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन;
- (ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना;
- (घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और
- (ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टतया हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधि साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार किए जाने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित किया जाना।

इसके अतिरिक्त विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं। विधि के क्षेत्र में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय-समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/ गैर हिंदी भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य करता है।

विधि साहित्य समाचार' नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। "प्रकाशन सूची" भी ग्राहकों को समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाती, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन में विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी समाविष्ट होती है।

पुरस्कार प्रदान किया जाना : विधि साहित्य प्रकाशन उपर्युक्त तीन विधि पत्रिकाओं और विधि पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त हिंदी में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन और पाठ्यपुस्तकों या निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए हिंदी में लिखित या प्रकाशित पुस्तकों पर 5,00,000/- रु. (पांच लाख रुपए केवल) (प्रथम पुरस्कार 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए केवल), द्वितीय पुरस्कार 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए केवल) और तृतीय पुरस्कार 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए केवल)) दिए जाते हैं। यह

पुरस्कार लेखकों को प्रतिवर्ष निजी प्रकाशकों द्वारा हिंदी में प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दिए जाते हैं। डॉ. राम चंद्र निगम द्वारा लिखित दंड विधि (साधारण सिद्धांत), भारतीय दंड संहिता विनिर्दिष्ट अपराध (द्वितीय संस्करण), केसी जोशी द्वारा लिखित प्रशासनिक विधि (चौथा संस्करण), डॉ. आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा लिखित संविदा विधि (तृतीय संस्करण), श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा लिखित विधायी प्रारूपण की पुस्तकें, वर्ष 2021 में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। हिंदी में पैंतीस मानक विधि पुस्तकें अब तक संदर्भ पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए प्रकाशित की गई हैं।

डिजिटलीकरण : विधि साहित्य प्रकाशन डिजिटलीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत है। तीनों विधि पत्रिकाएं अर्थात् उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिरियल नम्बर (आईएसएसएन) के द्वारा मानकीकरण किया जा चुका है। विधि साहित्य प्रकाशन ने तीनों पत्रिकाओं अर्थात् उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका को ई-गवर्नेंस/डिजिटली प्रक्रिया के अंतर्गत <http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya> पर पीडीएफ फॉर्मेट (वर्ष 2012 से) में अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, वादकारियों, विधि शिक्षकों और सामान्यजन्य के लाभार्थ अपलोड कर दिया है।

संगोष्ठी/प्रदर्शनी/सम्मेलन का आयोजन और विधि प्रकाशनों, भारत का संविधान, केंद्रीय अधिनियमों के द्विभाषीय संस्करणों, विधि शब्दकोश, निर्वाचन विधि निर्देशिका और भारत संहिता इत्यादि का विक्रय : केंद्रीय अधिनियम और विधि प्रकाशन <https://bharatkosh.gov.in/Product/Product/> पर ऑनलाइन विक्रय के लिए डिजिटल संदाय अर्थात् क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के आधार पर उपलब्ध है और संदाय का लिंक विधायी विभाग की वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर उपलब्ध है। यह 'Ease of Doing Business' के अंतर्गत है। न्यायाधीश, अधिवक्ता, विधि छात्र, विधि शिक्षक, विधि साहित्य प्रकाशन के विक्रय काउंटर से विधि पुस्तकें और विधि पत्रिकाएं खरीद रहे हैं। कारबार अनुभाग द्वारा वर्ष 2021 के दौरान तारीख 9 सितम्बर से 14 सितम्बर तक वाराणसी जिला न्यायालय, फैजाबाद जिला न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुस्तक प्रदर्शनी-सह-विक्रय काउंटर्स का आयोजन किया गया।

विधि साहित्य प्रकाशन हिंदी में विधि के ज्ञान को प्रोन्नत किए जाने और उसका प्रचार प्रसार किए जाने की योजना के अंतर्गत विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, न्यायाधीशों के पुस्तकालयों और विधि छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत संहिता का मुफ्त वितरण किया है।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य कुल 20,68,647/-रुपए (बीस लाख अड़सठ हजार छह सौ सैंतालीस रुपए मात्र) की पुस्तकों का विक्रय किया गया है।

संपादकीय बोर्ड/मूल्यांकन समिति : विधि साहित्य प्रकाशन में दो समितियां हैं अर्थात् संपादकीय बोर्ड और मूल्यांकन समिति और इन दोनों समितियों के सदस्यों का नामांकन माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा किया जाता है। संपादकीय बोर्ड तीनों विधि पत्रिकाओं के स्तरमान/सुधार के प्रति जागरूक रहता है, आगे के विकास सलाह देता है, जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और विधि वृत्तकों इत्यादि के लाभार्थ विधि पत्रिकाओं के परिचालन में अभिवृद्धि के बाबत के बारे में सलाह देता है। मूल्यांकन समिति हिंदी में लिखी गई और निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई सर्वोत्तम विधि पुस्तकों का चयन करती है दोनों समितियों अर्थात् मूल्यांकन समिति और संपादकीय बोर्ड के संगठन की प्रक्रिया चल रही है।

ई-पुस्तकें :- विधि साहित्य प्रकाशन ने ई-अभिशासन/डिजिटलीकरण प्रक्रिया के अधीन भौतिक प्रकाशन के अतिरिक्त, नियमित पत्रिकाओं/हिन्दी में विधिक साहित्य/विख्यात लेखकों द्वारा लिखित हिन्दी में मानक और विधिक पुस्तकों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रकाशित करता है जिनका भुगतान ई-पेमेंट पर लिया जाता है, जिससे आम जनता को आसानी होती है और इसमें कोई लागत भी नहीं आती है और अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होती है।

विधायी विभाग अपनी वेबसाइट और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा महत्वपूर्ण विधि विषयों जैसे – साइबर विधि, बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम, अनुकल्पिक विवाद समाधान विधि, मानवाधिकार, घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार इत्यादि क्षेत्रों में कार्यरत लेखकों को हिन्दी में विधिक पुस्तकें लिखने के लिए आमंत्रित करता है और इन विषयों पर पुस्तकें लिखने के लिए अधिकांश प्रवक्ताओं ने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है और इस संबंध में प्रक्रिया जारी है और इस संबंध में आमंत्रित किया जाएगा।

विभाग के वेबसाइट और भारतीय प्रेस ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष में हिन्दी में लिखित या प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों को पुरस्कृत किए जाने के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से, जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा किया जाता है, व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए स्कीम में भाग लेने के लिए लेखकों को आमंत्रित किया जाएगा।

प्रवर्तनीय नीति के अंतर्गत दीर्घकालिक योजना को प्रवर्तित किए जाने के लिए वर्ष 2017-2018 से 2023-2024 तक सात वर्षीय रूपरेखा और मध्याविधि पुनर्विलोकन के संबंध में यह प्रस्तावित किया जाता है कि विधि साहित्य प्रकाशन अपने वेबसाइट द्वारा विभिन्न जिला और उच्च न्यायालयों और विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों के माध्यम से हिन्दी में विधि साहित्य- को लोकप्रिय बनाने का कार्य करेगा और अपनी तीन पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के अलावा ई-पुस्तकों (ई-पुस्तकों के प्ररूप में ऑन लाइन सभी तीनों पत्रिकाओं) को प्रकाशित करने का कार्य करेगा।

40. सरकारी पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात् विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए सरकारी पदों में आरक्षण संबंधी सरकार के आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए उप सचिव/निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों तथा उनमें महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (अनुबंध- VII तथा अनुबंध -VIII)

41. स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन तथा अन्य कार्यकलाप

इस विभाग में जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छता कैलेंडर 2021 के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस तथा समय-समय पर आजादी का अमृत महोत्सव आदि भी गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 बचाव अनुकूल व्यवहार तथा सभी सुरक्षा एवं एसओपी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। (अनुबंध-IX)

42. लोक शिकायत:

1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, विधायी विभाग में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1644 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2021 से पहले 223 लोक शिकायतें लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान, 1544 लोक शिकायतों का निपटान किया गया तथा शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

43. विभागीय लेखा संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अवर सचिव (वित्त सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

2 सा.वि.नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/ विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं, वे:-

- (i) अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।
- (iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना-लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (iv) लोक-लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।
- (v) उनके मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।
- (vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यय-संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वित्तीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।
- (viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य-पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत-प्रभावी तरीके से लागू करे।
- (ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालय:
 - (क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।
 - (ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।

3. सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:-

- (क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।
- (ख) मंत्रालय/ विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा-परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा-नियंत्रक को प्रस्तुत कराना।

- (ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन के रिकॉर्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना।
4. मुख्य लेखा नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
5. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 32 सीडीडीओ और 19 एनसीडीडीओ सहित 51 डीडीओ हैं। गैर-चेक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलों को भुगतान की "प्री-चैक" प्रणाली के अर्न्तगत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय-वार विवरण नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनएसडीडीओ
1	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	3	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.का.)	29	11
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीसीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

6. सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:-

- (क) मंत्रालय/विभाग के लेखों का मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समेकित करना।
- (ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए केन्द्रीय लेन-देन के विवरण और सामग्री को मुख्य, लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना।
- (घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम-पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण रखना।
- (ड.) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान-कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा-परीक्षा रजिस्ट्रारों का रखरखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कर्तव्यों को निभाता है और स्थानीय वेतन और लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा संबंधी सलाह भी देता है।

7. सिविल लेखा नियम-पुस्तिका (मैनुअल) में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों में भुगतान निधियां आहरित करने के लिए

प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिए किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा-जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आहरण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा-जोखा अंतिम रूप से वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
 - निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
 - प्राप्तियों की समय पर वसूली।
 - बैंक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक "लेटर ऑफ क्रेडिट" जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की जांच-पड़ताल करना
 - बैंक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखों को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
 - सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रख-रखाव और सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।
 - सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
 - बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई-भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
 - निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
 - समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोग वित्तीय सूचना देना।
8. किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
9. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:-
- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
 - वार्षिक विनियोग लेखा।
 - केन्द्रीय लेन-देन का विवरण।
 - "लेखा एक नजर में" तैयार करना।
 - मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा-परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्तीय लेखा।
 - राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
 - मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और मुख्य लेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।

- प्राप्ति बजट तैयार करना।
 - पेंशन बजट तैयार करना।
 - पीएओ/चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।
 - मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
 - विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।
 - भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
 - शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
 - पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
 - विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
 - सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उपलब्ध कराना।
 - विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
 - नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 के पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संबंधी मामलों की मानिट्रिंग करना।
 - लेखा और ई-भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
 - लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन।
 - केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
 - वित्त मंत्रालय के मार्ग-निर्देशों के अनुसार, नॉन-टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
10. प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप-शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के बजट व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ-साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीट्रिंग हो।
11. लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर-कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।
12. मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा-नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

13. आंतरिक लेखा-परीक्षा खंड-आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों-विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्यों जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन को सहायता प्रदान करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है, परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और अनुदानग्राही संस्थाओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्याय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन 51 ऑडिट-यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप तथा व्यापक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना का अनुमोदन विलंब से मिलने के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा-परीक्षा संबंधी कोई भी कार्यकलाप नहीं किया गया है।

उपलब्धियां:- व्यापक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना के अनुसार लेखा परीक्षा करने के अलावा समय-समय पर अनुस्मारक एवं परिपत्र संबंधित कार्यालयों/विभागों को भेजे गए। अभी तक आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान 233 पैरा, वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान 193 पैरा, वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान 46 पैरा, वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान 63 पैरा तथा वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 28 पैरा निपटाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कोई भी लेखापरीक्षा नहीं की गई। तथापि, लंबित आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:-

वित्तीय वर्ष	लंबित पैरा की संख्या	ड्राप किए पैरा की संख्या	शेष पैरा
2015-16	323	233	90
2016-17	251	193	58
2017-18	60	46	14
2018-19	138	63	75
2019-20	115	28	87
	887	563	324

14. **बैंकिंग व्यवस्था :-** भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और देना बैंक विधि, न्याय मंत्रालय और एससीआई के पीएओ और इसके क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रत्यायित बैंक हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्रत्यायित बैंकों को प्राप्तियां प्रेषित की गईं। प्रत्यायित बैंक में किसी भी प्रभार के लिए महालेखा-नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(15) नई पहलें

(i) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली:

प्रारंभिक रूप से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को वर्ष 2008–2009 में योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक आयोजना स्कीम के रूप में एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई जैसी चार प्रमुख योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में प्रारंभ किया गया। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केन्द्र, राज्य सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना को पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना पहल में शामिल किया गया।

पीएफएमएस को मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा निम्नलिखित हेतु अधिदेशित किया गया है:

- सभी आयोजना स्कीमों के लिए वित्तीय प्रबंध मंच, सभी प्राप्त एजेंसियों का डाटाबेस, योजनागत निधि को देखने के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में एकीकरण, राज्य कोषगारों के साथ एकीकरण और सरकार की आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन के न्यूनतम स्तर में निधि प्रवाह की प्रभावशाली और कुशल ट्रैकिंग।
- निधि उपयोगिता पर देश में सभी आयोजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना जिससे आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट मानीटरिंग, समीक्षा और निर्णय सहायता प्रणाली बनाई जा सके।
- सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता और योजनाओं में संसाधन उपलब्धता और उपयोगिता के संबंध में तथ्यपरक जानकारी के लिए बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था में परिणाम के लिए। इस योजना को लागू किए जाने से कार्यक्रम के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार होगा, व्यवस्था में फ्लोटिंग में कमी, लाभार्थियों को सीधा भुगतान और सार्वजनिक निधि के उपयोग में बड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रस्तावित प्रणाली अभिशासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होगी।

अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए मॉड्यूल:-

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार स्टेकहोल्डरों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/विकसित किए जा रहे मॉड्यूल का उपर्युक्त अधिदेश निम्नानुसार है:

I. निधि प्रवाह मानीटरिंग

- (क) एजेंसी पंजीकरण
- (ख) पीएफएमएस ईएटी माड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और निधि उपयोगिता
- (ग) पंजीकृत एजेंसियों के लिए लेखांकन माड्यूल
- (घ) कोषागार इंटरफेस
- (ङ) पीएफएमएस-पीआरआई निधि प्रवाह और उपयोगिता इंटरफेस
- (च) राज्य योजनाओं के लिए निधि ट्रैकिंग हेतु राज्य सरकार के लिए तंत्र
- (छ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) की मानीटरिंग

II. सीधा लाभ अंतरण डीबीटी माड्यूल

- (क) लाभार्थियों के लिए पीएओ
- (ख) लाभार्थियों के लिए एजेंसी

(ग) लाभार्थियों के लिए राज्य कोषागार
III. बैंकिंग के लिए इंटरफेस

- (क) सीबीएस
- (ख) इंडिया पोस्ट
- (ग) आरबीआई
- (घ) नाबार्ड और सहकारी बैंक

वर्धित अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए माड्यूल

IV. पीएओ कंप्यूटरीकरण— भारत सरकार में किए जाने वाले भुगतान, प्राप्तियों तथा लेखांकन की ऑनलाइन व्यवस्था

- (क) कार्यक्रम प्रभाग माड्यूल
- (ख) डीडीओ माड्यूल
- (ग) पीएओ माड्यूल
- (घ) पेंशन माड्यूल
- (ङ) जीपीएफ और एचआर माड्यूल
- (च) जीएसटीएन सहित प्राप्तियां
- (छ) वार्षिक वित्तीय विवरण
- (ज) नकद प्रवाह प्रबंधन
- (झ) नॉन सिविल मंत्रालयों के साथ इंटरफेस

V. नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल

अन्य विभागीय पहल :

पीएफएमएस की क्षमताओं को प्रयोग में लाने के लिए, अनेक अन्य विभागों ने अपने विभाग की आवश्यकताओं के लिए उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया है।

VI. एमएचए के लिए इंटरफेस (विदेश प्रभाग) एफसीआरए के तहत निधि प्राप्ति करने वाली एजेंसियों की मानीटरिंग

VII. सीबीडीटी पीएएन मान्य करण

VIII. जीएसटीएन बैंक खाता मान्यकरण

कार्यान्वयन कार्यनीति:

वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

उन्नत वित्तीय प्रबंधन द्वारा:

- निधियों की जस्ट इन टाइम (जेआईटी) निर्मुक्ति
- अंततः उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी।

कार्यनीति:

- पीएफएमएस की सार्वभौमिक शुरुआत, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है
- पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और अंतरण (ईएटी) माड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I. केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं/संव्यवहारों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति पूरे किए जाने वाले क्रियाकलाप

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग।
- योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचना की मैपिंग।
- पीएफएमएस की प्रत्येक योजना के बजट को अपलोड करना।
- प्रत्येक स्कीम की कार्यान्वयन से संबंधित क्रमबद्धता की पहचान करना।
- पीएफएमएस के साथ विशिष्ट योजनाओं अर्थात् नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट के प्रणालीगत इंटरफेस का एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण।

II. राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता (सीएसपी) के लिए कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप

- राज्य राजकोष का पीएफएमएस के साथ एकीकरण।
- सभी एसआईए का पीएफएमएस में पंजीकरण (स्तर 1 और नीचे)।
- राज्य योजनाओं की संबंधित केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग।
- पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का संविन्यास।
 - राज्य योजना घटकों का संविन्यास
 - प्रत्येक राज्य योजना की क्रमबद्धता की पहचान और संविन्यास
- पीएफएमएस का योजना विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण।
- कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहायता।

2020-21 में विधि एवं न्याय मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत चार (04) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी), वेतन एवं लेखा कार्यालय (ईओ) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) में से वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई), जो अभी भी सीजीए द्वारा दी गई अनुमति के अनुरूप काम्पैक्ट माड्यूल पर काम कर रहा है, को छोड़कर तीन (03) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी) और वेतन एवं लेखा कार्यालय(ईओ) के संबंध में पीएफएमएस के भुगतान एवं लेखा माड्यूल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में ईआईएस/सीडीडीओ/एनटीआरपी माड्यूल की स्थिति:-

1. सीडीडीओ द्वारा इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सीडीडीओ मॉड्यूल का कार्यान्वयन				
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह-वार योजना मार्च, 2022
विधि एवं न्याय मंत्रालय	32	31	1	1

2. कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल

मंत्रालय/विभाग	डीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले डीडीओ की सं.	शेष डीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह-वार योजना मार्च, 2022
विधि एवं न्याय मंत्रालय	51	46	5*	3**

*दो(02) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के मामलों में फिलहाल ईआईएस की आवश्यकता नहीं है।

**इस मामले को महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के समक्ष रखा गया है।

3. नान टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) मॉड्यूल

मंत्रालय/विभाग	पीएओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले पीएओ की सं.	शेष पीएओ की सं.
विधि एवं न्याय मंत्रालय	4	4	शून्य

विनियोग लेखा, 2019-20 की मुख्य विशेषताएं

(रु करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिशेष(+) बचत (-)
अनुदान सं. 63				
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	147.43	131.06	115.60	-15.46
2014-न्याय प्रशासन	442.87	389.18	380.80	-8.38
2015-निर्वाचन	487.00	73.45	71.15	-2.30
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	122.90	112.70	95.81	-16.89
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	14.80	9.91	9.70	-0.21
2552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	105.00	5.00	0	-5.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	780.00	707.00	706.81	-0.19
3602-संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान	50.00	51.65	51.65	0
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	200.00	286.00	286.00	0
वर्ष के दौरान वापस की गई राशि				-680.05
योग:	2350.00	2446.00	1717.52	-728.48
विनियोग सं. 65-भारत का उच्चतम न्यायालय				
विनियोग सं. 63-भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	308.61	328.00	327.99	-0.0001

(स्रोत: विनियोग लेखा 2019-20)

अध्याय—III न्याय विभाग

1. संगठन और कार्य

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का भाग है। विधि और न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। सचिव (न्याय) सचिवालय के प्रमुख हैं। संगठनात्मक ढाँचे में एक अपर सचिव और तीन संयुक्त सचिव, सात निदेशक/उप सचिव और ग्यारह अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक संख्या 101 है, जिसमें से 44 पद रिक्त हैं। वर्तमान में 57 वर्तमान पदाधिकारियों में से केवल 09 महिला अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में काम कर रही हैं। न्याय विभाग का संगठनात्मक ढाँचा अनुबंध-I पर है।

- 1.1 भारत सरकार (समय-समय पर यथासंशोधित आवंटन नियम-1961 के अनुसार) अन्य बातों के साथ-साथ न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :-
 - i. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अधिकार (छुट्टी भत्ते सहित), पेंशन और यात्रा भत्ते ;
 - ii. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना; उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ता सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते;
 - iii. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति ;
 - iv. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) (किन्तु इस न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क ;
 - v. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों का संघटन और संगठन सिवाय इन न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर ;
 - vi. संघ शासित क्षेत्रों में न्याय प्रशासन और न्यायालयों का संघटन और संगठन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क ;
 - vii. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी ;
 - viii. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन ;
 - p. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें;
 - x. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ शासित क्षेत्र तक विस्तार करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ शासित क्षेत्र को बाहर रखना।
 - xi. गरीबों को विधिक सहायता
 - xii. न्याय का प्रशासन
 - xiii. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों तक पहुंच।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण

2.1 भारत का उच्चतम न्यायालय:

31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित) 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 33 न्यायाधीश पद पर हैं, एक पद रिक्त है जिसे भरा जाना है। वर्तमान में, भारत के उच्चतम न्यायालय में 04 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय में 09 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।

2.2 उच्च न्यायालय:

- (i) 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1098 है, जिसके प्रति 688 न्यायाधीश कार्यरत हैं और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 410 पद रिक्त हैं। वर्तमान में, विभिन्न उच्च न्यायालय कॉलेजियम से न्यायाधीशों के पद के लिए 158 सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और ये सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के विचाराधीन हैं। शेष 252 पदों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अनुशंसाएं अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।
- (ii) 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में 120 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 63 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के 11 मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की गई। उच्च न्यायालयों के 06 मुख्य न्यायमूर्तियों और 27 न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। दो (02) अतिरिक्त न्यायाधीशों को नया कार्यकाल दिया गया।
- (iii) त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 01 पद की और तेलंगाना उच्च न्यायालय की 18 पदों की वृद्धि हुई, इस प्रकार त्रिपुरा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़कर 05 और तेलंगाना उच्च न्यायालय में 42 हो गई है।

3. फास्ट ट्रैक कोर्ट:

राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) स्थापित किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और एचआईवी/एडस और अन्य लाइलाज बीमारियों से प्रभावित वादियों से संबंधित दीवानी मामलों, 5 साल से अधिक समय से लंबित भूमि अधिग्रहण और संपत्ति/किराया विवाद से जुड़े सिविल विवाद से निपटने के लिए 1800 एफटीसी स्थापित करने की सिफारिश की और राज्य सरकारों से हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बढ़ी हुई निधि का उपयोग करने का आग्रह किया। 22 राज्यों में 898 एफटीसी काम कर रहे हैं, (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)।

4. निर्वाचित सांसदों/विधायकों के आपराधिक मामलों की जांच के लिए विशेष न्यायालय

अश्वनी कुमार बनाम संघ सरकार (2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 699) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में आपराधिक मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए संप्रति 10 विशेष न्यायालय (दिल्ली में 02 विशेष न्यायालय और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक में 1-1) कार्य कर रहे हैं।

5. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) :

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण और स्वतः संज्ञान रिट (आपराधिक) संख्या 1/2019 और दिनांक 25 जुलाई, 2019 की माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश में बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए देश भर में 389 विशेष संरक्षण-पोक्सो (ई-पोक्सो) अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना के लिए भारत संघ ने अक्टूबर 2019 में एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की। यह योजना 767.25 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से एक वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 474 करोड़ रुपये है। जो निर्भया फंड से खर्च किए जाएंगे। लंबित मामलों के आधार पर (31.03.2018 तक) 165 मामलों के लिए 1 एफटीएससी निर्धारित किया गया था। हालांकि, एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जहां लंबित मामलों की संख्या 165 से कम लेकिन 65 और अधिक थी, वहां 1 एफटीएससी का प्रावधान किया गया था। योजना के लिए पात्र 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में से, जहां 65 और उससे अधिक लंबित मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसे 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों इस योजना में शामिल हो गए हैं, (पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप अभी शामिल नहीं हुए हैं)। केंद्रीय हिस्से के रूप में

2019-20 में 140 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और वित्त वर्ष 2020-21 में 160 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 971.70 करोड़ रुपए केंद्र अंश के साथ 1572.86 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर मार्च 2023 तक योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान (दिसंबर 2021 तक) 62.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में (31.12.2021 तक) 383 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 700 एफटीएससी कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने 73600 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित शेष एफटीएससी की स्थापना और योजना के सुदृढ़ कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार सम्पर्क किया जा रहा है।

6. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

6.1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1993 में स्थापित एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह स्वतंत्र निकाय, भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैंपस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोर्ट प्रबंधन तथा न्याय प्रशासन का अध्ययन करने, कोर्ट प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों, व्याख्यानों तथा अनुसंधान का आयोजन करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इस अकादमी का मुख्य उद्देश्य, देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना रहा है।

6.2 भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा (जनरल बाडी) के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की कार्यकारी समिति की शासी परिषद् (गर्वनिंग काउंसिल) और शैक्षिक परिषद् के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद् द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। निदेशक, इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को संशोधित आवंटन में कुल 34.25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष के दौरान भारत और विदेशों से न्यायिक अधिकारियों के लिए 18 शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

7. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना

भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति और कार्रवाई योजना के आधार पर भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का विकास करने के लिए राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के भाग के रूप में ई-कोर्ट परियोजना एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है जो वर्ष 2007 से कार्यान्वित की जा रही है। ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड परियोजना को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत, देश भर में अब तक 18,735 अदालतों को सॉफ्टवेयर अनुरूपता और अंतर-प्रचालनीयता के साथ कम्प्यूटरीकृत किया गया है। अब तक, 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों को 31.12.2021 तक 1620.54 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है।

क. वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) कनेक्टिविटी :

ई-कोर्ट परियोजना के तहत वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना का उद्देश्य ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल), आरएफ (रेडियो फ्रिक्वेंसी), वीसैट (वैरी स्माल अपरेचर टर्मिनल) जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके देश-भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है। इस उद्देश्य के लिए, BSNL को अब तक 275.34 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अब तक, 2992 साइटों में से 2956 साइटों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति (98.7% साइटों को पूरा करने) के साथ चालू किया गया है। यह देश के कोने-कोने की अदालतों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली ई-न्यायालय परियोजना की रीढ़ है।

ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई अदालतें दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से अव्यवहार्य (टीएनएफ) साइट कहा जाता है, जहां स्थलीय केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन साइटों को आरएफ, वीसैट, सबमरीन केबल आदि जैसे हर संभव वैकल्पिक साधनों का उपयोग करके जोड़ा जा रहा है। विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार विचार-विमर्श, बैठकों और समन्वय के साथ, विभाग कुल टीएनएफ साइटों को 2019 में 58 से घटाकर 2021 में 11 करने में सक्षम रहा है। इन 11 साइटों के लिए भी वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

ख. केस इन्फोर्मेशन सिस्टम :

केस इन्फोर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस), जो ई कोर्ट सेवाओं के लिए आधार है, अनुकूलित फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2, जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

हर एक मामले को एक विशिष्ट पहचान कोड प्रदान किया गया है, जिसे सीएनआर नंबर और क्यूआर कोड कहा जाता है। इससे न्यायिक डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक नई संचार पाइपलाइन के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) का विकास हुआ है।

ग. कोविड-19 सॉफ्टवेयर पैच :

कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और कोर्ट यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है। यह उपकरण, मामलों की सुव्यवस्थित रूप से नियोजन में मदद करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारियों को वाद-सूची में तत्काल प्रकार के मामलों पर कार्रवाई करने और उन मामलों को स्थगित करने में मदद मिलेगी, जो जरूरी नहीं है। हितधारकों की सुविधा के लिए इस पैच की एक उपयोगकर्ता पुस्तिका भी जारी की गई है।

घ. ई-कोर्ट सेवाएँ :

ई-कोर्ट परियोजना के भाग के रूप में वकीलों/वादीगणों को, एसएमएस पुश एंड पुल (31 दिसंबर 2020 तक प्रतिदिन 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ई-मेल (31 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए), बहुभाषी और स्पर्शनीय ईकोर्ट्स सेवा पोर्टल (35 लाख हिट प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और इन्फो कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूचियों, निर्णयों आदि के बारे में रियल टाइम सूचना देने के लिए 7 प्लेटफॉर्म सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (1 नवंबर 2021 तक कुल 68.04 लाख डाउनलोड) और जजों के लिए JustIS ऐप (2 दिसंबर 2021 तक 16,751 डाउनलोड) के साथ इलैक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं। JustIS मोबाइल ऐप अब iOS में भी उपलब्ध है।

ङ. नेशनल सर्विस एड ट्रेकिंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसज (NSTEP)

सम्मनों की तामील करने और उनकी ट्रेकिंग करने की तकनीक सक्षम प्रक्रिया के लिए नेशनल सर्विस एड ट्रेकिंग ऑफ इलैक्ट्रॉनिक प्रोसेसज (NSTEP) शुरू की गई है। अधिक सक्षमता और प्रक्रियाओं के शीघ्र वितरण के लिए सम्मन की तालीम के लिए बैलिफ को एक जीपीएस सक्षम डिवाइस दिया जाता है। यह सम्मनों के तालीम के समय में प्रक्रिया सर्वर के भौगोलिक निर्देशांकों पर नजर रखने के अलावा सम्मन की तालीम के तत्कालिक (रियल टाइम) स्थिति का अद्यतन ब्यौरा भी प्रदान करता है। वर्तमान में इसे 26 उच्च न्यायालयों में कार्यान्वित किया गया है।

च. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड :

ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत विकसित राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का उपयोग करते हुए वकील और वादीगण आज लोचदार खोज तकनीक के साथ 19.76 करोड़ मामलों की स्थिति की जानकारी और 15.99 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों को देख सकते हैं। यह पोर्टल, कोर्ट पंजीकरण, वाद-सूची, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय के विवरण से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। अब देश के सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान की गई है। यह मामलों के लंबन (केस पेंडेंसी) की पहचान करने, उनका प्रबंधन करने और उनमें कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में मामले के निपटान

में देरी का कारण दिखाने के लिए एक सुविधा (फीचर) को जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसीबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी) के अनुरूप, केंद्र और राज्य सरकारों को एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान किया गया है, जिससे वे आसानी से विभागीय आईडी और एक्सेस का उपयोग करते हुए एनजेडीजी डेटा का उपयोग कर सकें। इससे संस्थागत वादियों को अपने मूल्यांकन और निगरानी उद्देश्यों के लिए उनकी एनजेडीजी डेटा तक पहुँच हो सकेगी। भूमि विवादों से संबंधित मामलों का पता करने के लिए 26 राज्यों के भूमि रिकार्डों के आंकड़ों को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से लिंक किया गया है।

छ. आभासी न्यायालय (वर्चुअल कोर्ट्स)

ट्रैकिंग अपराधों की सुनवाई करने के लिए दिल्ली (2 कोर्ट), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में पंद्रह वर्चुअल कोर्ट स्थापित किए गए हैं। इस अवधारणा का उद्देश्य अदालत में आने वाले लोगों की उपस्थिति को कम करना है। न्यायिक अदालत को किसी आभासी न्यायाधीश (जो एक व्यक्ति नहीं, लेकिन एक एल्गोरिथ्म होता है) द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, जिसकी अधिकारिता को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और पूरे सातों दिन चौबीसों घंटे काम हो सकता है। 03.12.2021 की स्थिति के अनुसार इन अदालतों ने 1.07 करोड़ (1,07,76,889) मामलों को देखा है और 201.96 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। नवंबर, 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने "डिजिटल नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम – न्यायालय परियोजना कार्यान्वयन मार्ग-निर्देश" जारी किए हैं और नेगोशिएट इन्स्ट्रूमेंट्स अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए शीघ्र ही 34 आभासी न्यायालय स्थापित किए हैं। इस प्रकार के न्यायालय, पेपरलैस होने के अलावा पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, जिससे न्यायिक जनशक्ति की बचत होती है और नागरिकों की सुविधा में इजाफा होता है।

ज. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी है, क्योंकि भौतिक सुनवाई और जमावड़ा प्रकार में सामान्य अदालती कार्यवाही संभव नहीं थी। कोविड लॉकडाउन के शुरू होने के समय से लेकर 30.11.2021 तक जिला अदालतों ने केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 1,08,36,087 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 57,39,966 मामलों की सुनवाई की (कुल 1.65 करोड़)। लॉकडाउन अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय में 1,50,692 सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करने में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया, जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई अदालती सुनवाई को कानूनी मान्यता और वैधता प्रदान की। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को 5 न्यायाधीशों वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किया गया था ताकि वे स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखने के बाद उसे अपना सकें। अब तक इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को 21 उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है। इसके अलावा, 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार, 28 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के तहत 22 जिला न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को अपनाया है। प्रत्येक तालुक स्तर की अदालतों सहित सभी न्यायालय परिसरों को एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण प्रदान किए गए हैं और इसके अलावा 14,443 कोर्ट रूमों के लिए अतिरिक्त वीडियो उपकरण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। 2506 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिनों को स्थापित करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं। 3240 कोर्ट परिसरों और उनसे संबन्धित 1272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं पहले से ही संचालित की गई हैं। तेलंगाना और उत्तराखंड में वकीलों और वादीगणों की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वाली मोबाइल वैनों को शुरू किया गया है।

गुजरात उड़ीसा और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो, व्यक्तियों को कार्यवाही में शामिल किया जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मॉडल नियम तैयार करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में एक उप समिति का गठन किया

गया था। उक्त नियमों को फीडबैक एवं सुझावों के लिए उच्च न्यायालयों की कंप्यूटर समिति को अग्रेषित कर दिया गया है।

झ. ई-फाइलिंग

ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 1.0) को कानूनी दस्तावेजों की इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए तैयार किया गया है। इससे वकील किसी भी स्थान से सातों दिन चौबीसों घंटों मामलों से संबंधित दस्तावेजों को देख और अपलोड कर सकते हैं, जिससे कागजात दाखिल करने के लिए अदालत में आना अनावश्यक हो जाता है। इसके अलावा, ई-फाइलिंग आवेदन में दर्ज मामले के विवरण सीआईएस सॉफ्टवेयर में आ जाता है और इसलिए गलतियाँ होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं।

मसौदा ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अपनाए जाने के लिए वे उच्च न्यायालयों को भेजे गए हैं। 31.10.2021 तक कुल 12 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, 28 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में, 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार 12 जिला न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है। न्यायालयों में ई-फाइलिंग के उपयोग के लिए समान दिशानिर्देशों प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक प्रक्रिया ज्ञापन (एसओपी) तैयार किया गया है।

नए ई-फाइलिंग 3.0 पोर्टल का उदघाटन 9 अप्रैल 2021 को किया था और यह <https://filing.ecourts.gov.in> पर उपलब्ध है। नए संस्करण में, नया टैब प्रदान किया गया है, जो अधिवक्ताओं और वादियों को दस्तावेज अपलोड करते समय, इन-सिस्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपनी शपथ रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। नए संस्करण में माई पार्टनर, केस फाइलिंग, वकालतनामा, प्लीडिंग, ई-पेमेंट, अप्लिकेशन और पोर्टफोलियो के विकल्पों सहित नया डैशबोर्ड भी प्रदान किया गया है। नए संस्करण में उपलब्ध कराए गए हैल्प सेक्शन में ट्यूटोरियल वीडियो, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उपयोगकर्ता पुस्तिका उपलब्ध है। इसमें वादी को अधिवक्ताओं को प्रस्ताव भेजने का विकल्प भी प्रदान किया गया है। नया पोर्टल, अधिवक्ताओं के लिए दस्तावेजों के अनुक्रमण (इंडेक्सिंग) का विकल्प भी प्रदान करता है।

ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे वाणिज्यिक अदालतों में आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों में ई-फाइलिंग का उपयोग करें। उच्च न्यायालयों की ई-समितियों द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी सरकारी मुकदमे जनवरी, 2022 तक ई-फाइल हो जाने चाहिए। इसी तरह की एक सूचना, न्याय विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों के साथ साझा की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि जनवरी, 2022 तक सभी सरकारी मुकदमों में ई-फाइलिंग को उपयोग में लाया जाए। मार्च 2020 और नवंबर 2021 के बीच, ई-फाइलिंग सुविधा का उपयोग करके उच्च न्यायालयों में 1,20,241 मामले और जिला और तालुका न्यायालयों में 1,90,039 मामले दर्ज किए गए।

ट. ई-सेवा केंद्र :

न्याय वितरण को समावेशी बनाने और डिजिटल वितरण के कारण होने वाली बाधाओं को कम करने, वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 447 ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। सभी ई-सुविधाएं प्रदान करने के लिए नागपुर में एक न्याय कौशल केंद्र शुरू किया गया है।

ठ. ई-भुगतान:

मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है, जिसमें कोर्ट फीस, जुर्माना और दंड शामिल हैं, जो सीधे समेकित निधि को देय होती हैं। मामलों की ई-फाइलिंग के लिए न्यायालयी शुल्कों के ई-भुगतान हेतु सुविधाओं की आवश्यकता होती है। <https://pay.ecourts.gov.in> के माध्यम से न्यायालयी शुल्कों, जुर्माने एवं शास्तियों का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया गया है। न्यायालयी शुल्कों एवं अन्य नागरिक भुगतानों का इलैक्ट्रॉनिक संग्रहण शुरू करने के लिए मौजूदा न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता है।

इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोहाटी-असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर,

उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम के कुल 15 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान शुरू किया है। 30.11.2021 तक, 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ढ. निर्णय और आदेश खोज पोर्टल (जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च पोर्टल) :

आसानी से निर्णयों को ढूँढने में हितधारकों की सुविधा के लिए एक नए 'जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च' की शुरुआत की गई है। जजमेंट सर्च के लिए नया पोर्टल, तैयार किया गया है जो उच्च न्यायालयों के निर्णयों और अंतिम आदेशों के लिए एक भंडार प्रदान करेगा। <https://judgments.ecourts.gov.in> पर 'जजमेंट सर्च' सेगमेंट देखा जा सकता है, जिसमें बेंच द्वारा सर्च, केस टाइप, केस नंबर, साल, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, जज का नाम, एक्ट, खंड, निर्णय: तिथि से, तिथि तक और पूर्ण पाठ की खोज जैसे फीचर दिए गए हैं।

ड. न्याय घड़ी (जस्टिस क्लॉक) :

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जानकारी को जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक के नाम से एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम स्थापित किया गया है। जस्टिस क्लॉक का उद्देश्य, न्याय क्षेत्र के बारे में लोगों में जागरूकता लाना, विभाग की विभिन्न योजनाओं को विज्ञापित करना और लोगों को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना है, जिसमें अदालतों द्वारा निपटान के बारे में जानकारी, अदालत परिसरों में दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और सेवाओं और जनता को विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और अन्य जानकारी प्रदान करना शामिल है, जिसके माध्यम से नागरिक लाभान्वित हो सकते हैं।

उन्नीस (19) उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद (इलाहाबाद और लखनऊ), आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गौहाटी (4 बेंच – अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम), कलकत्ता, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश (3 बेंच), उड़ीसा, मद्रास (2 बेंच), त्रिपुरा, केरल, सिक्किम, राजस्थान (2 बेंच), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और कर्नाटक (3 बेंच) में पहले ही कुल 29 जस्टिस क्लॉक स्थापित की जा चुकी हैं। न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस में भी एक न्याय घड़ी (जस्टिस क्लॉक) लगाई गई है।

ण. आईईसी अभियान और ई-कोर्ट संपर्क कार्यक्रमलाप :

S3WAaS प्लेटफॉर्म पर विकसित एक दिव्यांग अनुकूल वेबसाइट को विशेष रूप से ई-समिति के लिए 13 भाषाओं में शुरू किया गया है। यह वेबसाइट सभी हितधारकों को ई-कोर्ट परियोजना से संबंधित जानकारी का प्रसार करती है। इसमें उच्च न्यायालयों के लिए उनकी उपलब्धियों और उनके सर्वोत्तम पद्धतियों को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। ई-समिति की वेबसाइट को न्याय विभाग की वेबसाइट से भी जोड़ा गया है।

वकीलों के बीच ई-फाइलिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इससे परिचित कराने के लिए, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली बार काउंसिल के लिए ई-फाइलिंग पर जून 2020 के दौरान वेबिनार आयोजित किए गए थे, जिन्हें 19,000 से अधिक लोगों ने देखा। अधिवक्ताओं और वादियों के उपयोग के लिए "ई-फाइलिंग के लिए " स्टेप बाई स्टेप गाइड" नामक ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल तैयार किया गया है और इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। इसे 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लिकेशन के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका जारी की है और इसे 14 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगू में ई-समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। वकीलों के उपयोग के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर कि "ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें" अंग्रेजी और हिंदी में एक ब्रोशर उपलब्ध कराया गया है। इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया गया है। जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, ई-कोर्ट सेवाओं के नाम पर एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जहां हितधारकों के लिए उनकी अधिक पहुंच के लिए ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध कराए गए हैं। जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम के तहत अधिवक्ताओं के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 7 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-फाइलिंग पर 12 स्वयं सहायता वीडियो तैयार किए गए और

प्रसारित किए गए। ई-कोर्ट सेवाओं के तहत अधिवक्ताओं के लिए ई-मेल और ईसीएमटी टूल्स पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहले ही शुरू किया जा चुका है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने देश-भर में 5409 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इन 5409 मास्टर प्रशिक्षकों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अधिवक्ताओं के लिए देश के प्रत्येक जिले में ई-कोर्ट सेवाओं और ई-फाइलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया है और मास्टर ट्रेनर अधिवक्ताओं की पहचान भी की है।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने मई 2020 से नवंबर 2021 तक ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों, न्यायालय स्टाफ, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच में से मास्टर प्रशिक्षकों, उच्च न्यायालयों के तकनीकी स्टाफ और अधिवक्ताओं सहित लगभग 3,02,614 हितधारकों को शामिल किया गया है। जिला न्यायपालिका के प्रत्येक न्यायालय में स्टाफ के एक-एक सदस्य को कुल 69,750 को प्रशिक्षित किया गया। अधिवक्ताओं के लिए जागरूकता वेबिनार शुरू किए गए हैं, जिन्हें 96,775 लोगों द्वारा देखा गया है।

त. चरण-III के लिए विजन डोक्यूमेंट :

चरण-III के लिए विभिन्न पहलुओं और रोड मैप की संकल्पना के लिए, अध्यक्ष, ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय के दायरे में, एक 'विशेषज्ञ उप-समिति' द्वारा एक मसौदा विजन डोक्यूमेंट तैयार किया गया है। उक्त मसौदे को मुख्य रूप से चार बिल्डिंग ब्लॉक्स के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो हैं, मूल मूल्य, संपूर्ण-प्रणाली दृष्टिकोण, अंगीकरण रूपरेखा और शासन ढांचा। चरण III के लिए निहित प्रमुख लक्ष्यों में प्रासंगिक हार्डवेयर की स्थापना सुनिश्चित करना, डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और प्रदान की गई सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसके अलावा मसौदे में विभिन्न पहलुओं को जैसे कि चरण-III का संचालन, प्रबंधन में परिवर्तन और अंगीकरण, खरीद, निगरानी और मूल्यांकन ढांचा शामिल किया गया है।

थ. पुरस्कार और सम्मान :

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर (ई-ताल) पोर्टल पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में कुल 528 करोड़ ई-ट्रान्जेक्शन के साथ ई-कोर्ट भारत में शीर्ष 5 अग्रणी एमएमपी में से एक है।

ई-कोर्ट्स सेवाओं को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वावधान में स्थापित प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।

8. राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन

8.1 उद्देश्य : प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की गई थी। इस मिशन में न्यायिक प्रशासन में मामलों के बकाया और उनके लंबन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा बनाना, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्याबल में वृद्धि करना, अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

8.2 सलाहकार परिषद्

राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और कार्य योजना तथा इसके कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है, जिसमें सदस्यों के रूप में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष; विधि और न्याय मंत्री, आंध्र प्रदेश; विधि, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री, जम्मू और कश्मीर; भारत के अटॉर्नी जनरल; अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग; सचिव, विधि कार्य विभाग; सचिव, विधायी

विभाग; सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया; भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव; निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी; और अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शामिल हैं। न्याय विभाग के सचिव इस सलाहकार परिषद् के संयोजक हैं। पाँच रणनीतिक पहलों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मिशन की एक कार्य योजना तैयार की गई थी, जिनकी समय-समय पर राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद् द्वारा समीक्षा की जाती है। सलाहकार परिषद् की बैठक छह महीने में एक बार होती है। अब तक सलाहकार परिषद् की ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं।

8.3 अधीनस्थ न्यायपालिका

संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 08.12.2021 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 24489 है। न्यायिक अधिकारियों के भरे हुए और खाली पदों की संख्या क्रमशः 19292 और 5197 है।

8.4 न्यायालयों में लंबित मामले

देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति नीचे दी गई है :

उच्चतम न्यायालय * (08.11.2021 की स्थिति के अनुसार)	70,038
उच्च न्यायालय ** (08.12.2021 की स्थिति के अनुसार)	56,43,252
जिला और अधीनस्थ न्यायालय "" (08.12.2021 की स्थिति के अनुसार)	4,10,56,974

* उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार ** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित कुल दीवानी और आपराधिक मामलों से संबंधित त्रैमासिक आँकड़े, उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), देश भर के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर आंकड़े प्रदान करता है। एनजेडीजी को केस मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के सृजन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में वर्ल्ड बैंक को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 में सराहना प्राप्त हुई है।

आपराधिक और दीवानी मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं। सिविल विचारणों के मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) में प्रासंगिक संशोधन किए गए हैं जिसमें प्रत्येक पक्ष को दिए जाने वाले स्थगनों की संख्या को सीमित करना, ई-मेल के माध्यम से सम्मन की तामील करने की अनुमति देना, उन मामलों में वाद को खारिज करने के लिए उपबंध करना, जहां लागत का भुगतान करने में वादी की विफलता के परिणाम स्वरूप सम्मन नहीं दिए गए हों, और प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दर्ज करने की समय सीमा को सीमित करने के उपबंध करना शामिल हैं। इसी तरह, शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (ब्त च.द.) में कई संशोधन किए गए हैं। इनमें अनावश्यक स्थगनों को हतोत्साहित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 का संशोधन करना, शमनीय अपराधों की सूची को युक्तिसंगत बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 का संशोधन करना, सौदा अभिवाक पर एक नए अध्याय-XXI को अंतर्वेशित करना, उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए धारा 436क को अंतर्वेशित करना, जो अधिकतम कारावास का आधा हिस्सा गुजार चुके हैं ; और आपराधिक मामलों में ऑडियो/वीडियो प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देना शामिल है।

8.5 विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' के संविदा संकेतक प्रवर्तन के तहत सुधार

विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 11 संकेतकों पर उन विनियमों को मापती है जो व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाते हैं और जो इसमें बाधा बनते हैं। न्याय विभाग, संविदा संकेतक प्रवर्तन (इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेटर) के लिए नोडल विभाग है। संविदा संकेतक प्रवर्तन में किसी भी देश के प्रदर्शन को किसी वाणिज्यिक विवाद के निपटान के लिए, लिए गए समय, किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने में शामिल लागत; वाणिज्यिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और वाणिज्यिक अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं की गुणवत्ता के प्रति मापा जाता है।

इस विभाग ने सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, विधि कार्य विभाग, उच्च न्यायालय, दिल्ली, बंबई, और कलकत्ता तथा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के विधि विभागों और उच्चतम न्यायालय की ई-समिति से सदस्यों के साथ एक कार्यबल (टास्क फोर्स) बनाया है। इस कार्यबल ने अब तक 12 बैठकों की हैं। इन्फोर्सिंग कोंट्रेक्ट के तहत सुधारों को कार्यान्वित करने में सरकार और भारतीय न्यायपालिका के निरंतर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत की रैंक में सुधार आया है, जो वर्ष 2014 के 186 स्थान से सुधार कर वर्ष 2020 में 163वें स्थान पर आ गई है। 23 स्थानों की यह छलांग पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों के कारण संभव हो पाई है।

संविदा संकेतक प्रवर्तन (एन्फोर्सिंग कोंट्रेक्ट इंडिकेटर्स) में निम्नलिखित मापदंडों को मापा जाता है :

- क. व्यावसायिक मामलों के लिए समय का अनुमान : इसमें फाइलिंग और सेवा चरण, विचारण और निर्णय चरण और निर्णय चरण को कार्यान्वित करने के दौरान लिया गया समय शामिल होता है।
- ख. वाणिज्यिक मामलों के लिए लागत अनुमान : इसमें, अटॉर्नी की फीस, कोर्ट की फीस (केवल निर्णय तक) और विशेषज्ञ की फीस और एन्फोर्सिंग फीस शामिल होती है।
- ग. न्यायिक प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता : इसमें कोर्ट संरचना और कार्यवाही, केस मैनेजमेंट, कोर्ट ऑटोमेशन और वैकल्पिक विवाद समाधान शामिल होता है।

8.5.1 इस वर्ष में संविदा संकेतक को लागू करने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं:

विभाग ने वाणिज्यिक विवादों को तेजी से हल करने और "संविदाओं को लागू करने" की व्यवस्था को मजबूत करने हेतु विशेष और संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं और न्यायपालिका के सहयोग से इन चरणों को संस्थागत रूप दिया है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार से है:

- i. वाणिज्यिक मामलों के शीघ्र समाधान के लिए सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2018 में संशोधित) को पुनःस्थापित किया, जिसके कारण दिल्ली और मुंबई में जिला स्तर पर "समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों" की स्थापना हुई। इन वाणिज्यिक अदालतों में हल किए जाने वाले वाणिज्यिक मामलों का निर्दिष्ट मूल्य 3 लाख रुपए से शुरू हो रहा है। इन न्यायालयों के पास विशेष अधिकारिता के साथ-साथ विशेष जनशक्ति भी होती है। दिल्ली में 22 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं तथा 42 और न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है; मुंबई में 6 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं; बंगलुरु में 8 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं और बंगलुरु ग्रामीण में 1 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय है और कलकत्ता में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं तथा 2 और समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किया जाना है। सरकार द्वारा पुनःस्थापित इस संरचनात्मक सुधार का उद्देश्य, वादकारियों और वकीलों के लिए तेजी से वाणिज्यिक विवादों का निपटान करने को सुगम बनाना है और साथ के साथ कार्पोरेट निवेशकों में विश्वास पैदा करना है।
- ii. वाणिज्यिक मामलों के उचित और निष्पक्ष न्यायनिर्णयन को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के साथ मिलकर सरकार, ई-कोर्ट परियोजना को लागू कर रही है। इस परियोजना के तहत न्यायिक पारदर्शिता और अदालती स्वचालन को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक मामलों के "यादृच्छिक और स्वचालित आवंटन" को शुरू किया गया है। समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में दर्ज किए गए सभी नए वाणिज्यिक मामले, नवीनतम केस इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीआईएस 3.2) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वचालित और यादृच्छिक रूप से न्यायाधीशों को आवंटित किए जाते हैं। सरकार का यह डिजिटल सुधार, जिनका पहले अभाव था, न्यायाधीशों के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाने पर केन्द्रित है, जो फेसलेस, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से मामलों का आवंटन करती हो। इससे न केवल बिजनेस करने में सुगमता (ड्रूइंग बिजनेस) में सुधार हुआ है बल्कि यह एक पेपरलेस और पर्यावरण हितैषी कोर्ट प्रक्रिया में भी सहायक हुई है।
- iii. सरकार द्वारा पुनःस्थापित वाणिज्यिक आदेश अधिनियम, 2015 के सीपीसी आदेश ग्ट-क के तहत "केस मैनेजमेंट हियरिंग या प्री-ट्रायल कॉन्फ्रेंस सुविधा" को इस सरकार द्वारा दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और कलकत्ता में सभी वाणिज्यिक मामलों के लिए चालू किया गया है। इसे विचारण से पहले

आयोजित किया जाता है और इससे विवादास्पद मुद्दों/साक्ष्यों के प्रश्नों में कमी आती है, विचारण प्रक्रिया में भी तेजी आती है और देरी की किसी भी रणनीति को हतोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य, मुकदमे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके मामले के निपटान में तेजी लाना है, इस प्रकार मुकदमों के साथ-साथ वकीलों को लाभ पहुंचाना है।

- iv. प्रधानमंत्री के प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए, जो पिछले 4 वर्षों में एक जन आंदोलन बन गया है, संविदा प्रवर्तन संकेतक के तहत की गई पहलों में सुपरिष्कृत प्रयास किए गए हैं, जैसे कि "ई-फाइलिंग की सुविधा"। ई-फाइलिंग ने मामलों के दर्ज होने को रियल टाइम और ऑनलाइन बना दिया है, जिसका अर्थ है वकील द्वारा मामलों को घर या किसी भी स्थान से सातों दिन चौबीसों घंटे (24*7) दर्ज कराया जा सकता है। भारत में अदालतों के समक्ष मामले दायर करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान को अपनाकर ई-फाइलिंग प्रणाली का उद्देश्य, पेपरलेस फाइलिंग को बढ़ावा देना और समय और लागत बचत की सार्थकता को सृजित करना है।
- v. "ई-सम्मनस", ई-मेल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से सम्मन जारी करने और सम्मन भेजने की प्रक्रिया है, जिसके बाद एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है, जो ई-कोर्ट सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो दिल्ली और मुंबई न्यायालयों में पूरी तरह से चालू है। सरकार के डिजिटल इंडिया के दर्शन के अनुरूप इस अग्रणी पहल से विवादों में पक्षकारों को स्वचालित रूप से सम्मन भेजने से समय और संसाधनों की बचत होगी।
- vi. सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 को पुरःस्थापित किया है, जिससे वाणिज्यिक मामलों के "संस्थित होने से पहले की मध्यस्थता और निपटान" (प्री-इन्स्टीट्यूशन मिडीएशन एंड सेटलमेंट) की परिवर्तनकारी नीतिगत पहल की शुरुआत हुई है, जिसमें किसी जरूरी अन्तरिम राहत पर विचार नहीं किया जाता है और यह कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनलबद्ध, विषय के अनुभवी मध्यस्थों द्वारा किया जाता है। "संस्थित होने से पहले की मध्यस्थता और निपटान" (प्री-इन्स्टीट्यूशन मिडीएशन एंड सेटलमेंट) नियम, 2018 (2020 में संशोधित) को अधिसूचित किया गया है। इसके कारण विवादों का परिहार हुआ है और वाणिज्यिक अदालतों में मुकदमों में कमी आई है। इसके अलावा, इसने अनुबंध प्रवर्तनीयता व्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया है।
- vii. डिजिटल इंडिया और ई-कोर्ट्स परियोजना का विजन, देश की न्यायिक प्रणाली को आईसीटी से युक्त अदालतों द्वारा सक्षम बनाना है। न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से बढ़ाने के लिए न्यायिक वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाते हुए "इलैक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी)" पेश किया गया है। यह न्याय वितरण प्रक्रिया और कोर्ट प्रबंधन को बेहतर और कुशल बनाते हैं और ई-कोर्ट्स सेवा वेब पोर्टल, ई-कोर्ट्स सेवा मोबाइल एप और (JustIS MobileApp) के माध्यम से उपलब्ध हैं। न्यायाधीश और वकील कहीं से भी और कभी भी, ई-कोर्ट सर्विसेज वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों तक पहुँच बना सकते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में इलैक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स का एकीकरण किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में एंफोर्सिंग कॉन्ट्रेक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार है।
- viii. जस्टिस एप (JustIS MobileApp), न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आवश्यक उपकरण है और यह उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत के न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराया गया है। यह वर्तमान समय में सूचीबद्ध हुए मामलों, अद्यतित मामलों, संस्थान द्वारा प्राप्त मामलों, पिछले महीने में स्थानांतरण द्वारा प्राप्त मामलों और वर्तमान महीने में लंबित और निपटाए गए वाणिज्यिक मामलों की संख्या की एक त्वरित झलक देता है। ई-कोर्ट्स एप का उद्देश्य, वकीलों और वादियों को शीघ्र और सटीकता के साथ मामले की जानकारी प्रदान करके न्यायिक उत्पादकता और कार्य की गति को बढ़ाना है।
- प०. सरकार ने माना है कि उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के समाधान की एक प्रभावी और तेज प्रणाली को शीघ्रता से स्थापित करने के लिए विशेष मंचों की आवश्यकता है। 500 करोड़ रुपए से

अधिक मूल्य के वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में विशेष वाणिज्यिक पीठों की स्थापना की गई है।

- x. सरकार ने यह महसूस किया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 हमारे देश में तेजी से हो रहे आर्थिक वृद्धि के अनुरूप नहीं है। अतः सरकार ने विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 को पुरःस्थापित किया है। इस संशोधित अधिनियम की धारा 20ख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नामित विशेष न्यायालयों की स्थापना करना अनिवार्य है। वर्तमान में, 22 उच्च न्यायालयों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नामित विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। कलकत्ता, कर्नाटक, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में विशिष्ट दिन आवंटित किए हैं ताकि ये न्यायालय ऐसे दिनों में बुनियादी ढांचे की संविदाओं के लिए समर्पित अदालतों के रूप में कार्य कर सकें।
- xi. ई-समिति, उच्चतम न्यायालय ने कलर बैंडिंग की सुविधा सृजित कर तीन स्थगन नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया है। ये कलर किसी मामले में स्थगन की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- xii. बॉम्बे, कलकत्ता, कर्नाटक और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए समर्पित वेबसाइटें विकसित की गई हैं।
- xiii. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के सहयोग से बिजनेस और कमर्शियल लॉ पर तीन महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है।
- xiv. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल- न्याय विभाग ने अनुबंधों का प्रवर्तन पोर्टल भी लॉन्च किया है जो "अनुबंधों को लागू करने" के मापदंडों पर किए जा रहे सुधारों पर जानकारी का एक व्यापक स्रोत प्रदान करता है।

8.6. विधि का शासन सूचकांक (आरओएलआई):

विधि का शासन सूचकांक वैश्विक न्याय परियोजना (डब्ल्यूजेपी) द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है। ROLI 2021 में 139 देशों को कवर करता है और "जवाबदेह सरकार, अच्छी विधियाँ, अच्छी प्रक्रिया और न्याय तक पहुंच" के चार सिद्धांतों के आधार पर 8 घटकों और 44 उप-घटकों में संकलित देश-विशिष्ट आंकड़ों के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक न्याय परियोजना (डब्ल्यूजेपी) द्वारा मूल्यांकन किए गए 139 देशों में से विधि का शासन सूचकांक (आरओएलआई) में भारत की वर्तमान रैंक 79 है। न्याय विभाग, नोडल विभाग होने के कारण नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जीआईआरजी (सुधारों एवं वृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक) के तहत इस प्रयोजनार्थ 8 मुख्य संकेतकों/घटकों तथा 44 उप घटकों पर भारत के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए 29 हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्य कर रहा है।

8.7 डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई):

डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) मूल्यांकन अभ्यास डाटा तत्परता की निगरानी करने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) के अपने भाग के रूप में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की डाटा तत्परता का आकलन करने के लिए डीएमईओ और नीति आयोग द्वारा किया गया है। इस अभ्यास के दो संस्करण क्लफ 1.0 (वर्ष 2020 के दौरान आयोजित) और क्लफ 2.0 (वर्ष 2021 के दौरान आयोजित) हो चुके हैं। न्याय विभाग को 24 विभागों में से 8वें स्थान पर रखा गया था, जिसमें डीजीक्यूआई 1.0 के तहत 5 में से 2.98 अंक प्राप्त किए। दिसंबर 2022 तक 5.0 स्कोर प्राप्त करने के लिए, कार्य योजना/रोडमैप का विकास और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 5 जुलाई 2021 तक एक डाटा रणनीति यूनिट (वैन) का गठन किया गया था। विभाग ने नीतियाँ विकसित करने, कार्यक्रम और व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से जो न्याय विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए/संकलित

डाटा सैटों और सूचना के मूल्य को नियंत्रित, संरक्षित एवं बर्धित करेंगे, न्याय विभाग के लिए डाटा प्रबंधन दिशानिर्देश भी निर्मित एवं जारी किए हैं।

9. न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन योजना

22.1 स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के साथ न्याय विभाग द्वारा सितंबर, 2013 में न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन की एक प्लान योजना को तैयार किया गया था। इस योजना का उद्देश्य न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में कार्य अनुसंधान और अध्ययनों को बढ़ावा देना है। अब तक इस योजना के तहत 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 33 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्रवाई योग्य बिंदुओं को संबंधित अधिकारियों को उनके समुचित विचार हेतु भेज दिया गया है।

10. न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)

10.1 उद्देश्य और कार्य क्षेत्र : राज्यों में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना संबंधित राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। हालाँकि, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की गई थी। इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करना शामिल है।

10.2 इस योजना के शुरू होने से लेकर, केंद्र सरकार ने अब तक राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को 8745.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसमें से 2014-15 से लेकर 17.12.2021 तक 5301.13 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है (60.6%), जिसमें 2020-21 में 593 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है और वर्ष 2020-21 के दौरान (30.12.2021 की स्थिति के अनुसार) 420.19 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 20,609 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम उपलब्ध थे। इसके अलावा, 2,856 कोर्ट हॉल/कोर्ट रूम निर्माणाधीन थे। 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा बताई गई 17,801 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यकारी संख्या के साथ यदि इन आंकड़ों की तुलना की जाए, तो न्यायिक संख्याबल की वर्तमान संख्या के लिए पर्याप्त न्यायालय कक्ष/कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं। वर्ष 2014-15 से लेकर दिनांक 30.12.2021 तक 3,624 कोर्ट हॉल और 3,191 रिहायशी आवास निर्मित/पूरे किए गए, जिनमें से वर्ष 2021-22 में 108 कोर्ट हॉल और 93 रिहायशी आवासों का निर्माण किया गया है। अब कोर्ट रूमों/कोर्ट हॉलों की उपलब्धता को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 24,489 न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के बराबर करने पर ध्यान केंद्रित करना है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, 18,239 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध थीं और 1760 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन थीं।

10.3 योजना के सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशानिर्देशों को 19 अगस्त, 2021 को संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों में भारत मानदंड (वेटेज क्राइटेरिया), शामिल हैं, जो एक वैज्ञानिक फार्मूला है, जिसे इस योजना के तहत धन के अंतर-राज्यीय वितरण के लिए वर्ष 2018-19 से अपनाया गया है। ये मानदंड, 4 मापदंडों पर आधारित हैं, अर्थात् (i) राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत/कार्यरत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले कोर्ट हॉल की संख्या, (ii) राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्य न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले रिहायशी इकाइयों की संख्या (iii) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या, और (iv) अधीनस्थ न्यायपालिका में 10 वर्ष और इससे अधिक पुराने मामलों का लंबन। इस तरह के मानदंडों के आधार पर, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों के अस्थायी आवंटन के बारे में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय

वर्ष की शुरु में सूचित किया जाता है, ताकि वे तदनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। इन दिशानिर्देशों में पलेक्सी फंड योजना का प्रावधान भी शामिल है, जिसके अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, यदि वे चाहें, स्थानीय आवश्यकताओं/अनिवार्यताओं जैसे कि मौसम, जलवायु आदि की स्थानीय दशा के संबंध में आवश्यक अनुकूलन अथवा विशिष्ट स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए निधियाँ आवंटित कर सकते हैं।

10.4 न्याय विकास वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप वर्जन 2.0, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र की तकनीकी सहायता से एक ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए "न्याय विकास" नाम का वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसे 11 जून, 2018 को माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। राज्य सरकारों ने चल रही और पूरी की गई योजनाओं के संबंध में राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और आंकड़ों/सूचना को दर्ज और अपलोड करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए सर्वेयर और माडरेटर नामांकित किए हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर उपयोगकर्ताओं के अनुभव और अवलोकनों के आधार पर न्याय विकास पोर्टल और मोबाइल ऐप को उन्नत किया गया है और वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है और यह 1.04.2020 से कार्य कर रहा है। सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र में उपयोगकर्ता, वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा दर्ज कर रहे हैं और भू-टैगिंग वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। पोर्टल में दर्ज परियोजनाओं की कुल संख्या 2107 है, जिसमें 1241 पूरी हो चुकी और 744 निर्माणाधीन और 122 प्रस्तावित परियोजाएँ भी शामिल हैं। 1873 परियोजनाओं को जियो-टैग किया गया है।



Distric Court Devengere, Karnataka



Distric Court Kunkuri, Chhattisgarh



Distric Court Rouse Avenue, New Delhi

11 ग्राम न्यायालय:

11.1 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, 2 अक्टूबर, 2009 से लागू हुआ। इस अधिनियम में नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध है। न्याय विभाग की वेबसाइट पर इस अधिनियम की एक प्रति रखी गई है। ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1) के संदर्भ में, राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के किसी समूह के लिए एक या दो ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं, जहां किसी राज्य में सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है। इसलिए, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, राज्य सरकारों से समय-समय पर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है।

11.2 उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 राज्यों द्वारा 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 256 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती व्यय के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने के लिए आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवर्ती और गैर-आवर्ती सहायता, वित्तीय सीमा के अधीन है, जैसा कि योजना के दिशा-निर्देशों में दिया गया है। केंद्र सरकार, ग्राम न्यायालय के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित करने की लागत के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की एकबार की सहायता के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय 18.00 लाख रुपए (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपये, वाहन के लिए 5 लाख रुपये और कार्यालय सज्जा के लिए 3 लाख रुपये) और तीन वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती व्यय के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपए की राशि शामिल है।

11.3 ग्राम न्यायालय योजना को 50.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 31.03.2021 से आगे यानी 31.03.2026 तक पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के साथ-साथ न्याय विभाग के ग्राम न्यायालय पोर्टल पर रिपोर्ट किए जाने के साथ-साथ उन्हें अधिसूचित करने के साथ-साथ चालू करने के बाद ही ग्राम न्यायालयों के लिए धनराशि जारी की जाएगी। ग्राम न्यायालयों के प्रदर्शन की समीक्षा एक वर्ष के बाद की जाएगी ताकि ग्रामीण हाशिए पर रहने वाले लोगों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने में एक संस्था के रूप में इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और इसके भविष्य के बारे में फैसला किया जा सके।

11.4 17 दिसंबर, 2021 तक राज्यों को अब तक 81.53 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें 2021-22 में 6.73 करोड़ विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	राज्य का नाम	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यरत ग्राम न्यायालय	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	मध्य प्रदेश	89	89	2456.40
2	राजस्थान	45	45	1240.98
3	केरल	30	30	828.00
4	महाराष्ट्र	36	23	660.80
5	ओडिशा	23	19	337.40
6	उत्तर प्रदेश	113	43	1323.20
7	कर्नाटक	2	2	25.20
8	हरियाणा	2	2	25.20
9	पंजाब	9	2	25.20

10	झारखंड	6	1	75.60
11	गोआ	2	0	25.20
12	आंध्र प्रदेश	42	0	436.82
13	तेलंगाना	55	0	693.00
14	जम्मू और कश्मीर	20	0	0
15	लद्दाख	2	0	0
	कुल	476	256	8153

12. न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिज्ञान परक समाधान निर्मित करना (दिशा)

भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों को सुरक्षित किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। भारत के संविधान में प्रतिपादित अनुच्छेद 39क राज्य को आर्थिक, भौगोलिक विषमताओं आदि के कारण वंचित लोगों को न्याय तक पहुँच एवं मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। न्याय तक पहुँच को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस अधिदेश के अनुपालन में, न्याय विभाग ने पांच वर्षों 2021-2026 की अवधि के लिए एक नई योजना न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिज्ञानपरक समाधान निर्मित करना (दिशा) बनाई है। प्रौद्योगिकी के साथ न्याय तक पहुँच को एकीकृत करके नागरिक केंद्रित न्याय प्रदायगी प्रणाली को वरीयता देने के लिए, दिशा के उद्देश्य हैं : -

- टेली-लॉ के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र को सुदृढ़ करना;
- अपने न्याय बंधु कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सेवाओं की प्रभावी व्यवस्था विकसित करना;
- न्याय मित्र नामक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अपने संवर्ग के माध्यम से अदालतों में लंबित मामलों के निपटान की सुविधा के लिए
- अपने अखिल भारतीय कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।


13. टेली लॉ : वंचितों तक पहुँच

13.1 **टेली लॉ** : वंचितों तक पहुँच: 2017 में लॉन्च किया गया, टेली-लॉ एक ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों का सही दावा करने और उनकी कठिनाइयों के समय पर निवारण के लिए पूर्व-मुकदमा सलाह के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह जन सेवा केंद्रों (सीएससी) में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के एक समर्पित पूल के माध्यम से समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों को जोड़ने का प्रयास करता है, जो देशभर में सीएससी के 4 लाख से अधिक नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों की सेवाओं को ऑनलाइन शासन प्रदान करता है।





13.2 **वृद्धि** : प्रारंभ में 2017 में, टेली-लॉ 11 राज्यों के 170 जिलों में 1800 सीएससी में उपलब्ध थी। टेली लॉ सेवाओं का विस्तार देश के 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 669 जिलों (112 आकांक्षी जिलों सहित) में 75,000 सीएससी को कवर करने के लिए किया गया है। टेली-लॉ ने 12.5 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया है जिसमें 3,88,417 (महिलाएं) 3,31,822 (अनुसूचित जाति) 2,48,634 (अनुसूचित जनजाति) और 1,25,0911 (ओबीसी) लाभार्थी शामिल हैं।





Tele-Law: Year on Year Growth
2017 –November 2021



13.3 **लाभार्थियों की आवाज:** न्याय विभाग पारिवारिक विवादों, प्रक्रियात्मक बाधाओं पर काबू पाने, संपत्ति विवादों के समाधान, कोविड व्यथित लोगों को राहत, सूचना के साथ सशक्तिकरण आदि से संबंधित मामलों में लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के इतिहास को कैप्चर करता है।

13.4 **मोबाइल ऐप का उपयोग:** सिटिजन्स टेली-लॉ मोबाइल ऐप 13 नवंबर, 2021 को लॉन्च किया गया है, जो लाभार्थियों को पैनेल वकीलों से सीधे उनके मोबाइल

फोन के माध्यम से मुफ्त में जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। पैनेल के अधिवक्ताओं के लिए एक अलग मोबाइल ऐप उपलब्ध है। यह ऐप 6 भाषाओं – अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है। वर्तमान में यह ऐप एंड्रॉइड वर्जन पर उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल ऐप के उपयोग के लिए ई-ट्यूटोरियल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

13.5 **सघन जन-केन्द्रित संपर्क:** आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ने के लिए मुकदमा-पूर्व सलाह तक पहुँच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए गहन जन-केंद्रित आउटरीच शुरू की गई है। विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

13.5.1 **प्रथम टेली-लॉ हाइब्रिड आयोजन:** 6 जुलाई, 2021 को, कोविड प्रतिबंधों में छूट के दौरान, टेली-लॉ हाइब्रिड मोड इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2020-2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्रणी टेली-लॉ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मुकदमेबाजी पूर्व सलाह प्रदान किए गए 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करने के लिए डाक विभाग के सहयोग से एक विशेष टेली-लॉ डाक कवर जारी किया गया। टेली-लॉ पर ई-बुकलेट का तीसरा संस्करण, 'वॉयस ऑफ द बेनिफिशरीज' शीर्षक से जारी किया गया था। इस आयोजन में देशभर के 50,000 से अधिक अग्रणी कार्यकर्ताओं ने आभासिक रूप से भाग लिया। टेली-लॉ सेवा प्रदान करने के लिए सीएससी के लिए एक नया साइनबोर्ड जिसे "कानूनी सलाह सहायक केंद्र" के रूप में ब्रांड किया गया है, जारी किया गया।



13.5.2. 'एक पहल' अभियान : 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2021 तक 'एक पहल' शीर्षक से क्षेत्र आधारित लॉगिन दिवस अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान, 11,140 मामले दर्ज किए गए और 7,318 लाभार्थियों को सलाह दी गई।




14. न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवाएँ) : न्याय विभाग का उद्देश्य निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए और निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रभावी वितरण ढांचे का निर्माण करना है। निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए न्याय विभाग ने पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए चार रणनीतियां बताई हैं : –

14.1 लेवारेजिंग प्रौद्योगिकी : एंडरोइड और iOS वर्जन में मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है और इसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रॉनिकी मंत्रालय के UMANG प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। न्यायबंधु ऐप के उपयोग पर आभासी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जून 2021 में 100 प्रो-बोनो अधिवक्ताओं ने भाग लिया।




14.2 प्रो-बोनो अधिवक्ताओं का राज्य विशिष्ट विकेंद्रीकृत पूल उपलब्ध कराने के लिए उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रारों की सहायता से उच्च न्यायालयों में प्रो-बोनो पैनल्स सृजित किए गए हैं। 14 उच्च न्यायालयों ने उच्च न्यायालयों में प्रो-बोनो पैनल सृजित किए हैं और इन पैनलों के माध्यम से 463 अधिवक्ताओं का नामांकन किया गया है।





14.3 युवाओं में प्रो-बोनो के समझ एवं दर्शन विकसित करने के लिए और अनुसंधान और विधिक प्रारूपण में प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रो-बोनो योजना शुरू की गई है। 29 लॉ स्कूलों को इस योजना में भाग लिया है।

14.4 स्टार्ट-अप, सीएसओ आदि के साथ गठबंधन को बढ़ावा देना : विधिक सहायता एवं जागरूकता पहल के लिए समेकित मंच उपलब्ध कराने के लिए गैर सरकारी संगठन प्रो-बोनो इंडिया के सहयोग से, न्याय विभाग ने विद्यार्थी स्वयंसेवी भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया है। 43 विधि विद्यार्थी (विभिन्न लॉ कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों से) जिन्हें प्रो-बोनो सहायक अभिहित किया गया है। योजनाओं (केंद्र/ राज्य) : संकलन के लिए अनुसंधान में सहायता, विभिन्न संशोधन वर्ष 2016 से कल्याणकारी विधियों पर/आदेश/निर्णयों महत्वपूर्ण हेल्पलाइनों की अध्ययन निर्देशिका जिला/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के ब्यौरे और विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम पर न्याय विभाग की अनुविधित एवं विकसित आईईसी में सहायता प्रदान करते हैं।



14.5 वृद्धि : 24 बार काउंसिल से 3603 अधिवक्ता न्याय बंधु कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वर्ष दर वर्ष वृद्धि और अधिवक्ताओं का बार काउंसिल वार प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है: –



15. अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता


15.1 न्याय विभाग ने देश में कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक पांच आयामी समावेशी दृष्टिकोण की रणनीति बनाई है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

- मंत्रालयों और संबद्ध विभागों, संस्थानों, स्कूलों आदि में साझेदारी बनाना ;
- मौजूदा बुनियादी/अग्रणी कार्यकर्ताओं/स्वयंसेवकों के क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाना ;
- कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता पर मापनीय संकेतक विकसित करना
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना
- अपने कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन करना।

15.2 वर्ष के दौरान, कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अब तक नौ एजेंसियों को संलग्न किया गया है। उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

15.2.1 अरुणाचल प्रदेश :

अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (APSLSA) 'पारंपरिक ग्राम परिषद् प्रणाली और भारत के औपचारिक कानूनों के प्रथागत व्यवहारों के बीच तालमेल' पर एक परियोजना को लागू कर रहा है। सितंबर-नवंबर, 2021 के दौरान 780 गांव बुरास/बुढ़ियो को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया गया था।



Training conducted for Gaon Burahs & Burhis in Arunachal Pradesh

15.2.2 सिक्किम :

सिक्किम राज्य महिला आयोग (एसएससीडब्ल्यू) 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और मानव तस्करी विरोधी विषय पर कार्यशाला/प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम' पर एक परियोजना लागू कर रहा है। अक्टूबर, 2021 में 1058 क्षेत्र कार्यकर्ता विशेष रूप से महिला एवं बाल विभाग और पंचायती राज के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।



15.2.3 मणिपुर :

मनश्चिकित्सा विभाग, जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस), मणिपुर "बाल यौन शोषण के खिलाफ हितधारकों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण" पर एक परियोजना प्रस्ताव लागू कर रहा है। पॉक्सो अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन पर 395 प्रतिभागियों (मीडिया, सीएसओ और पुलिस अधिकारियों सहित) को प्रशिक्षित किया गया।



15.3 कोविड-19 महामारी के पश्चात, विभिन्न वेबिनारों/कार्यशालाओं के माध्यम से विधिक जागरूकता

15.3.1 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 पर वेबिनार

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 पर सचिव (न्याय) वेबिनार के नेतृत्व में 22 सितंबर 2021 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश पुलिस और ड।श्रसै के वक्ताओं ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस वेबिनार में 48,299 से अधिक कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाई गई।



15.3.2 बाल अधिकारों पर वेबिनार :

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड जुवेनाइल जस्टिस के सहयोग से, न्याय विभाग ने 14 नवंबर 2021 को बाल दिवस के अवसर पर बाल अधिकारों पर एक वेबिनार का आयोजन किया और 17,000 से अधिक कार्यकर्ता तक पहुंच बनाई गई।



15.3.3 मौलिक कर्तव्यों पर वेबिनार :

संविधान दिवस मनाने और मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों पर प्रतिभागियों को समझने के लिए 26 नवंबर 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु के तीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के प्रख्यात वक्ताओं को अपने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस वेबिनार में 24,082 प्रतिभागियों तक पहुंच बनाई गई।



15.3.4 लद्दाख में विधिक जागरूकता पर कार्यशाला:

न्याय विभाग ने 28 अक्टूबर 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), लेह, लद्दाख के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कानूनी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। कानूनी सहायता तक पहुंचने में क्षेत्र विशिष्ट अंतराल और चुनौतियों को समझने और प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग का पता लगाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 40 प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।



15.4 विधिक सहायता क्लिनिक :

जम्मू और कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से, न्याय विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 50 कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें 66,000 लोग लाभान्वित हुए हैं।

16. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) :

दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी), जिसका गठन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों की वेतन संरचना और सेवा की शर्तों की समीक्षा के लिए किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट का भाग-II और भाग-III प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट का भाग-II अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए स्थायी तंत्र की स्थापना से संबंधित है। भाग-III में, जो एक अनुपूरक रिपोर्ट है, आयोग ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु से पहले, समय पूर्व सेवानिवृत्ति और कम्प्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को कम करने पर अपनी सिफारिशें की हैं। न्याय विभाग ने व्यय विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से रिपोर्ट के भाग-II और भाग-III पर अपने विचारों को अंतिम रूप दिया और भारत के उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया। एसएनजेपीसी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसे 30.04.2021 तक बढ़ा दिया गया था।

17. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में संशोधन।

भारत के उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए भारत के मुख्य न्यायमूर्तियों और भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए स्वीकार्य सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की दरों में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की गई और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियम, 1959 में दिनांक 18.03.2021 और 04.08.2021 की अधिसूचना के माध्यम से एक संशोधन किया गया।

18. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में संशोधन

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन की अतिरिक्त मात्रा की स्वीकार्यता के संबंध में वैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 17ख और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 की धारा 16ख के तहत अंतर्वेशित किया गया था।

इस आशय का एक विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया गया था और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। यह संशोधन अधिनियम 20.12.2021 को अधिसूचित किया गया था।

19. अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की पुनरीक्षा

न्याय विभाग ने न्यायिक सहयोग के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ अब तक 11 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

20. शिकायतों का निवारण :

न्याय विभाग को नागरिकों से बड़ी संख्या में नागरिकों की शिकायतें सीधे और ऑनलाइन CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं। दिनांक 01.01.2021 से 10.12.2021 तक 10690 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अब तक 10682 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विभाग को 20 सबसे बड़े शिकायत प्राप्त करने वाले विभागों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है।

शिकायत धारकों/नागरिकों की जानकारी/मार्गदर्शन के लिए न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट www.doj.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।

21. आजादी का अमृत महोत्सव

21.1 **अखिल भारतीय लॉगिन सप्ताह और टेली-लॉ ऑन व्हील्स:** आजादी का अमृत महोत्सव के देशव्यापी समारोह में शामिल होकर, न्याय विभाग ने विधि और न्याय मंत्रालय के लिए आवंटित सप्ताह 8 से 14 नवंबर, 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले "टेली-लॉ ऑन व्हील्स" अभियान की शुरुआत की। जरूरतमंदों और वंचितों के डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण द्वारा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह एक 'सप्ताह समर्पित करना' आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं में से एक थी, जिसे प्रगतिशील और न्यू इंडिया के सपनों को साकार करने और हमारे लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।

इस अभियान के भाग के रूप में, लोगों को उनके अधिकारों का सही दावा करने और उनकी कठिनाइयों का समय पर निवारण के लिए मुकदमेबाजी से पहले की सलाह के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। टेली-लॉ सेवाओं की पेशकश करने वाले अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर जाने का आग्रह करते हुए टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श लेने की आवश्यकता वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक विशेष लॉगिन सप्ताह आयोजित किया गया था। इन सीएससी को इस उद्देश्य के लिए कानूनी सलाह सहायक केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

टेली-लॉ ऑन व्हील्स अभियान 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था, जहां विशेष टेली-लॉ ब्रांडेड वैनो में अभियान का संदेश प्रदर्शित करते हुए प्रतिदिन 30-40 किलोमीटर की यात्रा की गई, टेली-लॉ पर पत्रक वितरित किए गए, टेली-लॉ के बारे में फिल्मों और रेडियो जिंगलों का प्रसारण किया गया और लोगों को टेली-लॉ सेवाओं के लिए अपने मामले दर्ज करने में मदद की गई। देशभर में 4248



जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। इस सप्ताह के दौरान 52,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और 17000 लाभार्थियों को सलाह दी गई।

21.2 टेली-लॉ पर भव्य समारोह : 13 नवंबर, 2021 को टेली-लॉ पर एक भव्य समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत और आभासी दोनों तरह से 65,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। आयोजन के दौरान, सिटीजन्स टेली-लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। 126 टेली-लॉ फ्रंटलाइन पदाधिकारियों को टेली-लॉ को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और प्रयास के लिए सम्मानित किया गया।



कई सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री को प्रिंट और डिजिटल प्रारूप में जारी किया गया था, जिसमें टेली-लॉ, टेली-लॉ फिल्मों के बारे में जानकारी के साथ एक ब्रोशर, पैनल की महिला वकील द्वारा पढ़ा गया।



एक मोबाइल फोन के रूप में दर्शाया गया एक नया टेली-लॉ शुभंकर, न्याय विभाग द्वारा इन-हाउस बनाया गया और एक नया टेली-लॉ लोगो शामिल है जो ऑनलाइन प्रतियोगिता की विजेता प्रविष्टियों में अग्रणी है। टेली-लॉ लोगो, स्लोगन और जिंगल के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सीएससी

का वर्चुअल टूर भी आयोजित किया गया।





21.3 अखिल भारत विधिक जागरूकता और संपर्क कार्यक्रम—नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 अक्टूबर 2021 से छह सप्ताह के "अखिल भारत विधिक जागरूकता और संपर्क अभियान" का भी आयोजन किया। इस अभियान के एक भाग के रूप में, 86 करोड़ नागरिकों तक पहुंचने के लिए डोर-टू-डोर यात्राओं का आयोजन किया गया था। 26 करोड़ नागरिकों को लाभान्वित करते हुए लगभग 6 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 39,000 से अधिक कानूनी सहायता क्लिनिक आयोजित किए गए, जिन्होंने लगभग 1.50 करोड़ नागरिकों की सहायता की। 3.21 लाख गांवों में 26,460 मोबाइल वैन तैनात की गईं, जिन्होंने 19 करोड़ नागरिकों को कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक किया।



अखिल भारत विधिक जागरूकता और संपर्क अभियान के छह सप्ताह के समापन को चिह्नित करते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 14 नवंबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में उक्त अभियान का एक समापन समारोह आयोजित किया। बाल दिवस के अवसर पर, नालसा अलग-अलग दिव्यांग बच्चों के लिए कानूनी सेवा योजना, 2021 नाम से एक योजना शुरू की, ताकि अलग-अलग बच्चों तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके और उन्हें उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कल्याणकारी उपायों के लाभों का विस्तार किया जा सके।

22. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

22.1 भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए उपबंध दिए गए हैं और यह सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वे विधि और ऐसी विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें, जो सभी के लिए, समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती हो। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी यूनीफ़ार्म नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवंबर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए नीतियाँ और सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

22.2 हर राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिलों में और अधिकतर तालुकों में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय से संबन्धित विधिक सेवा कार्यक्रम का संचालन करने और इसको कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को गठित किया गया है।

22.3 नालसा का कामकाज

नालसा, देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धान्तों, दिशा-निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी और लाभकारी योजनाएँ बनाता है। मुख्यतया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है :

- (क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत शामिल किए गए पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करना ;
- (ख) विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना ; और
- (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

22.4 निःशुल्क विधिक सेवाएँ

निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: —

- (क) कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;
- (ख) विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवा प्रदान करना;
- (ग) विधिक कार्यवाहियों में आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना और उनकी आपूर्ति करना।
- (घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी
- (ङ) वर्ष के दौरान देश भर में विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से 7.11 लाख पात्र व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

22.5 लोक अदालत :

22.5.1 विवाद समाधान की वैकल्पिक विधि को सुगम बनाने के लिए नालसा, लोक अदालतों का आयोजन करता है। यह एक ऐसा मंच है, जहाँ न्यायालय में लंबित मामले/विवाद अथवा मुकदमेबाजी से पूर्व के

चरण में मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्वक ढंग से किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस तरह के निर्णय के खिलाफ कोई अपील, किसी न्यायालय के समक्ष नहीं की जा सकती है।

22.5.2 तीन प्रकार की लोक अदालतें हैं, जैसे कि नियमित लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें।

- i. मुकदमेबाजी से पहले और मुकदमेबाजी के बाद के (प्री-लिटिगेशन एंड पोस्ट-लिटिगेशन) दोनों प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकारियों/समितियों द्वारा राज्य/जिला अधिकारियों की सुविधा/विवेक के अनुसार नियमित लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
- ii. भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक एक ही दिन में (मुकदमेबाजी से पहले के (प्री-लिटिगेशन) और मुकदमेबाजी के बाद के (पोस्ट लिटिगेशन) दोनों प्रकार के) मामलों के निपटारे के लिए हर तिमाही में राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।
- iii. जन सुविधा सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अनिवार्य रूप से मुकदमेबाजी से पहले का तंत्र प्रदान करने के लिए अधिकांश जिलों में स्थायी लोक अदालतें, स्थायी अधिष्ठापनाएं स्थापित हैं।

22.5.3 ई-लोक अदालत

प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अपने उन मामलों के निपटान के लिए लोक अदालतों में आते हैं जो या तो लंबित हैं या वाद पूर्व (प्री-लिटिगेशन) चरण में हैं। हालांकि, महामारी के परिदृश्य में जब सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था, तो विवादों का प्रत्यक्ष निपटान करना मुश्किल था। चूंकि अधिकांश ऑफलाइन सेवाएँ बंद रही थीं, इसलिए ऑनलाइन सेवाएँ समय की आवश्यकता बन गईं। इन चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए विधिक सेवा प्राधिकारियों ने नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाया और ई-लोक अदालतों की शुरुआत की।

22.5.4 ई-लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य, महामारी के दौरान इस वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) मंच के लिए लोगों की पहुँच में सुधार करना और न केवल लंबित मामलों को अपितु वाद पूर्व चरण के मामलों को सुलझाकर अदालतों के बोझ को कम करना था। इनका एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि प्रभावित पक्षों के लिए विवाद समाधान का एक लागत प्रभावी और समय की बचत करने वाले तंत्र को कार्यान्वित किया जाए।

22.5.5 ई-लोक अदालत को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें पक्षों के बीच संपर्क और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की सुविधा हो, जिससे विवाद को प्रभावी ढंग से हल करने का अवसर मिल सके। निपटान के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करने और पार्टियों के बीच निपटान की सुविधा के लिए लोक अदालत से पहले सत्र आयोजित किए जाते हैं।

22.5.6 मध्य प्रदेश में 27.06.2020 को पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया था। तब से, देश में 119 ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया है और इन ई-लोक अदालतों के माध्यम से कुल 9,53,619 मामलों का निपटान किया गया है।

22.6 विधिक सेवा मोबाइल एप्लिकेशन

- i. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने 8 अगस्त 2021 को एक विधिक सेवा मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसे एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस एप्लिकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं:

- ii. कोई भी नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम से कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और अन्य शिकायतों के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।
- iii. कोई भी नागरिक कानूनी सहायता और सलाह और अन्य शिकायतों के लिए प्रस्तुत अपने आवेदन को ट्रैक कर सकता है।
- iv. अनुस्मारक भेजा जा सकता है और मोबाइल ऐप के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है
- v. अपराध का कोई भी पीड़ित या आवेदक मोबाइल ऐप के माध्यम से पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है।
- vi. व्यावसायिक मामलों में प्रि-इन्सट्रूशन मध्यस्थता के लिए आवेदन या मध्यस्थता के लिए आवेदन इस मोबाइल ऐप के माध्यम से दायर किया जा सकता है।

22.7 कानूनी जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष अखिल भारतीय अभियान

नालसा द्वारा 17 सितंबर 2021 को अपने देशव्यापी संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से कानूनी जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के मुख्य आकर्षण में न्याय तक पहुँच कार्यक्रम पर फिल्में और डोक्यूमेंट्री दिखाने के लिए 185 मोबाइल वैन और अन्य वाहनों को तैनात करना, 672 जिलों के लगभग 1500 गांवों में कानूनी सहायता पर ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा 37,000 पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की मदद से आम नागरिकों को मुकदमे-पूर्व/कानूनी सलाह देने के लिए 4100 कानूनी सहायता क्लिनिकों का आयोजन करना शामिल था।



23. विभाग की विविध गतिविधियां

23.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू किए :

- (क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने और संबन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

- (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(प) के तहत जैसा कि अपेक्षित है, विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ-साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (<http://doj.gov.in>) के आरटीआई पोर्टल पर दिया गया है।
- (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(प) के तहत सभी अवर सचिवों/अनुभाग अधिकारियों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।
- (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(प) के संदर्भ में सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यरत अवर सचिवों/अनुभाग अधिकारियों, जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, के संबंध में अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।
- (ङ.) वर्ष 2021 के दौरान (01.01.2021 से 31.12.2021 तक) विभाग में 304 आरटीआई आवेदन पत्र और दस्ती रूप से 09 अपीलें और 4228 आरटीआई आवेदन पत्र और 115 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं, उन्हें अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को अग्रेषित कर दिया गया।
- (च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/5/2011-आईआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पैरा-1.4.1 के अनुसार यह विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

2021 के दौरान प्राप्त कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:-

मामले	ऑनलाइन	ऑफलाइन
सूचना का अधिकार (आरटीआई)	4259	308
अपील	115	09

23.2 महिलाओं का सशक्तीकरण:

कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण : कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुपालन में विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए 24.11.2020 को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं।

23.3 स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान, न्याय विभाग में 01.04.2021 से 15.04.2021 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' और 'स्वच्छता ही सेवा' नामक दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके दौरान कई कार्यकलाप जैसे कि लॉन का सौंदर्यीकरण, परिसरों के अंदर वृक्षारोपण, व्यापक सफाई अभियान, परिसर के अंदर पुराने रिकार्डों की छंटाई, जंक/पुरानी वस्तुओं का निपटान, और न्याय विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान, आदि किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए जैसे कि शौचालयों और कैंटीन क्षेत्र का नवीकरण, सफाई उपकरणों

और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 37.00 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे। अभी तक 30.25 लाख रुपए का व्यय किया गया है।



23.4 मंथन – माननीय विधि एवं न्याय मंत्रियों द्वारा न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 12.10. 2021 को जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में बातचीत

24. ई-ऑफिस का कार्यान्वयन :

कागज रहित कार्यालय की ओर बढ़ने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने ई-ऑफिस के संचालन की पहल की है। ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारु कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग, भारत सरकार के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों/विभागों में से एक है, जिन्होंने पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म को अपना लिया है। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बीच आंकड़ों और सूचनाओं के निर्बाध प्रवाह के लिए न्याय विभाग, संस्करण 7.0 को अपनाने से पूर्व उसके अग्रदूत के रूप में पहले से ही ई-ऑफिस के संस्करण 6.0 को अपना चुका है।

2.4. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

विभाग में राजभाषा अनुभाग का गठन किया गया है। यह अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन की जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करने में विभाग को सहायता प्रदान करता है। इस अनुभाग को अनुवाद कार्य के अतिरिक्त विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य भी सौंपा गया है। विभाग में हिन्दी के उत्तरोत्तर उपयोग के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए वर्ष 2021-22 में प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें आयोजित की गईं। हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग में दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। एक हिंदी में टिप्पण और आलेखन से जबकि दूसरी हिंदी में डिक्टेसन से संबंधित है। टिप्पण और आलेखन की योजना के तहत, 14 सितंबर, 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर 04 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान हर तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।


24.1 हिन्दी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 14 सितंबर, 2021 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय सचिव महोदय की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेश का वाचन किया गया। अपने संदेश में सचिव (न्याय) ने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, विभाग में 01 सितंबर, 2021 से 14 सितंबर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान तीन प्रतियोगिताओं नामतः हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता और हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त नकद पुरस्कार (प्रथम : 2500 रुपए, द्वितीय : 2000 रुपए, और तृतीय: 1500 रुपए) प्रदान किए गए।

25. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैरा की स्थिति

न्याय विभाग में कोई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) पैरा लंबित नहीं है।

अनुबंध-I (देखें अध्याय-I पैरा -2)



प्रमुख:
 अपर सचिव
 जेएस एंड एलए
 एसआर. जीए
 अपर जीए
 अपर एलए
 डीएलए
 एएलए

अपर सचिव
 संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
 वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता
 अपर सरकारी अधिवक्ता
 अपर विधि सलाहकार
 उप विधि सलाहकार
 सहायक विधि सलाहकार

अनुबंध-II

(अध्याय I का पैरा 17 देखें)

दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों के वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना पर राज्यवार आंकड़े (उच्च न्यायालय)

उच्च न्यायालयों का नाम	गठित वाणिज्यिक न्यायालयों की संख्या (जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे)		गठित वाणिज्यिक न्यायालयों की संख्या (जिला न्यायाधीश स्तर पर)		नामित वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय की संख्या (जिला न्यायाधीश स्तर पर)	उच्च न्यायालय में गठित वाणिज्यिक प्रभागों की संख्या	उच्च न्यायालय में गठित वाणिज्यिक अपीलीय प्रभागों की संख्या
	वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में नामित, लेकिन वाणिज्यिक मामलों के अलावा अन्य मामलों से निपटने के लिए भी	मनोनीत (विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों से निपटना)	वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में समर्पित लेकिन वाणिज्यिक मामलों के अलावा अन्य मामलों से निपटने के लिए भी	मनोनीत (विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों से निपटना)			
इलाहाबाद उच्च न्यायालय	शून्य	—	शून्य	13	शून्य	2	2
बॉम्बे उच्च न्यायालय	99	—	81	4	88	बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सूचना नहीं दी गई।	
गुवाहाटी उच्च न्यायालय	26	—	4	—	29	—	1 (प्रधान सीट)
तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय (31.03.2021 तक)	—	—	2	2	शून्य	1	1
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	स्थापित नहीं		—	1 (रायपुर में)	स्थापित नहीं	स्थापित नहीं	1
गुजरात उच्च न्यायालय	117	शून्य	73	शून्य	32	1	1
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	—	—	—	—	—	3	2
झारखंड उच्च न्यायालय	0	—	0	3	0	0	1
कर्नाटक उच्च न्यायालय (31.03.2021 तक)	—	शून्य	—	10	—	—	3
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (31.03.2021 तक)	4	1	4	1	2	—	3
मद्रास उच्च न्यायालय	शून्य	शून्य	*तमिलनाडु में नामित विशेष न्यायालय वाणिज्यिक मामलों की देखभाल करते हैं।		—	—	—

			% पुडुचेरी में नामित विशेष न्यायालय वाणिज्यिक मामलों की देखभाल करते हैं।	शून्य	शून्य	3	3
उड़ीसा उच्च न्यायालय	—	4	—	—	10	लागू नहीं	1
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (31.03.2021 तक)	235	—	125	2	—	1	1
सिक्किम उच्च न्यायालय	स्थापित नहीं।		4	लागू नहीं	स्थापित नहीं।	लागू नहीं	1
त्रिपुरा उच्च न्यायालय	—	—	9	—	—	—	1
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	शून्य	शून्य	शून्य	1	1	1	1
पटना उच्च न्यायालय (31.03.2021 तक)	99	0	77	0	45	2	1
राजस्थान उच्च न्यायालय	—	—	—	12	—	—	2
दिल्ली उच्च न्यायालय	0	0	0	22	—	6	5
कलकत्ता उच्च न्यायालय	लागू नहीं	शून्य	0	4	लागू नहीं	1	1
मेघालय उच्च न्यायालय	कोई वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।		1 (पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग)	शून्य	शून्य	शून्य	1
केरल उच्च न्यायालय	14				14		1

* प्रधान न्यायाधीश न्यायालय, सिटी सिविल कोर्ट, चेन्नई, शेष न्यायिक जिलों में प्रधान जिला न्यायालयों/जिला न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

पुडुचेरी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के साथ उत्पन्न होने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश, पुडुचेरी के न्यायालय को संबंधित वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है।

अनुबंध – III

अध्याय-I का पैरा 24 देखें,

आयकर अपीलीय अधिकरण में दिनांक 01.01.2022 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग सहित कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	भू-सै.	शा.वि.
अध्यक्ष	1	1	—	—	—	—	—
उपाध्यक्ष	8	4	—	—	4	—	—
लेखा सदस्य	29*	16	2	1	10	—	—
न्यायिक सदस्य	31*	20	6	0	5	—	—
पंजीकार	1	1	—	—	—	—	—
उप पंजीकार	1	1	—	—	—	—	—
सहायक पंजीकार	8	3	2	1	2	—	—
हिंदी अधिकारी	—	—	—	—	—	—	—
कुल	79	46	10	2	21	—	—

* कर्मचारियों की संख्या की स्थिति 1.12.21 को है क्योंकि 21 नए न्यायिक/लेखाकार सदस्य आईटीएटी में शामिल हुए हैं और उनकी श्रेणी का विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

समूह क	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	भू-सै.			शा.वि.				
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.व.पि.	सा.
वरिष्ठ निजी सचिव	90	54	13	2	21	—	—	—	—	—	—	—	—
निजी सचिव	7	1	3	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—
अधीक्षक	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कार्यालय अधीक्षक	52	35	7	2	7	—	—	—	—	—	1	—	—
हिंदी अनुवादक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
वरिष्ठ लेखाकार	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	156	97	23	4	31	0	0	0	0	0	1	0	0

नोट: 7 वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पदों को तदर्थ आधार पर भरा गया है।

समूह ग	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	भू-सै.				शा.वि.			
						अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.
उच्च. श्रेणी लिपिक	101	43	21	6	27	2	—	—	—	—	—	—	2
आशुलिपिक 'घ'	01	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अवर श्रेणी लिपिक	96	46	15	7	25	—	—	1	—	—	—	2	—
स्टाफ कार चालक	31	6	9	1	6	1	0	4	4	—	—	—	—
कुल	229	96	45	14	58	3	0	5	4	0	0	2	2

	कर्मचारियों की संख्या	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	भू-सै.				शा.वि.			
						अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.व. पि.	सा.
मल्टी टास्किंग स्टाफ	205	70	58	17	46	—	—	4	5	3	—	1	1
कुल	205	70	58	17	46	0	0	4	5	3	0	1	1

अनुबंध -IV

(देखें अध्याय-I पैरा -25)

दिनांक 01.01.2022 तक सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	140	36	25.71	6	4.28	14	10.00	—	—	2	1.42
समूह 'ख'	159	23	14.46	10	6.28	27	16.98	3	1.88	5	3.14
समूह 'ग' (सफाई वाला को छोड़कर)	253	66	26.08	13	5.13	34	13.43	—	—	1	0.39
समूह 'ग' (सफाई वाला)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	552	125	22.64	29	5.25	75	13.58	3	0.54	08	1.44

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग, विधि आयोग और केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण

इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

* उपर्युक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पदों के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रणीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रणीत किए गए अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रणीत किए जाने के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रणीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रणीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रणीत किए जाने के बाद व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यगत आरक्षण का अनुक्रमिक योग (स्तंभ 19+20)
	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- सीएसएस और सीएसएसएस के संवर्गों के विभिन्न पदों की रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिकलित की जाती हैं। इस विभाग द्वारा सीएससीएस संवर्ग के केवल समूह 'ग' के पदों की रिक्तियों का परिकलन किया जाता है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

भाग II – प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ग' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

भाग III-प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा) भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i) निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' (ii) समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
'क'	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ग' (सफाई कर्मचारियों का छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ग' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

अनुबंध – V

(देखें अध्याय-I पैरा -27)

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	140	40
समूह ख	159	44
समूह 'ग' (सफाई वाला को छोड़कर)	253	17
समूह 'ग' (सफाई वाला)	—	—
कुल	552	101

समूह	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	79	9
समूह ख	156	52
समूह ग	229	55
मल्टीग टास्किंग स्टाफ	205	10
कुल	669	126

अनुबंध – अ
(अध्याय I का पैरा 23 देखें)



HON'BLE MINISTER OF LAW & JUSTICE ADDRESSING DURING EIGHTH MEETING OF MINISTERS OF JUSTICE OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION (SCO) HOSTED BY INDIA ON 6TH AUGUST, 2021

अनुबंध – ब
(अध्याय I का पैरा 30 देखें)



LAUNCH OF ONLINE COURSE ON INDIAN CONSTITUTION BY HON'BLE MINISTER OF LAW & JUSTICE ON 25TH NOV 2021 AS PART OF CELEBRATIONS OF CONSTITUTION DAY




HON'BLE MINISTER OF LAW & JUSTICE LIGHTING LAMP ON THE OCCASION OF LAUNCH OF ONLINE COURSE ON INDIAN CONSTITUTION ON 25TH NOV 2021



LAUNCH OF UPDATED VERSION OF CONSTITUTION OF INDIA BY HON'BLE MINISTER OF LAW & JUSTICE

**विधायी विभाग (मुख्य) का संगठन चार्ट
(31.12.2021 के अनुसार)**

**सचिव
[डॉ. रीटा वशिष्ठ]**



अनुबंध –VII

(अध्याय-11, पैरा-43 देखें)

31 दिसंबर, 2020 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	%	अनु. जन जाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	दिव्यांग जन	%
क	88	12	13.64%	9	10.23%	20	22.73%	-	-	1	14%
ख	87	14	16.09%	2	2.30%	14	16.09%	-	-	1	15%
ग	116	29	25%	10	8.62%	19	16.38%	2	1.72%	-	-
कुल	291	55	18.90%	21	7.22%	53	18.21%	2	0.69%	2	0.69%

अनुबंध –VIII

(अध्याय-11, पैरा-43 देखें)

31 दिसंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत (%)
समूह क	88	21	23.86
समूह ख	87	24	27.59
समूह ग	116	17	14.66
कुल	291	62	21.31


अनुबंध-IX

(देखें अध्याय-2, पैरा-44)











अनुबंध-X

(देखें अध्याय-3, पैरा-1)

